महानगर नई दिल्ली मंगलवार 11 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कोरोना वायरस, मंत्री समूह रोज कर रहा है समीक्षा : हर्षवर्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि चीन में फैले नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में उत्पन्न हालात से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्री समूह (जीओएम) रोज समीक्षा कर रहा है।

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित कुल 21 हवाईअड्डों पर 28 जनवरी से यात्रियों की जांच की जा रही है। *सिंगापुर,* थाइलैंड, हांगकांग व चीन से आने वाली उड़ानों के लिए थर्मल स्क्रीनिग जरूरी की गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चीन में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के संबंध में भारत सरकार के कदमों के बारे में लोकसभा में स्वतः आधार पर बयान दिया और कहा– मैं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव ने स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, नागर विमानन, गृह, वस्त्र, फार्मा, वाणिज्य आद सभी **बाकी पेज 8 पर**

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रदर्शन पर कहा

आम रास्ता नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के शाहीनबाग में पिछले साल 15 दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोग सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन आंदोलन के लिए निर्धारित स्थान पर ही यह करना होगा और सार्वजनिक सड़क या पार्क में ऐसा नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के पीठ ने शाहीनबाग से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने और कालिंदी कुंज–शाहीन बाग मार्ग पर सुचारू ढंग से यातायात सुनिश्चित करने के लिए दायर याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटस जारी किए। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने जब न्यायालय से इस मामले में कुछ अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, 'एकपक्षीय ऐसा नहीं किया जा सकता। हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे।' शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, 'आप सार्वजनिक सड़कें अवरुद्ध नहीं कर सकते। इस तरह के क्षेत्र में अनिश्चितकाल के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, तो ऐसा **बाकी पेज 8 पर**

सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटस जारी

कहा, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार लेकिन निर्धारित स्थान पर ही

दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतिम निर्देश जारी करने से कोर्ट का इनकार

'लिखित आश्वासन दे सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि **बाकी पेज 8 पर**

शिशु की मौत पर स्वतः संज्ञान

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता-पिता के शिशु की मृत्यु के मामले का सोमवार को संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने चार महीने के बच्चे की मृत्यु के मामले का स्वतः संज्ञान लिए जाने पर कुछ वकीलों द्वारा आपत्ति किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया।

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

पीठ ने इस मामले में पेश महिला अधिवक्ताओं से सवाल किया, 'क्या चार माह का बच्चा इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है?' सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार महीने के बच्चे जैसे अवयस्कों को विरोध प्रदर्शन स्थल पर ले जाना उचित नहीं था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता जेन गुणरत्न सदावर्ते द्वारा लिखे गए पत्र **बाकी पेज 8 पर**

मतगणना : दिल्ली के मन की बात पता चलेगी आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली की सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, मंगलवार को यह फैसला हो जाएगा। सात मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती का काम मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगा और हार–जीत की तस्वीर दोपहर तक साफ होने के आसार हैं।

यदि जनता का फैसला मतदान बाद सर्वेक्षणों के अनुरूप ही रहा, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में हुकूमत कायम करने की हैट्रिक (लगातार तीन बार) बनाने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा राज कायम होने के ट्वीट भी दनादन किए गए हैं और चौंकाने वाले नतीजे देने का दावा कांग्रेसी नेताओं की ओर से भी किया जा रहा है।

मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आठ फरवरी को हुए मतदान के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए **बाकी पेज 8 पर**

अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आम आदमी पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ी बात बिजली और पानी की सबसिडी कही जा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि मुमकिन है कि बड़ी संख्या में गरीब लोगों ने बिजली और पानी के मोर्चे पर मिल रही सरकारी सहूलियत के पक्ष में बटन दबाया **बाकी पेज 8 पर**

छेड़छाड़ मामले में गार्गी कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर प्राथमिकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

गार्गी कॉलेज में सालाना समारोह के दौरान छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के मामले में हौज खासा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं, सोमवार को इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए कॉलेज प्रशासन को मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया है। छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने और घटना की जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कॉलेज में बिना अनुमति के घुसने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दक्षिणी दिल्ली के अतिरिक्त उपायुक्त की निगरानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्लू) सेल की एक टीम गठित की गई है, जो मामले की आगे की जांच कर रही है।

घटना के तुरंत बाद किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी। उपायुक्त ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर **बाकी पेज 8 पर**

एकजुट गार्गी कॉलेज में सोमवार को एकत्रित छत्राएं।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कॉलेज में बिना अनुमति के घुसने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, एससी/एसटी संशोधन कानून वैध

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुसूचित जाति–जनजाति संशोधन कानून, 2018 को संवैधनिक रूप से वैध करार देते हुए कहा कि अदालत उन मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां पहली नजर में मामला नहीं बनता हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने अनुसूचित जाति–जनजाति संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में कहा कि इस कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने या वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

इस पीठ के एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने साथी नागरिक के साथ समता का व्यवहार करने और भाईचारे की अवधारणा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति भट ने कहा कि इस कानून के तहत यदि पहली नजर में मामला नहीं बनता होगा तो अदालत प्राथिमकी निरस्त कर सकती है और उदारता के साथ अग्रिम जमानत का इस्तेमाल संसद की मंशा को निष्फल कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत की 2018 की एक **बाकी पेज 8 पर**

इस कानून में 2018 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के किसी आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत की संभावना खत्म कर दी गई थी और यह भी प्रावधान किया था कि आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और न ही गिरफ्तारी के लिए किसी से अनुमति लेनी होगी। *सुप्रीम कोर्ट* ने कहा कि अदालत उन मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां पहली नजर में मामला नहीं बनता हो।

व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाने के लिए कानून में यह संशोधन किया गया था। इस फैसले में एससी–एसटी कानून के कठोर प्रावधानों को हल्का कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में 2018 के संशोधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस संशोधन के माध्यम से **बाकी पेज 8 पर**

आरक्षण मुद्दे पर संसद में हंगामा

सरकार ने कहा, उच्चस्तर पर हो रहा है विचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों व पदोन्नति के मामले में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्टके एक फैसले को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लोकसभा व राज्यसभा से बहिर्गमन किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं

दूसरी ओर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर दलित विरोधी होने के लगाए गए आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस का ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर उच्चस्तर पर विचार कर रही है।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों ने सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखे जाने के बाद अदालत का यह फैसला आया है। विपक्षी दलों ने सरकार से शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा–मैं **बाकी पेज 8 पर**

नोएडा प्राधिकरण का पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सोमवार को सीबीआइ ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 116.39 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़े दो नए मामलों में यादव सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी सीबीआइ ने यादव सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीन मामलों में उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में **बाकी पेज 8 पर**

नेशनल कांफ्रेंस सांसद के बेटे पर भी लगा पीएसए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

हिलाल लोन

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कांफ्रेंस के लोकसभा सदस्य मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल लोन के खिलाफ सोमवार को सख्त जन सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाया। पिछले साल पांच अगस्त को **बाकी पेज 8 पर**

उमर की नजरबंदी को न्यायालय में दी चुनौती

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

जम्मू–कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी के खिलाफ उनकी बहन सारा पायलट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका **बाकी पेज 8 पर**

दरअसल

फिल्म 'पैरासाइट' का पुरस्कार में बोलबाला

सम्मान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीनिक्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेल्वेगर

'जोकर' का जलवा, ब्रैड पिट को आखिरकार मिला ऑस्कर

लॉस एंजिलिस, 10 फरवरी (भाषा)।

अकादेमी पुरस्कार में इस बार दक्षिण कोरियाई फिल्म 'पैरासाइट' का बोलबाला रहा, जहां फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म सहित तमाम प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम कर इतिहास रच दिया। 'पैरासाइट' के निर्देशक बोंग जून–हो की इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा की श्रेणी में भी ऑस्कर पुरस्कार मिला।

फिल्म 'जोकर' में बेहतरीन अभिनय के लिए जोकीन फीनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अभिनेता ब्रैड पिट ने 'वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' में शानदार अदाकारी के दम पर करिअर का पहला ऑस्कर जीता है। ब्रैड पिट को सर्वश्रेष्ठ सह–अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर मिला है। रेनी जेल्वेगर को फिल्म 'जूडी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला **बाकी पेज 8 पर**

मुझे क्लिफ बूथ (फिल्म में उनके किरदार का नाम) के स्वभाव से प्यार है। लोगों में अच्छाई को देखना, मुश्किलों को स्वीकार करना लेकिन सर्वश्रेष्ठ के लिए।'

–ब्रैड पिट, अभिनेता (सर्वश्रेष्ठ सह–अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर मिलने पर)

ऑस्कर विजेता (बाएं से) जोकीन फीनिक्स, रेनी जेल्वेगर और ब्रैड पिट।

फिल्म पैरासाइट के कलाकार ऑस्कर पुरस्कार के मंच पर।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is notified that I,Abdul Karim,S/O-Abdul Rehman R/O E-167 Om-Vihar Phase-5,Uttam-Nagar,West/Delhi-110059 declare that mine and my father name has been wrongly written as Raj Kumar and Puran Chand in my Aadhar Card no.745269043231. The actual name mine and my father are Abdul Karim and Abdul Rehman respectively.Which may be amended accordingly. 0040531222-10

I,hitherto known as Seema Devi,D/o-Umed Singh,W/o-Ravinder Singh,Residing at-D-1/14 Model-Town-II,Delhi-110009,have changed my name and shall hereafter be known as Seema Kaur. 0040531178-2

I,Sunil Kumar S/O-Ram Baran Yadav Add-J-39 East Mehram-Nagar Delhi-Cantt Delhi 110010.Changed My Name To Sunil Kumar Yadav. 0040531215-5

I,Sunil Kumar Punjabi R/o A-202,Navrattan Appt,Sec-23,Dwarka, Delhi-77 have changed my minor daughter's name from Surbhi to Surbhi Punjabi (DOB 14/05/2010) 0040531186-1

I,Suman Devi W/O- Jagdish Chand Sharma R/O-WZ G-6,Sant Nagar Extn,Tilak Nagar Delhi-110018 Have Changed My Name To Soma Sharma. 0040531215-4

I,Sudarshan Kumar Arora S/o-Sh.Lakhmi Das AroraR/o-C-18, Delhi Citizen Society, Plot-No.24, Sector-13,Rohini, Delhi-85 that Sudershan Kumar/ SudershanKumar Arora/ Sudarshan Arora/S.K.Arora andSudarshan Kumar Arora is one and the same person. That in future i will be known as Sudarshan Kumar Arora. 0040531155-1

I,Sejal Dalvi R/O C-84, Grd Flr, South City 2, Sector - 49, GGN have changed my name from Sejal Vikas Dalvi to Sejal Dalvi for all future purposes. 0040531144-1

I,Saruchi W/0-Madhur Chadha R/0-163 Anand Vihar Pitam pura Delhi-110034,Changed My Name To Suruchi Chadha. 0040531178-4

I,Sanjeev Kumar S/O Rajender Prashad Singhal R/O-Rz-1267,Galino.5,Main Sagarpur, Delhi-110046.Have Changed My Name To Sanjeev Singhal. 0040531215-9

I,Sanjeev Kumar Arora S/o-Sudarshan Kumar AroraR/o-C-17, Delhi Citizen Society, Plot-No.24, Sector-13, Rohini, Delhi-85 that Sanjiv Kumar Arora/Sanjiev Kumar Arora/Sanjiev Arora & Sanjeev Kumar Arora is one and the same person. That in future i will be known asSanjeev Kumar Arora. 0040531158-1

I,Sanjay Singh S/o Sh.Jagdish Prasad Singh R/o.B-11/G-4,B-Block Dilshad-Garden Delhi-110095 have changed my name to Sanjay Singh Tomar,permanently. 0040531201-9

I,Vidya Bharti W/O Deepak Kumar R/O 12-D,Jai Vihar, Phase-3,Najafgarh-110043. Changed My Name To Vidhya Bharti. 0040531201-5

I,Sabhjit Chaturbedi S/o Ram Sevk, R/o-EWS-73, Takiya Kavaladha,Ward-No-21, Gorakhpur,UP-273015,have changed my name to Sabhajit Chaturvedi 0040531179-1

I,Ranjana D/o-Rajeev Ranjan Prasad, R/o-E-176,Panchvati Apartments,B- 9/9, Sector-62,Noida-201301,Gautam Budh Nagar,have changed my name to Ranjana Verma post my marriage. 0040531230-4

I,Ram Niwas R/o-989, Sector-37, Noida(U.P.),have changed my daughter's name,from Samvedna to Samvedna Bhardwaj for all future purposes. 0040531179-2

I,Promod Kumar Gupt S/O Parash Nath Gupta Employed as Auditor in the O/o The Principal Director of Audit, Economic & Service Ministries,AGCR Building,IP Estate,New Delhi R/o-D-3/6, Sultanpuri,New Delhi-110086, have Changed my Name to Pramod Kumar Gupta for all future purposes. 0040531121-1

I,Prasant Jain,S/O Shri.Pramod Kumar Jain,R/O-H.No.27 Bank-Enclave,Laxmi-Nagar Delhi-110092,Have Changed The Name Of My Son Namely Arham Jain To Samveg Jain,For All Future Purpose. 0040531215-7

I,Pawan Kumar,S/O Gaja Nand R/O C-2/18 Ashok Vihar, Phase-2,Delhi-110052,I declare that Pawan Kumar and Pawan Kumar Aggarwal is the same person. 0040531230-2

I, Islamuddin Mohammad S/O Mehruddin R/o A 20/1 Shaheen Bagh Abul Fazal Enclave -2 Delhi-110025 have changed my name to Islamuddin 0040531169-1

I Army No-15456446F, R.HARI-RAJ IN AMC, record office Lucknow.In my service record my name is mentioned as R.HARIRAJ. In future my name will be known as HARIRAJ RAMAN. 0060072798-2

I,Monica Sharma,W/o Sh.Neeraj Sharma R/o H.No.1106 Sector-8 Faridabad Haryana-121006 have changed my name to Monika Sharma,permanently. 0040531201-8

I,Monica Arora W/o-Sh.Sandeep Kumar AroraR/o-C-2, Delhi Citizen Society, Plot-No.24,Sector-13, Rohini, Delhi-85 that Monika Arora& Monica Arora is one and the same person.That in future i will be known as Monica Arora. 0040531160-1

I,Mateen Pathan,S/o Abid Khan,R/o-H.No.401,40B,Noor-Apartment, Gali.No.2, Johri-Tarm,Jamia-Nagar, Okhla, New-Delhi-110025, declare that the name of mine and my mother has been wrongly-written as Mateen Ahmed Khan and Rehana Begum respectively in my 10th-class Certificate & Marksheet.The actual name of mine is Mateen Pathan and my mother correct-name is Shama Khan. 0040531222-8

I,Mahendra Singh S/O Rajey Singh H.No-425, Top-Floor GaliNo-1,Sarpanch Ka Bara Mandawli Fazalpur P.O Laxmi-Nagar Delhi-110092.Changed My Name To Mahender Singh. 0040531178-3

I,Lal Chand Mittal S/O Jagpat Rai R/O C-4/125-126,Sector-6,Rohini,Delhi-110085.Have Changed My Name To Lal Chand. 0040531178-10

I,Kusum Lata,W/O Pawan Kumar,R/O C-2/18 Ashok Vihar Phase-2,Delhi-110052,I declare that Kusum Lata and Kusum Lata Aggarwal is the same person. 0040531230-3

I,Kavinder Kumar Malik s/o-Om Parkash Malik, R/o-8/17, East PatelNagar, New Delhi-110008 have changed my name to Kavinder Malik. 0040531215-6

I,Jagdish Sharma S/O-Amar Nath Sharma R/O-WZ G-6,Sant Nagar Extn,Tilak Nagar Delhi 110018 Have Changed My Name To Jagdish Chand Sharma. 0040531201-7

I,Iqbal Mohmmed S/O Mehtab Khan R/O-F-95,Hari Enclave-1,Kirari,Suleman Nagar,Delhi-110086.Changed My Name To Iqbal Ali. 0040531222-3

I, Vinita W/o Harish Verma R/o D-41 Sector-15 Noida U.P have changed my name to Vinita Verma. 0040531215-1

I,Geeta Devi W/O Jai Prakash Saini R/O Hno.1,Street No.2,Sant Nagar,Burari,Delhi-110084.Changed My Name To Geeta Saini. 0040531215-10

I,Bhupindar Kaur W/O Trilochan Singh R/O-2326, Hudson-Line, Kingsway-Camp, Gtb-Nagar, Delhi-110009.Changed My Nameto Bhupinder Kaur. 0040531201-3

I,Ajay Bhattacharya,S/o Sh.Rathendra Bhattacharya, R/o-P-103 BPTP-Park,Ist-Floor,Sector-77,Faridabad, Haryana-121101 was previously known as Ajay Bhattacharya, now I,change my name as Ajay,declare that Ajay Bhattacharya and Ajay both are same person and I further called in the name of Ajay for all future purpose. 0040531222-7

I, Zuber S/o Mushtaq Ahmed R/o-A-8, Meer-Vihar, Madanpur Dabas, Delhi-110081.have changed my name to Zuber Khan permanently. 0040531222-4

I, Vikash H.No. E-35 Sector-45, Sadarpur Colony. Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, 201301 have changed my name to Vikas Mandal 0070697460-1

I, Sunita Alias Sunita Mehta Alias Sunita Meehta W/O Sunil Kumar R/O-475, 3rd-Floor, Kohat-Enclave, Pitampura, Delhi.Changed Name to Simran Kataria. 0040531170-3

I, Sunil Kataria S/O Khem Chand R/O-475, 3rd Floor, Kohat Enclave, Pitampura, Delhi Changed Name to Sunil Kumar. 0040531170-2

I, Suneeta Ekka W/o Vivek Ekka R/o-H.No.237, Block-A, Gali-05, Kamal-Vihar, Kamalpur,Burari, Delhi-110084.have changed my name to Suneeta Kujur. 0040531222-5

I, Shanti W/o.Late Sh.Het Ram R/o-RZ-F117/14, Street.no.40, sadhnagar part-2. New-Delhi - 110045.have change my name Santosh to Shanti,for all future purposes. 0040531170-4

I, Sapna D/O-Bhagwan Dass R/O-E-25 Tagore-Lane Minto-Road Delhi-110002Have Changed My Name From Sapna To Ritu,For All Purposes. 0040531201-6

I, Saleem Khan R/o A-2/1515 J. J. Colony Madan Pur Khadar Sarita Vihar New Delhi 110076 have changed my minor son's name from Gaffur Ahmed to Gaffur Ahmad 0040531167-1

I Ashok Kumar S/O Inder R/O-A/204,Arjun Nagar,Safdarjung Enclave,New-Delhi-110029 Have Changed My Name to Guru Charan. 0040531170-1

I Anil Kumar Verma S/O-Om Prakash Verma R/O-D-74 Kamla-Nagar Malka Ganj Delhi-110007,Changed My Name To Anil Verma. 0040531178-7

I Arvind Kumar S/O Basant Kumar H.No-18, Block-47 East-Patelnagar NewDelhi-110008. Have Changed My Name To Arvind Kumar Khetarpal. 0040531178-9

I, Ritu d/o chaman Lal R/O C-250, peeragarhi camp, Shakur basti depot, Delhi-56 have changed my name to Ritu Nahar 0040531185-1

I, Rapika Bibi,W/O Ali Rostam, R/O-H.No.B-27,Shyam-park, Extn,Sahibabad,Ghaziabad,U.P.-201005,have changed my name and shall hereafter be known as Rupika,for all future purpose. 0040531230-5

I, Ram Murti W/o Rajbeer R/o 164, Ekta Vihar, Sector-6, R.K.Puram, Delhi-110022 have changed my name to Murti Devi. 0040531222-2

I, Ram Deo Singh S/o Bharat Singh R/o-Khapatiya Ghera, Keshi-Ghat, Vrindavan, Mathura.have changed my name to Ramdev Singh. 0040531170-10

I, Rajbir Kaur w/o Karanbir Singh Brar r/o 6, Jor Bagh, Delhi-110003 have changed my minor daughter's name from Meher Kaur to MEHAR KAUR. 0040531151-2

I, Rajbir Kaur w/o Karanbir Singh Brar r/o 6, Jor Bagh, Delhi-110003 have changed my minor daughter's name from Ambar Kaur to AMBER BRAR. 0040531151-4

I, Prithavi Singh Bareth S/O Goverdhan Singh Bareth, address: RZ D3-240, GaliNo-9, Mahavir Enclave, Palam New Delhi-45, have changed name to Prithvi Singh Bareth for all future purposes. 0040531214-1

I,Harjit Singh S/O Puran Singh R/O-139,Chand Nagar,Vishnu Garden,Delhi-110018.Changed My Name To Harjeet Singh. 0040531201-4

I, Prabha Rani Jain W/o Vinay Kumar Jain R/o C3/23, Ashok-Vihar, Phase-II, Delhi-110052, have changed my name to Prabha Jain. 0040531170-5

I, Nitika Kumari D/O Vipin Kumar R/O P-67/2, Kabul Line, Delhi Cantt. Delhi-110010 have changed my name to Nitika. 0040531230-1

I, Nirmla Devi, W/o Nisant Kundu R/o H.No.60, Dharam Colony, Palam Vihar Extn. Gurgaon, Nr. Shiv Mandir, haryana-122017, have changed my name to Nirmala Devi for all future purposes. 0040531126-1

I, Narinder Kumar S/o Ganesh Dass R/o-215, Tagore Park, Model Town-1, Delhi-9, have changed my name to Narinder Gulati. 0040531222-1

I, Mulchandra Chauhan F/o Pradeep Chauhan R/o D-12C, Gali no-7, Block-B, Dashrath Puri, Palam, New Delhi-110045, have changed my name to Mool Chand Chauhan permanently. 0040531129-1

I, Mohan Shyam S/O Yad Ram Goswami R/O-3387, Gali.Lal-Masjid, AryaPura, Subzi-Mandi, Malkaganj, Delhi-110007,Changed my name to Mohan Shyam Goswami. 0040531170-7

I, Mohammad Furkan S/o Mohammad Ibrahim H.No.199, Vill.Naglarai, Charthawal,Muzaffarnagar, UPhave changed my name to Mohammad Furqan. 0040531178-1

I, Mohammad Ali Raza S/o-Zulfiquar Ali R/o-H.No.827, Gali-Ahmed-Shah, Haweli-Azam-khan, Bazar-Chitli Qabar,Delhi-110006.changed my name to Ali Raza. 0040531201-10

I, Minesh D/o, Kayam Singh R/o F-3b Ground Floor, Krishan Vihar, Sultanpuri C Block, Delhi-86 have changed my name to Minesh Kumari 0040531177-1

I, Manoj Kumar S/o Shri Amar Nath Lal R/o 947, 1st Floor, Sector-37, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name to Manoj Kumar Srivastava for all future purposes. 0040531120-1

I, Kailash Chander S/O Mathura Datt Dhondiyal R/O-91, Kushak.No-2, Kadipur, Alipur, Delhi-110036,Changed my name to Kailash Chander Dhondiyal. 0040531170-6

I, JAGDEEP SINGH s/o BAHADUR SINGH r/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027 have changed my minor daughter's name from SURB-HI to SURBHI NAGPAL. 0040531190-4

I, JAGDEEP SINGH S/O BAHADUR SINGH R/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027 have changed my minor son's name from CHIRAG to CHIRAG NAGPAL. 0040531190-2

I, Irshad Ahmad R/o Flat No: 904, Tower 6, Golf Avenue 2, Plot No 3, Sector 75, Noida, U.p have changed my minor daughter's name from Sharah Irshad to Sarah Irshad 0040531176-1

I, Hasamudadeen S/o Saddik Saifi R/o-Bagwala-Khanpur, Guntu-Khanpur, Bulandshahr, Uttar-Pradesh.have changed my name to Hasmuddin Saifi. 0040531170-8

I, Mohammad Tamizuddin S/O, Abdul Quddoos R/o Village Khabdah Post Kanhaily Forbesganj Araria Bihar 854318 have changed my name to Tameezuddin 0040531172-1

I Menka Kumari Gupta W/O-Animesh Gupta, R/O-B-154 Lok Vihar-Pitampura Delhi-110034,Changed My Name To Menka Gupta. 0040531178-6

I Mala W/o Ashok kumar H/o-M-10 Kasturba Niketan Complex Lajpat Nagar-2, have changed my name to Mala Batra. 0040531201-1

व्यक्तिगत

I, Harish S/o Babu Lal Verma R/o D-41 Sector-15 Noida U.P have changed my name to Harish Verma. 0040531215-2

I, Harbajan Singh S/o Rattan Singh R/o H.No.AT-50/5F, Tangewali-Gali, Baljeet Nagar, Delhi-110008have changed my name to Harbhajan Singh. 0040531215-3

I, GAURAV s/o JAGDEEP SINGH r/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027 have changed my name to GAURAV NAGPAL. 0040531190-6

I, Diwan Giri Goswami S/o Siv Giri H.No.1202, Sector-9, Vasundhra, Ghaziabad, UP.have changed my name to Diwan Giri. 0040531170-9

I, Deepak Kumar R/O Flat no 9, Plot no 267, Phase 1, Aya Nagar, New Delhi 110047 have changed my name to Deepak Gupta. 0070697458-1

I, Chitra Singh Bagga W/o Devendra Singh Bagga R/O A1103, Elite Homez, Sector-77, Noida(U.P.) have changed my name from Chitra to Chitra Singh Bagga for all future purposes. 0040531173-1

I, Balraj Madan S/o Ram Lal Madan R/o X-1637, Gali no-13, Rajgarh Colony, Delhi-110031 have changed my name Balraj Madaan permanently. 0040531119-1

I, Baby D/o-Dharamveer Sharma R/o-G-6, Shiv-Ram Park, Street.No.8, Peer-Baba-Road, Nangloi, Delhi-110041. have changed my name to Bani,for all future purposes. 0040531222-6

I, Atish S/o Ashok Mandal R/o 155, 3rd Floor, Hari Nagar, Ashram, New Delhi-110014 have changed my name to Atish Kumar Mandal for all future purposes. Both are one & the same person. 0040531162-1

I, Anil Kumar Sriwastawa S/o Harinath Lal Srivastava R/o 735, Sector-28, Noida have change my name to Anil Kumar Srivastava. 0040531173-2

I, Ambica Dwivedi W/o Ankit Gaur R/o 30-C,Shanker Bhawan,Patparganj,Delhi-110091,have changed my name to Ambica Gaur for all purposes 0050162111-2

I, Aman Jyoti Bhatia,W/O-Gagandeep Singh Bhatia R/O 200, Gujranwala TownPart-2, Delhi-110009,have changed name of our minor daughter Japnit Kaur aged 11 years and she hereafter be known as Japleen Kaur.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040531230-8

I, Aaisha Khatun D/o, Md Shakil R/o Khabdah Kanhaily Forbesganj Araria Bihar 854318 have changed my name to Chandani Pravin for all purposes 0040531174-1

I Usha D/o Late Sh. Ram Prasad Kapoor W/o Late Sh. Jagdish Pal R/o A-2/122, Ground Floor, Sector -5, Rohini, North West Delhi, Delhi -110085 have changed my name to Tripta Kapoor for all purposes. 0040531125-1

I Shivani Gautam D/o Krishna Kumar Gautam R/o H.No-1240, Sector-3 Vasundhara Ghaziabad U.P-201012 have changed my name to Himshivika Mahrishi. 0040531149-1

I Shailender Kumar Sharma S/o Hari Chand Sharma R/o H.No.- C-25, Gali No. 3, North Chhajjupur, Babarpur, North East Delhi - 32 have changed my name to Shailender Sharma 0070697449-1

I Rajiv Sood S/0-Prem Kumar R/0-21a G.Floor 4Kh.No-23/4 Himgiri-Enclave Burari-Kamal Pur Majra-Burari Delhi-110084, Changed My Name To Rajeev Sood. 0040531178-8

I Priti Dabas W/0-Ravinder Beniwal R/0-274 Pitampura-Village Pitampura Delhi-110034, Changed My Name To Preeti. 0040531178-5

I Poonam Rani W/o Anil Kumar R/o Flat no 73 New Town Heights Dlf, Sec-90 , Gurgaon haryana have changed my name to Poonam Devi for all future purpose. 0070697416-1

I No-15430166W HAV Salunkhe LV S/o Salunkhe VR At-Karanjoshi Teh/Dist-Satara declare that in my Army records my son name mistakenly mentioned as VIGHNESH LAXMAN SALUNKHE whereas his correct name is SALUNKHE VIGNESH LAXMAN. in future he will be known as SALUNKHE VIGHNESH LAXMAN. 0060072800-1

I hitherto known as Asha Rani, D/O-Daya Nand and W/O-Ramesh Thakkar, R/O-B-1/119,Ashok Vihar, Phase-2, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as Taruna Thakkar.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040531230-10

I Dheeraj S/o Shiv Kumar H.No-950/28 Jyoti Park,Gurugram Haryana-122001 Have Changed My Name To Dheeraj Kuswaha. 0040531215-8

I Deepender Mandal S/o Sh. Bhola Mandal R/o 14,1st Floor, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, South West, New Delhi-110029 have changed the name of my minor son from Aklesh Kumar Mandal to Akhilesh Kumar Mandal for all purposes. 0040531125-2

मैं नीलम कौर पत्नी कुलदीप सिंह निवासी वार्ड–9, मेन बाजार मोहल्ला नानकसर तरन तारन पंजाब कि मेरे पति जो कि भारतीय सेना में हैं, के सर्विस रिकार्ड में गलती से मेरा नाम नीलम मान और जन्मतिथि 01 मई 1985 अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम नीलम कौर और जन्मतिथि 01 मई 1981 है

I Ishu Jaitly D/o Sh. Vaibhav Jaitly R/o Flat No. F-513, Piyush Heights, Sector-89, Kheri Kalan(113), Faridabad, Haryana -121002 have changed my name to Raghavi Jaitly for all purposes. 0040531125-3

I Dipti kapur w/o Sanjeev kapur R/o H.No.170/21A Faridabad 121001 have changed my name to Deepti kapur. 0040531201-2

खोया+पाया

I, Yogesh Gupta S/O Late Shri Shish Pal Gupta & Pankaj Gupta S/O Shri Jagdishwar Dass. have lost my Original property documents of Flat no. 12, Raj Block, Naveen Shahdara, Delhi – 110032. Pleasecontact me if anyone finds the same at the given No- 9810029316. 0040531210-1

I, Kajal D/o Ajay Kumar R/o T-58,Baljeet Nagar, West Patel Nagar, Delhi-110008,have lost my Marksheet & Certificate of Class 10th Roll no. 6434790, Passing year 2007 & 12th Roll no 6712077 Passing year-2009 from CBSE Delhi & Caste Certificate no.SC/02/921/141/13/12/2012/ 9221001745, Finder contact above address. 0040531137-1

I, Preeti Rehani W/o Lt. Mr. Yogesh Rehani R/O E-1603, Bptp The Resort, sec. 75, Faridabad, has lost Flat maintenance agreement. (customercode-151054) . So if anyone find the same, Kindly return it to the respective address. 0040531199-1

I, SUNITA D/o Jai pal h.no-2 bhogal lane jangpura Delhi-14.have lost my original certificate class-10th year-1988 Rollno-467375 CBSE-Delhi. 0040531244-3

I, Srajan vishrut S/o V.p. Sharma R/o-199-Rps dda-flats mansarover-park shahdara Delhi-32.have lost my original-certificate class-12th year-2016 Rollno-9122370 CBSE-Delhi. 0040531244-2

I Anjani chouhan S/O Dinesh kumar chouhan have lost 12th class certificate marksheet Roll.no.9142868 Mobile-9821678552. 0040531244-4

PUBLIC NOTICE

I Mr Ravinder kumar and Smt. Rajesh Kumar R/o 1897 Kotla Mubarak Pur New Delhi 03 are very disturbed and anguished about continued misbehavior, irresponsible conduct of their son Hemant Verma and his wife Shivani Bhati and has decides to sever all their relationship, ties with them and further to disown/ debarr them from all their movable and immovable properties.

My client further declare that my client will not be held responsible for the act and conduct of theirs and any body deals with them at their own risk and responsibility.

Sd/-

VIPIN KUMAR SAINI (Advocate)
B-62, (Basement) Dayanand Colony,
Lajpat Nagar, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

My clients MS. RAJNI SHARMA W/O LATE SH. RAMESH CHAND SHARMA (R.C. SHARMA) R/O 1282, TOWER-B, IST AVENUE, GAUR CITY-I GREATER NOIDA (WEST) U.P., do hereby debar her/his/their son namely SH. RUPESH SHARMA S/O LATE SH. RAMESH CHAND SHARMA (R.C. SHARMA) from her/his/their all moveable and immoveable property, assets etc. all concerned are hereby intimated that any person having any dealing/ transactions with above said persons shall do so at his own risk and responsibility.

Sd/-

(VIKAS SINGH BASTTA) Advocate
Ch. No. 480 Saket Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

I Mr Ravinder kumar and Smt. Rajesh Kumar R/o 1897 Kotla Mubarak Pur New Delhi 03 are very disturbed and anguished about continued misbehavior, irresponsible conduct of their son Hemant Verma and his wife Shivani Bhati and has decides to sever all their relationship, ties with them and further to disown/ debarr them from all their movable and immovable properties.

My client further declare that my client will not be held responsible for the act and conduct of theirs and any body deals with them at their own risk and responsibility.

Sd/-

VIPIN KUMAR SAINI (Advocate)
B-62, (Basement) Dayanand Colony,
Lajpat Nagar, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over property i.e. Entire Third Floor with terrace right, built on **Property No. 1339/1, Street No.-8, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-110019** area measuring 70 Sq. Yds. belongs to **Mrs. Dimple Mehra** and intending to purchase by **Mr. Rajiv Singh.** The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decree etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/ Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
9871603366, 9717476101.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that **Clix Housing Finance Private Limited** is going to create simple mortgage over property i.e. Upper Ground Floor without roof right, Front Side built on **Property No. RZ-F-1/267-A & RZ-F-1/267, area measuring 90 Sq. Yds. Out of total 150 Sq. Yds. Street No.-3, out of Khasra No. 86/9 & 12 and 86/12, Village Palam, Colony Mahaveer Enclave, New Delhi-110045,** belongs to **Mr. Ankit Arora & Mr. Nitin Jain** and is being purchased by **Mr.Deepak Katariya and Mrs. Beena Katariya.** The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decree etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/Authority/Board or any other entity having objection/ contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
9871603366, 9717476101.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री किशोरी लाल एवं श्रीमती फूलवती, पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासी 88, ब्लॉक सी–9, सुल्तानपुरी, दिल्ली–86 ने अपने छोटे बेटे अजय और पुत्रवधू ज्योति खटीक को उनके गलत आचरण एवं नियंत्रण में न होने के कारण अपनी तमाम चल– अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सारे रिश्ते–नाते विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उपरोक्त से मेरे मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। उनके किसी भी लेन–देन के लिये मेरे मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

Naveen Sharma (Advocate)
H.No. 656, Khera Khurd Delhi-110082

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री किशोरी लाल एवं श्रीमती फूलवती, पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासी 88, ब्लॉक सी–9, सुल्तानपुरी, दिल्ली–86 ने अपने बडे बेटे विजय कुमार और पुत्रवधू गौरा देवी को उनके गलत आचरण एवं नियंत्रण में न होने के कारण अपनी तमाम चल– अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सारे रिश्ते–नाते विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उपरोक्त से मेरे मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। उनके किसी भी लेन–देन के लिये मेरे मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

Naveen Sharma (Advocate)
H.No. 656, Khera Khurd Delhi-110082

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, SURENDER SINGH DAHIYA S/O RANJEET SINGH R/O QUARTER NO. 1-B, POLICE LINE, PANIPAT-132103, HARYANA. Declare that name of mine written as SURENDER SINGH in my Passport (Passport no.U6504350) is my maiden name.The actual name of mine is SURENDER SINGH DAHIYA respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBILC NOTICE

It is for general information that I, MOHAMMAD ADIL S/O NAUSHAD AHMAD R/O KHASRA NO. 250/80/1/3/4, C-BLOCK, GALI NO.11/3, PART-1, MUKANDPUR, DELHI-110042. Declare that name of mine written as MOHD. AADIL in my Driving Licence (Driving licence no.DI-1120120214448). is my maiden name. The Actual name of mine is MOHAMMAD ADIL respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Under Instructions from and on behalf of my client General Public is informed that Smt. Parvati, Wife of Sh. Suraj, R/o D-470, J.J. Colony, Inderpuri, New Delhi-110012, has disowned her daughter Anisha Wife of Sh. Vijay, Daughter of Sh. Suraj, R/o D-470, J.J. Colony, Inderpuri, New Delhi-110012, due to her mis-behaviour, from all her Immovable properties and Movable assets, as they have become unfaithful, dishonest, disobedient & bad behaviour towards my client. My client and her family members will not be responsible for their any kind of liabilities, dealings, acts, criminal proceedings, obligations, financial transactions, claims etc. My client has severed all relations with them.

Sd/-

(JAGDISH CHANDRA TRIKHA)
Advocate
M-4 Civil Side,
Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I/we Krishan Mohan Chaudhari & Mrs Shailja Chaudhari are the lawful owners of Plot no.96, Block-B, Sector-23, Noida by virtue of transfer deed duly regd on 22-07- 2011.

The original leasedeed executed by Noida Authority in favour of allottee M/s Ajay Kat House which was duly regd on 06-09-1988 was lost by our previous seller Mr A.R. Deshpande and an FIR has been filed in this respect

Any person who found the said leasedeed can personally inform the undersigned who shall be suitably rewarded

KRISHAN MOHAN CHAUDHARI
9953754884

PUBLIC NOTICE

My client Chranjeet Kaur W/o Late Sh. Balwant singh R/o E-168, Jahangirpuri, Delhi has disowned and debarred his son Govind Singh @ Raju and and his wife Renu Kaur from their movable/ immovable property as well as Financial crises and also has severed all connections with them. Anybody dealing with them, will do that at his own cost and consequence.

Sd/-

A. R. TAYADE (ADVOCATE)
CH.NO-L-10, PS RATHI BLOCK
TIS HAZARI COURTS DELHI

PUBLIC NOTICE

I,Satyam Saini S/o Madan Saini R/o 2881, 10, New Janta Nagar, Ludhiana, Punjab-141003 declare that name of my father and mother has been wrongly written as Madan Lal Saini and Meena Saini in my 10 th and 12 th class marksheet and certificate. The actual name of my father and mother is Madan Saini and Meenu Saini, which may be amended accordingly.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि फर्म BUDDING ENTREPRENEURS में पूर्व में तीन पार्टनर थे जिनका नाम 1-शिवम गोयल 2-नेहा गोयल 3-सरफराज अहमद थे। दिनांक 28.11.2019 से ये सरफराज अहमद अपनी स्वेच्छा से फर्म से निकल गये हैं। अब वर्तमान में फर्म में 1- शिवम गोयल 2- नेहा गोयल ही केवल पार्टनर हैं। फर्म में किसी भी प्रकार का विवाद नही है।

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे (शिवम गोयल) द्वारा पूरी की गयी है।

(शिवम गोयल) पार्टनर
BUDDING ENTREPRENEURS

PUBLIC NOTICE

FLAT NO.237, SECOND FLOOR, DHUDIAL CO-OPERATIVE GROUP HOUSING SOCIETY LTD, PITAMPURA, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India.** The property is auctioned by the City Bank as per provision of the SARFAESI Act, 2002 and City bank through its authorized officer also issued Auction Confirmation letter dated 10.01.2020. The Property owned by **Shri Manish Sehgal** and mortgage with City Bank by Smt. Sakshi Sehgal, Shri Manish Sehgal & M/s Nimbus Fabrics known as borrowers

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 05 days from the day of publication, failing which the title / Sale Certificate/ Certificate of Sale executed by Authorized person of City Bank in favor **Smt. Satveer kaur wife of Shri Virender Singh or in joint name with her nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company, financial Institution / Bank

Sd/-

NIRMAL KUMAR (ADVOCATE)
Chamber No. 561, 5th Floor, Saket Courts, New Delhi,
Mobile- 8587898197,
Email : nir2verma@gmail.com

उत्तर प्रदेश सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस के कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मानवाधिकार आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के कथित अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

कांग्रेस ने 27 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का रुख कर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के कथित अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि मामले में दर्ज एफआइआर में पीड़ितों का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया और किसी भी पुलिस अधिकारी का इसमें नाम नहीं आया।

प्रतिनिधिमंडल ने एनएचआरसी अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और 31 पन्ने का एक विस्तृत आवेदन दिया। राज्य में कथित अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें भी सौंपी गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उन्होंने एनएचआरसी को दृढ़ता से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

अधिकारी ने कहा, 'एनएचआरसी ने हाल में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के आयोग पहुंचने और शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के बाद मुद्दे का संज्ञान लिया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक नोटिस भेजा गया है और छह हफ्ते में जवाब मांगा गया है।'

हलफनामा दाखिल न करने पर लगेगा पांच लाख रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सामुदायिक रसोई बनाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर हलफनामा दायर नहीं करने को लेकर कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सोमवार को झाड़ लगाई।

न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अगुआई वाले पीठ ने कहा कि अगले 24 घंटे में हलफनामा दायर करने वाले राज्यों पर एक लाख रुपए जमा करने होंगे जबकि इतने समय में ऐसा नहीं करने वालों को पांच लाख रुपये देने होंगे। पांच राज्यों–पंजाब, नगालैंड, कर्नाटक, उत्तराखंड तथा झारखंड और दो केंद्रशासित प्रदेशों– अंडमान निकोबार एवं जम्मू कश्मीर ने जनहित याचिका पर अपना जवाब दायर किया है।

सामुदायिक रसोई संबंधी मामला

न्यायालय ने 18 अक्तूबर को सामुदायिक रसोई बनाने का समर्थन किया था और कहा था कि भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए देश को इस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है। इसने जनहित याचिका पर जवाब मांगते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था। याचिका में न्यायालय से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भुखमरी और कुपोषण का मुकाबला करने के लिए सामुदायिक रसोई की योजना तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि हर रोज भुखमरी और कुपोषण के चलते पांच साल तक के कई बच्चों की जान चली जाती है तथा यह दशा नागरिकों के भोजन एवं जीवन के अधिकार समेत कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुन धवन, इशान धवन और कुंजना सिंह ने यह जनहित याचिका दायर कर सार्वजनिक वितरण योजना के बाहर रह गए लोगों के लिए केंद्र को राष्ट्रीय फूड ग्रिड तैयार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

सीट से बैठे-बैठे टिप्पणी पर महुआ को बिरला ने चेताया

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा के सीट पर बैठे–बैठे टिप्पणी करने पर नाराजगी जताते हुए उन्हें आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। सदन में पश्चिम बंगाल से भाजपा के सदस्य खगेन मुर्मु राज्य में स्मारक से संबंधित पूरक प्रश्न पूछ रहे थे और संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल उसका उत्तर दे रहे थे। इस दौरान तृणमूल सदस्य महुआ मोइत्रा की किसी टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा, 'सीट पर बैठे–बैठे टिप्पणी करना बंद करिए। अन्यथा मुझे कार्रवाई करनी होगी।' इस दौरान मोइत्रा खड़े होकर कुछ कहने लगीं जिस पर अध्यक्ष ने कहा, 'आसन न्यायपूर्ण कार्रवाई करता है या नहीं, यह सदन तय कर लेगा।' उन्होंने सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय से भी कहा कि वह अपनी पार्टी की सदस्य को सदन के नियमों से अवगत कराएं जो बार–बार टिप्पणी करती रहती हैं और उन्हें यह भी बताएं कि वह अपनी सीट पर जाकर बोलें।

बंदोपाध्याय ने कहा, 'मैं सदस्य से आपकी बात कहूंगा और आपका निर्देश पहुंचाऊंगा कि वह सदन के नियमों का पालन करें। वह पहली बार सांसद बनी हैं और बहुत प्रतिबद्ध हैं। आप भी उन्हें आशीर्वाद दीजिए।' अध्यक्ष बिरला ने शून्यकाल में भाजपा के एक सदस्य से भी बिना अनुमति के बोलने पर नाराजगी जताई। प्रश्नकाल समाप्त होने पर पश्चिम बंगाल से भाजपा के सदस्य सौमित्र खान एक पोस्टर दिखाते हुए राज्य का कोई विषय उठाना चाह रहे थे। अध्यक्ष ने उन्हें अनुमति नहीं दी।

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Kailashwati W/o. Late Sh. Baldev Singh Saini R/o. F-1/82-83, Pocket-1, Sector-16, Rohini, Delhi - 110085 has debarred and disowned her son Sh. Kamal Jeet S/o. Late Sh. Baldev Singh Saini and his wife Mrs. Renu along with their legal heirs and successors from all her moveable and immovable properties due to their disrespectful behavior and being out of control of my clients. My client has also severed all her relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks and costs and consequences. My client shall not be liable and responsible for the same.

PUSHPENDU SHUKLA-ADVOCATE
Ch. No. 345, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi -54
Mob.: +91 9818249145, 8750528686

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

McGraw-Hill writer
RAMESH SINGH'S
GS ECONOMY
Basics+Current
updated with the latest
Survey 2019-20 and Budget 2020-21
New batch: Mar. 02-Apr. 20 (2.30-4.45pm)
4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

M. PURI
ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

गार्गी कॉलेज में छात्राओं से उत्पीड़न का मामला

महिला आयोग ने प्राचार्य और पुलिस से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

गार्गी कालेज में छात्राओं के साथ हुई अभद्रता और उस पर पुलिस व कॉलेज प्रशासन के रवैये पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने सख्त ऐतराज जताया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस और गार्गी कॉलेज प्रशासन को छात्राओं के 'उत्पीड़न' के मामले में कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर सोमवार को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई करने के साथ ही आयोग ने छात्राओं से बातचीत भी की है। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ व्यक्ति घुस आए थे और उन्होंने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता की।

मामले की जानकारी मिलने के बाद आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना के बारें में जानकारी ली। इस सिलसिले में कॉलेज में अनेक छात्राओं से बातचीत भी की। इसके बाद मालीवाल ने यह नोटिस जारी किए। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस और गार्गी कॉलेज को कार्रवाई नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने कालेज प्रशासन व पुलिस के अब तक के रवैये पर असंतोष जताते हुए कहा कि इस मामले की अपनी तरह से हम खुद जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम तो जांच करेंगे ही हमारी मांग है कि मामले की पुलिस भी विस्तृत जांच करे और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और गार्गी कॉलेज प्रशासन ने इस प्रकार की गंभीर घटना पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है, वह गैर जिम्मेदाराना है।

मालीवाल ने कहा कि लड़कियों ने हमारे सामने बयान दिए हैं और अपने दुखद अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करने और शिकायत दर्ज कराने की जगह छात्राओं से कहा कि 'अगर वे सुरक्षित महसूस नहीं करतीं तो उन्हें कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए'। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

आयोग की मुखिया ने कहा कि वे वहां खड़े देखते रहे। चार दिन से पुलिस और कॉलेज इस मामले में चुप्पी साधे हैं। छह फरवरी को परिसर में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी से वे पल्ला नहीं झाड़ सकते। गौरतलब है कि छह फरवरी को कॉलेज उत्सव के दौरान शाम करीब साढ़े छह बजे नशे में धुत पुरुषों के समूह ने कॉलेज के अंदर घुसकर उन्होंने छात्राओं के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की थी।

छात्राओं ने की जांच समिति बनाने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में छह फरवरी को हुई घटना की जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग की है। छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में हल्ला बोल किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि छह फरवरी को फेस्ट में घुसे हुड़दंगियों ने छात्राओं से छेड़छाड़ की थी और कॉलेज प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की।

सोमवार को कॉलेज में कक्षाएं नहीं हुईं। बड़ी संख्या में कॉलेज परिसर में जमा हुईं छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। छात्राओं ने बताया कि हमारी ओर से कॉलेज प्रशासन से इस मामले में समिति गठित कर जांच की जाए। हमारी शिकायतों को आतंरिक शिकायत समिति में दर्ज किया जाए। कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा फेस्ट पर जो खर्च हुआ, उसका मदानुसार हिसाब हमें बताया जाए ताकि पता चले कि फेस्ट के दौरान कॉलेज ने सुरक्षा पर कितना खर्च किया है।

छात्राओं का आरोप है कि पिछले साल भी ऐसा ही मामला सामने आया था लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हमें मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

घटना की हो निष्पक्ष जांच : डूसू

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गार्गी कॉलेज की प्राचार्य, शिक्षकों और कॉलेज छात्र संघ से मिला। डूसू ने प्राचार्य से एक समिति बनाकर पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। डूसू की सह सचिव ने कहा कि गार्गी कॉलेज में हुई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलेज प्रशासन को जल्द से जल्द इस संदर्भ में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जिन छात्राओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उनको न्याय दिलाने के लिए आरोपियों को शीघ्र चिन्हित किया जाए तथा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया और डूसू उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर ने संयुक्त बयान में कहा कि कि डीयू के कुछ कॉलेजों के फेस्ट में पहले भी छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया।

Sleepwell

(Rs. in Crore)

UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2019

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	665.15	1,697.34	577.40
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	85.85	214.60	56.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	85.85	214.60	56.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	64.65	162.11	38.93
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	64.83	161.53	36.14
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each)	24.39	24.39	24.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	705.71 (As at 31.03.2019)	705.71 (As at 31.03.2019)	572.87 (As at 31.03.2018)
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualized)-			
	Basic:	13.25	33.23	7.98
	Diluted:	13.25	33.23	7.98

Note:

1 The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended Financial Results are available on the Company website www.sheelafoam.com and on the website of stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

2 The above Consolidated Limited ReviewedFinancial Results have been reviewed by the Audit Committee of the Board in its meeting held on February 10,2020 and approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 10,2020. Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have carried out the Limited Review and the Limited Reviewed Report has been approved by the Board.

3 Previous quarter/nine months figures have been regrouped/restated wherever necessary.

Key Standalone financial information is given below: (Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	526.76	1,395.36	495.64
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	69.14	182.56	49.98
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	52.71	139.42	34.48

For Sheela Foam Limited
Sd/-
(Rahul Gautam)
Chairman and Managing Director

Noida, February 10, 2020

SHEELA FOAM LIMITED Regd. office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, New Delhi-110092 • Corporate Office: 37/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201010 • Tel: 0120-4162200, Fax:0120-4162282 • Web: www.sheelafoam.com • CIN L74899DL1971PLC005679

Sleepwell

EK KOSHISH,
MAA JAISA AARAM DENE KI...

A Sheela Foam Product
www.sleepwellproducts.com • Toll Free: 1800 103 6664

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 89 of 2019 दिनांक 02-08-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 22.11.2019 मेमो न.: ZP-1351/AD(RA)/2019/28677, हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 77 of 2019 दिनांक 31.12.2019
3. स्थान	सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 720 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE-01	172	581.396	83.873	23,67,520	1,18,376	4,73,504
2BHK TYPE-02	300	588.586	85.176	23,96,933	1,19,847	4,79,387
2BHK TYPE-03	172	598.220	86.801	24,36,281	1,21,814	4,87,256
2BHK TYPE-04	40	590.169	84.906	24,03,128	1,20,156	4,80,626
2BHK TYPE-05 (MQ)	2	588.263	89.653	23,97,880	1,19,894	4,79,576
2BHK + STORE (MQ)	34	645.345	123.560	26,31,379	1,31,569	5,26,276

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर SignatureGlobal (India) Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053–121–121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 25.02.2020. यह परियोजना आम जनता के लिए 11.01.2020 पर खोली गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2020 थी, जिसे आगे 25.02.2020 तक बढ़ा दिया गया है iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

पात्रता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

RERA
SIGNATURE GLOBAL Proxima I
SECTOR-37, GURUGRAM

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787
Regd. Office: Unit No. 1304 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS | ICICI Bank Home Loans | YES BANK | ICICI Home Finance

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF ₹2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.

7053-121-121

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस न./वर्ष – 121 of 2019 दिनांक 14-09-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 26.12.2019 मेमो न.: ZP-1359/AD(RA)/2019/31954, हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 02 of 2020 दिनांक 03.01.2020
3. स्थान	सेक्टर 89, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 4.73125 एकड़ में कुल 690 अपार्टमेंट में से 690 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी–सह–क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	163	581.396	83.873	23,67,520	1,18,376	4,73,504
2BHK TYPE -02	327	588.586	85.176	23,96,933	1,19,847	4,79,387
2BHK TYPE -03	164	598.220	86.801	24,36,281	1,21,814	4,87,256
2BHK TYPE -04	2	588.263	89.653	23,97,880	1,19,894	4,79,576
2BHK+STORE (MQ)	34	645.345	123.560	26,31,379	1,31,569	5,26,276

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 6 महीने की बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2020 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Infrabuild Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053–121–121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 25.02.2020. यह परियोजना आम जनता के लिए 11.01.2020 पर खोली गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2020 थी, जिसे आगे 25.02.2020 तक बढ़ा दिया गया है iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

पात्रता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

RERA
SIGNATURE GLOBAL Proxima II
SECTOR-37, GURUGRAM

SIGNATURE INFRABUILD PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2013PTC247676
Regd. Office: Unit No. 1310 At 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS | ICICI Bank Home Loans | YES BANK | ICICI Home Finance

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF ₹2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website https://haryanarera.gov.in/. Journey time shown, if any, is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable, T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. **The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.

7053-121-121

ऐ भाई...

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मंडी हाउस से संसद तक मार्च निकाला गया।

जानकारी देने वाले को एक लाख का इनाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

सोलह दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास के इलाकों में हुई हिंसा और आगजनी के आरोपियों की पहचान बताने वाले को एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त की ओर से इस इनामी राशि की घोषणा की गई है।

ऑनलाइन परीक्षाओं की याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसून सेमेस्टर में 'ऑनलाइन ओपन बुक' या 'घर से परीक्षा' देने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दो याचिकाओं के संबंध में जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई छह अगस्त को होगी।
अदालत ने कहा कि फिलहाल परीक्षाएं बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द स्कूल्स और विशेष सेंटरों की बैठक में तय किए गए प्रमुख बिंदुओं के हिसाब से ही होंगी क्योंकि मानसून सेमेस्टर को जल्द से जल्द पूरा करना है। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं का संज्ञान लिया। याचिका में पूछा गया है कि क्या जेएनयू परीक्षाएं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए ले सकता है जिसकी जांच अदालत द्वारा किए जाने की जरूरत है।

ट्रॉमा सेंटर में विशेष प्रयोगशाला शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

सोमवार को ट्रॉमा सेंटर में नए इमरजेंसी वार्ड व शोध के लिए विशेष लैब की शुरुआत की गई। इससे एम्स ट्रॉमा सेंटर में हादसा पीड़ितों के इलाज की सुविधाएं बढ़ी है। साथ ही शोध भी बढ़ेगा। ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉ राजेश मल्होत्रा ने कहा कि नए इमरजेंसी वार्ड में 13 बेड की सुविधा की गई है। जल्द ही इसमें सीटी स्कैन और एक माइनर ऑपरेशन थियेटर (ओटी) भी है। इस वार्ड में हादसों में जख्मी ऐसे पीड़ितों का इलाज होगा जिनके जीवन को खतरा नहीं होगा। इसलिए इसे ग्रीन एरिया नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में करीब दो तिहाई ऐसे हादसा पीड़ित इलाज के लिए पहुंचते हैं जिन्हें ग्रीन एरिया में रखने की जरूरत होती है।

लूटपाट का विरोध करने पर युवक को चाकू मारा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

मधु विहार थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया। घटना के दौरान युवक अपने भाई के साथ पार्क से घर लौट रहा था। बेखौफ बदमाश भाईयों से मोबाइल फोन और ब्लूटूथ लूटकर मौके से फरार होने लगे। इसी बीच घायल के भाई ने एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक रोहित शर्मा (24) को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

ठंड बढ़ने की संभावना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत अभी भी सर्द मौसम की चपेट में है। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में पहाड़ों में बारिश के आसार है जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। इस बीच तेज हवा भी चलेगी।

दिल्ली की महिलाओं ने मिटाया मतदान का अंतर

आशीष दुबे
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

मतगणना के बाद मंगलवार को जारी होने वाले परिणाम में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस इलाके या कौन से वर्ग का किसको समर्थन है। इसमें आंकड़े में सबसे महत्त्वपूर्ण इस बार महिलाओं की भागीदारी मानी जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला और पुरुषों की मतदान में लगभग एक जैसी भागीदारी रही है। प्रत्याशी की जीत से पता चलेगा कि महिलाओं से किस दल को फायदा पहुंचा है।

आठ फरवरी को हुए चुनाव में आरक्षित, मुसलिम बाहुल्य समेत अन्य क्षेत्रों में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। जिसके चलते महिला और पुरुषों के बीच मतदान का आंकड़ा इस बार 2015 के मुकाबले काफी कम हुआ है। हालांकि आप सरकार ने महिलाओं को बस में मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। वहीं, भाजपा ने मुसलिम महिलाओं के लिए तीन तलाक विरोधी बिल लाकर एक वर्ग की महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। अलबत्ता सीएए और शाहीन बाग के कारण उस वर्ग में भाजपा को महिलाओं का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है।

राजनैतिक जानकारों के अनुसार इस चुनाव में चुनिंदा मुद्दों को छोड़कर महिलाएं हार-जीत के लिए किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 925483 मत पड़े। जिसमें 8103236 पुरुष और 4178841 महिला मतदाता ने भाग लिया।

मत फीसद से बढ़ा कांग्रेस का जोश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली का सियासी दंगल भले ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भाजपा की बीच लड़ा गया हो। लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले कांग्रेसी भी सत्ता पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राजधानी के अल्पसंख्यक बहुल और सुरक्षित विधानसभा सीटों पर हुए भारी मतदान का फायदा उनका मिल सकता है।

अल्पसंख्यक और सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस को अपने पक्ष में वोट पड़ने की उम्मीद **कांग्रेस** प्रवक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल से ठीक उलट होगा चुनाव के परिणाम

इंतजार

आंकड़ों पर नजर डालें तो बल्लीमारान में (71.58 फीसद), सीलमपुर (71.22 फीसद), मुस्तफाबाद (70.55 फीसद), गोकलपुर (70.51 फीसद) और मटिया महल में (70.38 फीसद) शामिल हैं। इनमें से तीन विधानसभा क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, दो चांदनी चौक लोकसभा सीट में पड़ते हैं। इन पांच विधानसभा सीटों में से बल्लीमारान, सीलमपुर और मटिया महल में अल्पसंख्यक मतदाता सबसे ज्यादा हैं। वहीं मुस्तफाबाद में भी इन वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। इसके साथ ही ओखला विधानसभा सीट पर भी 58.84 फीसद मतदान हुआ है।

वहीं, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, बवाना, कोंडली, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, मादीपुर, देवली, आंबेडकर नगर, करोल बाग, पटेल नगर विधानसभा की सीटें सुरक्षित हैं। इन सीटों पर भी बंपर मतदान हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस मान कर चल रही है कि सुरक्षित और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में हुए मतदान का फायदा उन्हें होने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज का कहना है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक बहुल और सुरक्षित सीटों हमेशा से जीत दर्ज करती रही है। इसका मुख्य कारण है कि चाहे अनुसूचित समाज के लोग हो या फिर अल्पसंख्यक हों।

हमेशा से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। हालांकि साल 2014 के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। पर एक बार फिर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पांच साल के शासनकाल में इन दोनों समुदाय के लोगों को भला नहीं हुआ है। यही कारण है कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और कई सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं। हालांकि, यह तो आज आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा कि बढ़े मतदान प्रतिशत किसके लिए फायदेमंद साबित होता है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोलीं शाहीन बाग की महिलाएं

हमारा मकसद परेशान करना नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि स्थानीय लोगों को इस धरने से कोई परेशानी नहीं है। महिलाओं का साथ देने के लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग और स्थानीय लोग धरनास्थल पर दिन रात मौजूद रहते हैं। धरने में शामिल शाहिदा अली ने बताया कि जहां तक नोएडा से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों की बात है तो कई अन्य रास्ते खूले हैं, जहां से लोगों का आना-जाना हो रहा है। एंबुलेंस को कभी नहीं रोका गया।

आसपास में रहने वाले लोग भी कुछ दूरी तक पैदल चल कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि देश में सीएए, एनसीआर और एनपीआर की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश में जुटे हैं। धरने पर बैठी बुजुर्ग नसरीन ने कहा कि हमारी किसी को चिंता नहीं है। बच्चों को धरने पर लेकर आने के सवाल के जवाब में नसरीन ने कहा कि यह बच्चों को भी पता चला कि उनके विरुद्ध देश में क्या महौल बनाया जा रहा है। यह कानून पूरी तरह से एक वर्ग विशेष के लिए 'काला कानून' है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

मंडी हाउस पर जमा हुए लोग

मंडी हाउस इलाके में सीएए के खिलाफ विरोध मार्च करने के लिए महिलाओं और छात्रों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां एकत्रित हुए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बजट सत्र चलने के कारण उन्होंने प्रदर्शन मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और जंतर मंतर जाने को कहा था। वहीं मार्च का आह्वान करने वाले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव सिराज तालिब के मुताबिक-हम सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे पास अनुमति थी।

मोहम्मद जुनैद का आरोप है कि धरने पर बैठी महिलाओं को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। कभी कहा जाता है कि बिरयानी बांटी जा रही है। कभी कहा जाता है पैसे लेकर धरने पर बैठ रही हैं। महिलाएं घर का काम धंधा छोड़ धरने में शामिल होती हैं। लंगर से खाना खाती हैं और कई तो अपने साथ लेकर आती हैं। हम बीते दो महीने से किस प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जुनैद ने कहा कि जब तक कानून को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक धरना खत्म होने का सवाल नहीं उठता।

मुस्तैदी मंगलवार को आने वाले चुनाव परिणाम को देखते हुए अटल आदर्श बंगाली गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए मतगणना स्थल पर मुस्तैद दिखी पुलिस।

रैली में लापता बच्चे का शव मिला, परिजनों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

करावल नगर इलाके से चार दिन से लापता सात साल के बच्चे का शव सोमवार सुबह नाले से बरामद हुआ। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने स्थानीय लोगों ने साथ मिलकर पुश्ता रोड़ जाम कर दिया।

पुलिस ने परिजनों व लोगों को समझाकर वहां से हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया। देर शाम को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों को कोई शंका न हो, इसलिए पुलिस ने मृतक के परिजनों को डॉक्टरों से भी मिलवाया। जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट में डूबकर मरने की बात सामने आई है। परिजनों ने बताया कि बच्चा एक चुनावी रैली में शामिल हुआ था जहां से वह नहीं लौटा।

सार्थक (7) वेस्ट करावल नगर में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पिता रामू, मां सुषमा, बड़ा भाई आर्यन और एक छोटा भाई हैं। परिजनों ने बताया कि गत छह फरवरी को घर के पास से एक चुनावी रैली निकल रही थी, सार्थक भी उसमें शामिल हो गया। इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने निकाला मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सोमवार को जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से लेकर जंतर मंतर तक विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली। इसमें एक हजार से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने जनपथ पर काफी समय तक चक्का जाम किया।

संघ के उपाध्यक्ष आलोक रंजन पांडेय ने बताया कि डीयू के शिक्षक 69 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखें हुए हैं लेकिन विवि प्रशासन ने शिक्षक हितों कि लगातार अनदेखी की है। शिक्षक समायोजन, पेंशन की बहाली, पुरानी सेवा को आगे जोड़े जाने, पदोन्नति जैसे मुद्दे को लेकर 69 दिन से आंदोलनरत हैं। यह आवाज देश के संसद तक पहुंचाने और सरकार को नींद से जगाने के लिए रैली निकाली गई थी। अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो पांच दिसंबर को जो चिट्ठी दी थी, उसमें किए गए वादे को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।

एसओएल : राजनीति विज्ञान के छात्रों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के राजनीति विज्ञान के दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों ने सोमवार को पाठ्यक्रम पूरा हुए बिना कक्षाएं खत्म करने के खिलाफ प्रदर्शन किया।

राजनीति विज्ञान के दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं रविवार को खत्म हुई थीं। पाठ्यक्रम पूरा होने से पूर्व कक्षाएं खत्म करने के कारण विद्यार्थियों में भारी चिंताएं थीं। विद्यार्थियों ने प्रशासन के समक्ष बेहद कम कक्षाओं को लेकर चिंताएं जाहिर करते रहे हैं, लेकिन एसओएल ने लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं को अनदेखा किया है। हर साल कम कक्षाएं, घटिया पाठ्य सामग्री और कक्षाओं में अव्यवस्था के कारण विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम अधूरा छूट जाता है, जिस कारण से बहुसंख्यक विद्यार्थी फेल होते हैं।

विद्यार्थियों की कक्षाएं दिसंबर में शुरू की गई थीं। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि विद्यार्थियों की कक्षाएं दो दिन बढ़ाई गई हैं और अतिरिक्त कक्षाओं का भी प्रयास किया जाएगा। क्रांति युवा संगठन मांग करता है कि एसओएल प्रशासन सुनिश्चित करे कि पाठ्यक्रम पूरा होने तक राजनीति विज्ञान कि कक्षाएं चलाई जाएं।

प्रेमिका और उसके पति पर छात्र की हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 फरवरी।

मंगरौली में चार दिन पहले इंजीनियरिंग छात्र की हत्या कथित प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर की थी। थाना जेवर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक का आरोपी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को पता चलने पर दोनों ने मिलकर युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

शनिवार सुबह गांव मंगरौली निवासी विकास (19) का शव गांव में ही उसके घर के पास पड़ा मिला। परिजनों ने विकास की करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई थी। पुलिस ने मृतक के गले मे निशान देखे, जिससे हत्या किये जाने का शक हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू की। साथ ही मृतक के फोन का ब्यौरा भी निकलवाया।

जिसमे पड़ोस की महिला का नम्बर मिला और दोनों के बीच बातचीत किये जाने की बात सामने आई। वहीं, पड़ोसी महिला और उसका पति गांव से भागने की फिराक में लग गए। सोमवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेवर इलाके में खुर्जा अंडरपास से दबोच लिया और पूछताछ की। थाना जेवर के एसएसआई फिरोज खान ने बताया कि मृतक विकास का गांव की ही एक महिला से दो साल से प्रेम प्रसंग था। जब महिला के पति को इसकी जानकारी हुई तो नाराजगी जताते हुए युवक को सचेत किया। आरोप है कि जब पत्नी ने उससे संबंध तोड़ने की बात कही, तो आरोपी युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा।

जिसके बाद पति-पत्नी दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत शुक्रवार रात मृतक को बुलाया और दोनों ने महिला की चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव मृतक के घर के बाहर फेंक दिया था।

तनाव में की बच्चों की हत्या : पुलिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

शालीमार बाग इलाके में सोमवार रात खुदकुशी और हत्या के मामले में शुरुआती जांच में पता चला है कि मधुर नामक युवक बच्चों से अत्यधिक प्यार करता था लेकिन बेरोजगारी से पैदा हुए तनाव ने उसे हैवान बना दिया। सोमवार को ही मधुर ने बच्चों के साथ नाश्ता किया। तब तक परिजन को उसके खौफनाक योजनाओं की भनक नहीं थी लेकिन जैसे ही पत्नी रुपाली बाहर गई उसने अपनी योजना को अंजाम देते हुए खुद हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूद खुदकुशी कर ली।

सोमवार को दिन भर उसके घर पर लोगों के आने का तांता लगा रहा। हर कोई इस घटना से हतप्रभ और चकित नजर आए। जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्या के मुताबिक अभी तक की जांच में मामला सीधे तौर पर तनाव में लिया गया फैसले के रूप में सामने है। पुलिस को पता चला कि इस समय मधुर कोई काम नहीं करता था जबकि रुपाली घरेलू महिला है। ऐसे में दो साल से इस इलाके में रह रहे परिवार को घर का किराए देना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और परिवार का लालन पालन करना एक तनाव भरा काम बन गया था। पड़ोसियों का कहना है कि बेटा श्रेयांश और बेटी समीक्षा के साथ यह परिवार काफी खुश दिखता था लेकिन अंदर खाने की जो समस्या उन्हें थी इसका बहुत ज्यादा भान आसपास के लोगों को नहीं था। निजी कंपनी में मधुर की छह महीने पहले नौकरी चली गई थी। धीरे-धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई।

एम्स में राजकुमारी अमृत कौर नई ओपीडी शुरू

570 कमरों की ओपीडी के छह विशेष विभागों में होगा इलाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सोमवार को नए राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में मरीजों का इलाज शुरू किया गया। 570 कमरों की इस ओपीडी की अत्याधुनिक इमारत में हरेक विभाग की उससे जुड़ी तमाम सुविधाएं भी एक ही तल पर मौजूद हैं। पहले दिन मरीजों को आने जाने को लेकर काफी अफरा तफरी का आलम रहा। हालांकि इमारत में काफी जगह है जिससे आने वाले मरीजों को भीड़ से राहत मिल सकती है।

पहली बार आए मरीज इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड, गार्डों, स्वयंसेवकों या फिर दूसरे मरीजों से मिल रही थी। फिर वे ऑटो या एम्स की शटल सेवा से नई ओपीडी पहुंच रहे थे। इसका प्रवेश द्वार रिंग रोड पर एम्स के गेट नंबर छह को बनाया गया है। इस नई ओपीडी भवन में अभी छह विशेष चिकित्सकीय विभागों को शामिल किया गया है, आगे कुछ और विभाग शामिल किए जाने की योजना है। पुरानी ओपीडी को डॉक्टरों का कार्यालय बनाने के काम में लाया जाएगा। वर्ष 1956 से स्थापित एम्स को अब बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई ओपीडी इमारत मिली है। एक दिन पहले एम्स निदेशक की ओर से इसका उद्घाटन किए जाने के बाद आज पहला दिन था जब इस नई इमारत में मरीजों का इलाज शुरू किया गया। एम्स ओपीडी में आम तौर से आठ से दस हजार मरीज रोजाना आते हैं लेकिन नई इमारत में पहले दिन इसमें अपेक्षा से कम मरीज पहुंचे। मरीजों के लिए पंजीकरण की सुविधा भूतल पर की गई है।

अभी कुछ ओपीडी यहां पर स्थानांतरित कर दी गई है। बाकी ओपीडी महीने भर के अंदर चरणबद्ध तरीके से यहां स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस परिसर में आने के लिए रिंग रोड से गंट नंबर छह को मुख्य मार्ग बनाया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि इसके लिए और रास्ते बनाने की जरूरत होगी तब दक्षिण व पश्चिम दिल्ली की ओर से आने वाले मरीज आसानी से पहुंच पाएंगे। मरीज महेश ने बताया कि वे नहीं वाकिफ थे तो काफी देर तक ढूंढ़ते रहे जब तक पहुंचे तब तक पंजीकरण बंद हो चुका था। एम्स प्रवक्ता का कहना है कि धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

यहां लगेगी ओपीडी

पंजीकरण : भूतल के ए खंड और इ खंड में
मनोरोग, अस्थि रोग : पहला तल ए, बी, सी खंड
काया चिकित्सा विभाग : दूसरे तल के ए, बी खंड
बुजुर्ग रोग विभाग : दूसरे तल के सी खंड
त्वचा रोग विभाग : तीसरे तल पर ए खंड में
अंत:स्रावी ग्रंथि विभाग : तीसरा तल बी, सी खंड

ओपीडी में विशेष

आठ मंजिला इमारत के हर मंजिल पर डॉक्टरों के कांफ्रेंस कक्ष व परामर्श कक्ष हैं। ताकि मरीजों के जटिल मामलों को समझने के लिए जूनियर डॉक्टरों को रेडियोलॉजी या बड़े दूसरे डॉक्टर के पास दूर न जाना पड़े। इसमें वरिष्ठ चिकत्सकों, सीनियर-जूनियर रेजीडेंट के लिए अलग कमरे हैं। शारीरिक रूप से विशेष और कमजोर मरीजों के आवाजाही के अनुकूल डिजाइन है और विशेष शौचालय हैं। शौचालय की संख्या भी अधिक है। मुफ्त शटल सेवा है।

www.readwhere.com

कानूनी सवालों को वृहद पीठ को सौंप सकता है कोर्ट

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी पांच सदस्यीय पीठ सबरीमला मामले में पुनर्विचार के सीमित अधिकार का इस्तेमाल करने के दौरान कानूनी सवालों को वृहद पीठ को सौंप सकती है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था से संबंधित मुद्दों से जुड़े सात सवाल तैयार किए हैं जिन पर नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी। न्यायालय का विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे के बारे में तैयार किए गए इन सवालों पर 17 फरवरी से दैनिक आधार पर सुनवाई करने का विचार है।

सबरीमला मामला

पीठ द्वारा तैयार किए गए सात सवालों में धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा और धार्मिक स्वतंत्रता तथा विभिन्न धार्मिक पंथों की आस्था की स्वतंत्रता के बीच पारस्परिक असर का सवाल भी शामिल है। इसने कहा कि नौ सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और विभिन्न धार्मिक पंथों के अधिकारों के बीच उसकी भूमिका पर भी विचार करेगी। पीठ धार्मिक परंपराओं के संबंध में न्यायिक समीक्षा की सीमा और अनुच्छेद 25(2)(बी) में उल्लिखित 'हिंदुओं के वर्गों' से तात्पर्य के बारे में भी विचार करेगी।

यही नहीं, न्यायालय इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म या धार्मिक पंथ विशेष का सदस्य नहीं होते हुए भी उस धर्म से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं पर जनहित याचिका के माध्यम से सवाल उठा सकता है।

शीर्ष अदालत ने विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि वे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसी के बाद पीठ उन्हें बहस के लिए समय आबंटित करेगी। पीठ ने कहा कि केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता 17 फरवरी को बहस शुरू करेंगे और उनके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन बहस करेंगे।

नौ सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौडर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। विभिन्न धर्मों में महिलाओं के साथ पक्षपात से संबंधित मुद्दों को 14 नवंबर, 2019 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वृहद पीठ को सौंपा था।

सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और विद्यार्थियों में भिड़ंत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में संसद मार्च का आयोजन किया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च को होली फैमिली अस्पताल के पास रोक लिया और इस दौरान पुलिस और विद्यार्थियों की भिड़ंत हो गई। विद्यार्थियों का आरोप है कि पुलिस की ओर से उन पर पानी की बौछार गंदे पानी की थी, जिससे कुछ विद्यार्थी घायल और बीमार हुए हैं। जामिया के विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों के संगठन जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) ने मार्च का आह्वान किया था।

प्रदर्शन खत्म करने के लिए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने की इजाजत नहीं थी। विश्वविद्यालय के आसपास सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने जामिया के गेट नंबर-सात से मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारी 'कागज नहीं दिखाएंगे' और 'जब नहीं डरे हम गोरों से तो क्यों डरे हम औरों से' जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी थीं। हाथों में कई लोग तिरंगा थामे हुए थे और 'हल्ला बोल' के नारे लगा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला भी बनाई।

एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि हम दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया, इसलिए हम उनके पास जाना चाहते हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उनकी धक्का-मुक्की हो गई। कई प्रदर्शनकारी संसद की ओर अपना मार्च जारी रखने के लिए बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया।

PROLEC GE

INDO-TECH TRANSFORMERS LIMITED

Regd. Office : Survey No. 153-210, Illuppapattu Village, Near Rajakulam, Kancheepuram (Dist.) Tamilnadu - 631561

CIN: L29113TN1992PLC022011; Website: www.prolecge.in;
email: investor@prolec-geindia.com; Tel: +91 44 30289854; Fax: 044 37290547

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of Indo Tech Transformers Limited ("Target Company" or "TC" or the "Company") on the Open Offer to the public shareholders of Indo Tech transformers Limited under Regulation 3(1), 4 and applicable provisions of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 ("SEBI Takeover Regulations") by Shirdi Sai Electricals Limited ("Acquirer").

1.	Date	February 10, 2020
2.	Name of the Target Company (TC)	**Indo Tech Transformers Limited**
3.	Details of the offer pertaining to TC	Open Offer made by **Shirdi Sai Electricals Limited ("Acquirer")** to acquire upto 27,24,375 fully paid up Equity Shares representing 25.65% of the total paid up Equity Share Capital of the Target Company pursuant to regulation 3(2) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, and subsequent amendments there to ("Takeover Code"). Offer Price: INR 115.60 per Equity Share, to be paid in Cash, in accordance with the other terms and conditions of Takeover Code.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	**Shirdi Sai Electricals Limited** There are no PACs for the purpose of this Open offer
5.	Name of the Manager to the offer	**Ernst & Young Merchant Banking Services LLP** 14" Floor, The Ruby, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028, India
6.	Members of the Committee of Independent Directors *(Please indicate the chairperson of the Committee separately)*	1. Mr. M S Srinivasan, Chairman 2. Mr. P V Krishna, Member 3. Ms. Tabassum M Wajid, Member
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the Target Company. None of the IDC Members have any contract/ relationship with the Target Company at present
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company since their appointment.
9.	IDC Member's relationship with the the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC members has any relationship with Acquirer at present.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	NA
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC members believe that the Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
12.	**Summary of reasons for recommendation** (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	Based on the review of the Public Announcement (PA) dated December 20, 2019, the Detailed Public Statement (DPS) dated December 28, 2019, the Letter of Offer dated February 05, 2020, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 115.60 offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified.
13.	Details of Independent Advisors, if any.	Grant Thornton India LLP
14.	Any other matter(s) to be highlighted	NIL

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code."

For and on behalf of IDC of Indo Tech Transformers Limited
sd/-
M S Srinivasan
Chairman of IDC

Place : Chennai
Date : February 10, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के एक अस्पताल में सौ से अधिक नवजात बच्चों की मौत के मामले की जांच का अनुरोध करने संबंधी एक याचिका पर राजस्थान सरकार से सोमवार को जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने प्रख्यात चिकित्सक केके अग्रवाल तथा सामाजिक कार्यकर्ता बी मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कोटा के सरकारी अस्पताल में मशीनों के अभाव में नवजात बच्चों की मौत के मामले की जांच की मांग की गई है।

NOTICE TO SHAREHOLDERS

This is only an announcement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not a prospectus announcement. Unless otherwise specified,all capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Draft Letter of Offer dated December 17, 2019 (the "Draft Letter of Offer" or "DLOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

ARVIND FASHIONS

ARVIND FASHIONS LIMITED

Our Company was incorporated as *'Arvind J&M Limited'* on January 5, 2016, as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, at Ahmedabad, Gujarat (the **"RoC"**). Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 26, 2016, the name of our Company was changed to *'Arvind Fashions Limited'* and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on October 14, 2016. For details, including reasons for changes in the name and registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 122 of the DLOF.

Registered Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad – 380 025, Gujarat, India | **Telephone:** +91-79-30138000;
Corporate Office: 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru – 560 001, Karnataka, India
Telephone: +91-80-41550650
Contact Person: B S Vijay Kumar, Company Secretary and Compliance Officer
Email: investor.relations@arvindbrands.co.in | **Website:** www.arvindfashions.com
Corporate Identity Number: L52399GJ2016PLC085595

OUR PROMOTERS

AURA SECURITIES PRIVATE LIMITED, AURA BUSINESS VENTURES LLP, SANJAYBHAI SHRENIKBHAI LALBHAI, JAYSHREEBEN SANJAYBHAI LALBHAI, PUNIT SANJAY LALBHAI, KULIN SANJAY LALBHAI, POORVA PUNIT LALBHAI, JAINA KULIN LALBHAI, ISHAAN PUNIT LALBHAI, ANANYAA KULIN LALBHAI AND RUHANI PUNIT LALBHAI

ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 4 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UPTO ₹ 300 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [●] RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY [●] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [●] (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 288 OF DLOF.

ADDENDUM CUM NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ARVIND FASHIONS LIMITED (THE "COMPANY")

This is in connection with the DLOF filed by the Company with SEBI in relation to the Issue. In connection with participation by the overseas shareholders in the Issue, the following modifications are being made in the chapters titled *"Notice to the Investors"*, *"Risk Factors"* and *"Other Regulatory and Statutory Disclosures"* beginning from pages 9, 21 and 281, respectively, in the following manner.

1. The chapter titled *"Notice to Investor"* beginning from page 8 of the DLOF, shall stand substituted and read as below:

NOTICE TO INVESTORS

"The distribution of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and CAF and the issue of Rights Entitlement and Rights Equity Shares to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession this Draft Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or CAF may come are required to inform themselves about and observe such restrictions. Our Company is making this issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer and CAF only to Eligible Equity Shareholders who have a registered address in India or who have provided an Indian address to our Company. Those overseas Eligible Equity Shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorised representative in India, prior to the date on which we propose to dispatch the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer and CAFs, shall not be sent the Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and CAFs.

*No action has been or will be taken to permit the Issue in any jurisdiction where action would be required for that purpose, except in India. Accordingly, the Rights Entitlements or Rights Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or any offering materials or advertisements in connection with the Issue may not be distributed, in whole or in part, in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer (**"Restricted Jurisdictions"**) and, in those circumstances, this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer must be treated as sent for information purposes only and should not be acted upon for subscription to the Rights Equity Shares and should not be copied or redistributed. Accordingly, persons receiving a copy of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or CAF should not, in connection with the issue of the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, distribute or send this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer to any person outside India where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations. If this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or CAF is received by any person in any Restricted Jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements referred to in this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer. Envelopes containing a CAF should not be dispatched from a Restricted Jurisdiction and all the persons subscribing for the Rights Equity Shares must provide an Indian address. For more details, see "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Selling Restrictions" on page 283.*

Neither the delivery of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, CAF nor any sale hereunder, shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in our Company's affairs from the date hereof or the date of such information or that the information contained herein is correct as at any time subsequent to the date of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer and the CAF or the date of such information.

The contents of this Draft Letter of Offer should not be construed as legal, tax or investment advice. Prospective investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of the purchase or sale of Rights Equity Shares or Rights Entitlements. Accordingly, each investor should consult its own counsel, business advisor and tax advisor as to the legal, business, tax and related matters concerning the offer of Rights Equity Shares. In addition, neither our Company nor the Lead Manager is making any representation to any offeree or purchaser of the Rights Equity Shares regarding the legality of an investment in the Rights Equity Shares by such offeree or purchaser under any applicable laws or regulations.

*The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**), or the securities laws of any state of the United States of America and may not be offered or sold in the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia (**"United States"**), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold only (a) to persons in the United States who are reasonably believed to be qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act (**"U.S. QIBs"**) pursuant to Section 4(a)(2) of the Securities Act and (b) to persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act (**"Regulation S"**). In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares in the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act if such offer or sale is made otherwise than in accordance with an exemption from registration under the Securities Act. The Rights Equity Shares are transferable only in accordance with the restrictions described in "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Transfer Restrictions" on page 284.*

Envelopes containing a CAF should not be postmarked or otherwise dispatched from any Restricted Jurisdiction, and all persons subscribing for the Rights Equity Shares and wishing to hold such Rights Equity Shares in registered form must provide an address for registration of these Rights Equity Shares in India. Any person outside the United States who acquires Rights Entitlements and the Rights Equity Shares shall be deemed to have made the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in "Other Regulatory and Statutory Disclosures – Transfer Restrictions - Persons Outside the United States" on page 285. Any person in the United States who accepts Rights Entitlements or subscribes to the Rights Equity Shares shall be deemed to have made the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Transfer Restrictions - Persons in the United States" on page 284.

Our Company reserves the right to treat any CAF as invalid which: (i) does not include the certifications set out in the CAF; (ii) appears to us or our agents to have been executed in or dispatched from a Restricted Jurisdiction; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes that CAF is incomplete or acceptance of such CAF may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to allot or issue any Rights Equity Shares or Rights Entitlements in respect of any such CAF.

Rights Entitlements may not be transferred or sold to any person outside India.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been approved, disapproved or recommended by the United States Securities and Exchange Commission, any other federal or state authorities in the United States or the securities authority of any other jurisdiction or any other regulatory authority in any jurisdiction. No authority has passed on or endorsed the merits of the Issue or the accuracy or adequacy of this Draft Letter of Offer. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States and may be a criminal offence in other jurisdictions."

2. Under the section titled *"Risk Factors"* beginning from page 21 of the DLOF, following Risk Factors shall stand added after Risk Factor no. 60 and read as below:

"61 - Our Company has not determined whether or not it expects to be classified as a Passive Foreign Investment Company ("PFIC") for U.S. federal income tax purposes the current tax year or future taxable years. If our Company is classified as a PFIC, there are adverse United States federal income tax consequences for U.S. investors.

Our Company not determined whether or not it expects to be classified as a PFIC for U.S. federal income tax purposes for the current tax year or future taxable years. It is possible that our Company may be considered to be a PFIC for the current or any future taxable year. The determination of whether our Company is a PFIC is a factual determination made annually based on various facts and circumstances and thus is subject to change, and the principles and methodology used in determining whether a company is a PFIC are subject to interpretation. In general, our Company will be classified as a PFIC for any taxable year in which either (1) at least 75% of our gross income is passive income, or (2) at least 50% of the value (determined on the basis of a quarterly average) of our assets is attributable to assets that produce or are held for the production of passive income. For the purposes of determining whether our Company is a PFIC, our Company will be treated as owning its proportionate share of the assets and earning its proportionate share of the income of any other corporation in which it owns, directly or indirectly, 25% or more (by value) of the stock.

If our Company is classified as a PFIC, U.S. holders of the Equity Shares may suffer adverse tax consequences, including having gains realised on the sale of the Equity Shares treated as ordinary income, rather than capital gain, the loss of the preferential rate applicable to dividends received on the Equity Shares by individuals who are U.S. holders, having interest charges apply to distributions by our Company and the proceeds of sales of Equity Shares and additional reporting requirements. We do not plan to provide to U.S. holders of Equity Share the information needed to report income and gain pursuant to a "qualified electing fund" election, which election would alleviate some of the adverse tax consequences of PFIC status, and we make no undertaking to provide such information in the event that we are a PFIC.

United States investors are urged to consult their tax advisers about the application of the PFIC rules to our Company and the Equity Shares as well as the application of other United States federal tax rules to their particular circumstances as well as the state and local, foreign and other tax consequences to them of the purchase, ownership and disposition of Equity Shares.

62 - Fluctuations in the exchange rate between the Rupee and other currencies could have an adverse effect on the value of the Equity Shares in those currencies, independent of our results of operations.

The Rights Equity Shares will be quoted in Rupees on the Stock Exchanges. Any dividends in respect of our Equity Shares will be paid in Rupees. Any adverse movement in currency exchange rates during the time it takes to undertake such conversion may reduce the net dividend received by investors. In addition, any adverse movement in currency exchange rates during a delay in repatriating the proceeds from a sale of Equity Shares outside India, for example, because of a delay in regulatory approvals that may be required for the sale of Equity Shares, may reduce the net proceeds received by investors. The exchange rate between the Rupee and other currencies (such as the U.S. dollar and the Singapore dollar) has changed substantially in the past and could fluctuate substantially in the future, which may have an adverse effect on the value of our Equity Shares and returns from the Equity Shares in foreign currency terms, independent of our results of operations."

3. Under the chapter titled *"Other Regulatory and Statutory Disclosures"* beginning from page 281 of the DLOF, paragraph titled *"Selling Restrictions"* shall stand substituted and read as below:

"Selling Restrictions

This Draft Letter of Offer is solely for the use of the person who has received it from our Company or from the Registrar. This Draft Letter of Offer is not to be reproduced or distributed to any other person.

The distribution of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer Abridged Letter of Offer and CAF and the issue of Rights Entitlements and Rights Equity Shares to persons in jurisdictions outside India is restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer and CAF may come are required to inform themselves about and observe such restrictions. Our Company is making this issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer, the Entitlement Letter and CAF only to Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company.

No action has been or will be taken to permit the Issue in any jurisdiction, or the possession, circulation, or distribution of this Draft Letter of Offer, the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer or any other material relating to our Company, the Rights Equity Shares or Rights Entitlement in any jurisdiction, where action would be required for that purpose, except that this Draft Letter of Offer has been filed with SEBI and the Stock Exchanges.

Accordingly, the Rights Entitlement or Right Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and this Draft Letter of Offer or any offering materials or advertisements in connection with the Issue may not be distributed or published in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of this Draft Letter of Offer will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer i.e. Restricted Jurisdictions.

This Draft Letter of Offer and its accompanying documents are being supplied to you solely for your information and may not be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose, except that nominees and agents may forward this Draft Letter of Offer and its accompanying documents to beneficial owners of Equity Shares in compliance with the terms and conditions set forth in this Draft Letter of Offer. If this Draft Letter of Offer is received by any person in any jurisdiction where to do so would or might contravene local securities laws or regulation, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements. Investors are advised to consult their legal counsel prior to applying for the Rights Entitlement and Rights Equity Shares or accepting any provisional allotment of Rights Equity Shares, or making any offer, sale, resale, pledge or other transfer of the Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

Our Company reserves the right to require a person in any jurisdiction not listed below to give it an opinion of legal counsel that the purchase of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares by such person in accordance with the terms of this Draft Letter of Offer Document was in accordance with the laws of such jurisdiction.

In the event you do not meet the criteria and requirements laid down under "Selling Restrictions" and in the other terms of this Draft Letter of Offer, you are not qualified to apply to subscribe for the Rights Entitlements or Rights Equity Shares.

Singapore

*This Draft Letter of Offer has not been and will not be registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore (**"MAS"**) under the Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore (**"SFA"**). The offer of Rights Entitlements and Rights Equity Shares to Eligible Equity Shareholders in Singapore is made in reliance on the offering exemption under Section 273(1)(cd) of the SFA. The Rights Entitlements may not be renounced to a person in Singapore.*

United States of America

The Rights Entitlements and Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold only (a) to Eligible Equity Shareholders in the United States who are reasonably believed to be U.S. QIBs pursuant to Section 4(a)(2) of the Securities Act and (b) to persons outside the United States in reliance on Regulation S. The Rights Entitlements may not be renounced to a person in the United States.

Transfer Restrictions

Persons in the United States

Each person accepting the Rights Entitlements and subscribing to the Rights Equity Shares in the United States shall be deemed to have represented, warranted, agreed and acknowledged as follows:

- *The Rights Entitlements and Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state of the United States and that the offer of the Rights Entitlements and the offer and sale of the Rights Equity Shares to it is made in reliance on an exemption from the registration requirements of the Securities Act provided by Section 4(a)(2) of the Securities Act and applicable state securities laws.*
- *It is a U.S. QIB and accepted the Rights Entitlements and subscribed to the Rights Equity Shares for its own account or for the account of one or more U.S. QIBs, each of which is acquiring beneficial interests in the Rights Entitlements and Rights Equity Shares for its own account.*
- *It did not accept the Rights Entitlements or subscribe to the Rights Equity Shares as a result of any general solicitation or general advertising (within the meaning of Rule 502(c) under the Securities Act).*
- *The Rights Equity Shares are "restricted securities" within the meaning of Rule 144(a)(3) under the Securities Act and it shall not deposit such Equity Shares into any unrestricted depository facility established or maintained by any depository bank.*
- *It will not offer, sell or transfer the Rights Entitlements except in India in a transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S.*
- *It subscribed to the Rights Equity Shares for investment purposes and not with a view to the distribution or resale thereof. If in the future it decides to offer, sell, pledge or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares, it shall only offer, sell, pledge or otherwise transfer such Equity Shares (a) outside the United States in a transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S and in accordance with all applicable laws of any other jurisdiction, including India or (b) in the United States pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws and it agrees to that if the Rights Equity Shares are still are "restricted securities" within the meaning of Rule 144(a)(3) under the Securities Act, it shall notify the purchaser of such Equity Shares of the transfer restrictions set forth herein and that it will require each such purchaser to agree, for the benefit our Company, to notify any subsequent purchasers of such transfer restrictions.*
- *It shall hold our Company and the Lead Manager harmless from any and all costs, claims, liabilities and expenses (including legal fees and expenses) arising out of or in connection with any breach of these representations, warranties or agreements. The indemnity set forth in this paragraph shall survive the resale of the Rights Equity Shares.*
- *If it accepted the Rights Entitlements and subscribed to the Rights Equity Shares as fiduciary or agent for one or more investor accounts, it has sole investment discretion with respect to each such account and it has full power to make the representations, warranties, agreements and acknowledgements herein.*
- *If it accepted the Rights Entitlements and subscribed to the Rights Equity Shares for one or more managed accounts, it is authorised in writing by each such managed account to subscribe to the Rights Equity Shares for each managed account and to make (and it hereby makes) the representations, warranties, agreements and acknowledgements herein for and on behalf of each such account, reading the reference to "it" to include such accounts.*
- *It acknowledges that our Company, the Lead Manager and their respective affiliates, directors, officers, agents, employees, advisors and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations, warranties, acknowledgments and agreements.*

Persons outside the United States

Each person accepting the Rights Entitlements and subscribing to the Rights Equity Shares outside the United States shall be deemed to have represented, warranted, agreed and acknowledged as follows:

- *It is entitled to accept the Rights Entitlement and subscribe to the Rights Equity Shares under the laws of all relevant jurisdictions that apply to it and that it has fully observed such laws and has complied with all necessary formalities to enable it to accept the Rights Entitlements and subscribe to the Rights Equity Shares;*
- *it was outside the United States at the time the offer of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares was made to it and it was outside the United States when its buy order for the Rights Entitlements (if applicable) and the Rights Equity Shares was originated;*
- *it did not accept the Rights Entitlements or subscribe to the Rights Equity Shares as a result of any "directed selling efforts" (as defined in Regulation S);*
- *the Rights Entitlements and Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities law of any state of the United States and that the offer of the Rights Entitlements and and the offer or sale of the Rights Equity Shares to it is made in reliance on Regulation S.*
- *that it will not offer or sell the Rights Entitlements except in India in a transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S and (b) that it will not offer or sell the Rights Equity Shares except in a transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S or pursuant to any other available exemption from registration under the Securities Act and in accordance with all applicable securities laws of the states of the United States and any other jurisdiction, including India;*
- *if it acquired any of the Rights Entitlements or Rights Equity Shares as fiduciary or agent for one or more investor accounts, it has sole investment discretion with respect to each such account and that it has full power to make the foregoing representations, warranties, acknowledgements and agreements on behalf of each such account;*
- *it shall indemnify and hold our Company and the Lead Manager harmless from any and all costs, claims, liabilities and expenses (including legal fees and expenses) arising out of or in connection with any breach of these representations, warranties or agreements. It agrees that the indemnity set forth in this paragraph shall survive the resale of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares; and*
- *it acknowledges that our Company, the Lead Manager and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations, warranties and acknowledgements."*

The DLOF shall be read in conjunction with this Notice. The information in this Notice supplements the DLOF and the DLOF accordingly stands amended to the extent stated herein above. Relevant changes will be reflected in the Letter of Offer as and when filed with Securities and Exchange Board of India and the Stock Exchanges.For further details, please refer to the DLOF.

For **ARVIND FASHIONS LIMITED**
Sd/-
B S Vijay Kumar
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: February 7, 2020

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a DLOF with the Securities and Exchange Board of India. The DLOF is available on the website of SEBI at www.sebi.com and website of the Lead Manager at www.vivro.net. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the DLOF including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the DLOF in making investment decisions.This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.*

Raka

www.readwhere.com

जनसत्ता

विरोध की राह

एक लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी मसले पर असहमति जताने या विरोध प्रदर्शन करने का हक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन किन्हीं हालात में जब ऐसे प्रदर्शनों का क्रम लंबा खिंचता है तो कुछ हलकों से उससे होने वाली असुविधाओं पर सवाल उठने लगते हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले करीब दो महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इनमें राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन चूंकि इस प्रदर्शन की वजह से वहां की सड़कें बाधित हैं और लोगों की सामान्य आवाजाही संभव नहीं हो पा रही है, इसलिए कुछ लोग प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद रास्ता खोलने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो यह मामला अदालत में भी पहुंच गया है। इस मसले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई दखल देने से तो इनकार किया, लेकिन कुछ अहम राय जाहिर की है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते; अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो ऐसा एक निर्धारित स्थान पर होना चांहिए।

अदालत ने एक तरह से काफी दिनों से बाधित सड़क यातायात को लेकर चिंता जताई है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा एकपक्षीय नहीं हो सकता। हालांकि असुविधा का सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर विचार करने के साथ-साथ अदालत ने प्रदर्शनकारियों के विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी यह कह कर सुरक्षित रखा कि एक कानून और इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद लोग विरोध कर रहे हैं तो भी ऐसा करने का उन्हें हक है! जाहिर है, अदालत ने फिलहाल बीच का रास्ता अपनाया है। यों भी न्याय एक प्रक्रिया के तहत ही सुनिश्चित होता है और सुप्रीम कोर्ट की यह राय स्वाभाविक है। इसमें दोनों पक्षों के लिहाज से जरूरी तकाजों के साथ-साथ अदालत ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे का भी खयाल रखा है और यह स्वागतयोग्य है। लेकिन यह मुद्दा अब जिस तरह देशव्यापी महत्त्व का हो चुका है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है, इसलिए इस पर सभी का पक्ष सुने बिना कोई फैसला सुनाना उचित नहीं होता। इसलिए अदालत ने इस मसले पर सुनवाई की अगली तारीख सत्रह फरवरी तय की है।

गौरतलब है कि दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी आशंकाओं के मद्देनजर अपना विरोध प्रदर्शन बीते करीब दो महीने से जारी रखा हुआ है। चूंकि यह प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क पर ही चल रहा है, इसलिए वहां से वाहनों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बाधित है। केवल स्कूल बस और एंबुलेंसों के लिए रास्ता खुलता है। लेकिन इस सड़क से रोजाना लाखों लोगों का दिल्ली और नोएडा के बीच आना-जाना होता रहा है और सड़क बंद होने की वजह से असुविधा हो रही है। इसका दबाव दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले दूसरे रास्तों पर भी पड़ता है और लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। दूसरी ओर, यह भी सही है कि देश के नागरिक अगर किसी मसले को लेकर आशंकित हैं तो उस पर विरोध जताना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में अब लोगों की नजरें अदालत की ओर ही टिकी रहेंगी कि पर्याप्त विचार के बाद उसकी ओर से क्या निर्देश जारी किया जाता है, ताकि सबको अपना हक सुनिश्चित होता लगे।

आपराधिक अराजकता

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छह फरवरी की शाम छात्राओं के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ और मारपीट जैसी जो दहला देने वाली घटना सामने आई है, वह इस बात का प्रमाण है कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं जरा भी सुरक्षित नहीं हैं। जब किसी कॉलेज परिसर में अराजक तत्त्व घुस कर आतंक मचा दे रहे हैं तो बाहर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा शर्मनाक तो यह कि घटना के चार दिन बाद यानी दस फरवरी को पुलिस ने इस मामले में एफआइआर दर्ज की। क्या इतनी ही 'चौकन्नी' है दिल्ली पुलिस! गार्गी कॉलेज में उस दिन सालाना उत्सव चल रहा था और बड़ी संख्या में छात्राएं शिरकत कर रही थीं। कहने को कॉलेज के बाहर और भीतर सुरक्षा व्यवस्था भी थी, जैसी कि सामान्य तौर पर लड़कियों के कॉलेजों में होती है। पर उसके बाद भी बड़ी संख्या में नौजवान कॉलेज के भीतर घुस आए और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, कइयों से मारपीट और अश्लील हरकतें की गईं। जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रही छात्राओं को पीछा करके उत्पीड़ित किया गया।

यह घटना दर्शाती है कि कानून-व्यवस्था की रखवाली का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस अराजक तत्त्वों के सामने घुटने टेके हुए है। अगर ऐसा नहीं है तो आखिर कौन-सी मजबूरी रही कि चार दिन तक पुलिस को इस घटना की 'भनक नहीं लगी' और उसने कोई संज्ञान नहीं लिया? वह इसी इंतजार में बैठी रही कि छात्राएं और कॉलेज प्रशासन चल कर आए और शिकायत दर्ज कराए, तभी कार्रवाई होगी। इस घटना को लेकर जिस तरह के वीडियो और जानकारियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वे इसकी भयावहता को बताती हैं। नशे में धुत उत्पाती लोग हैवानियत करते रहे और कॉलेज प्रशासन सोता रहा। जैसा कि खबरों में सामने आया है, इस घटना के वक्त प्राचार्य कॉलेज में ही थीं। कुछ सहमी छात्राओं ने जब उन्हें इस हुड़दंग की जानकारी दी तो प्राचार्य ने जो जवाब दिया, वह बेहद शर्मनाक है। छात्राओं के मुताबिक प्राचार्य ने उनसे कहा कि जब डर लग रहा है तो फेस्ट में आई ही क्यों हो! सवाल है कि जिस प्राचार्य पर पूरे कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनका क्या इस तरह का रवैया होना चाहिए था? हुड़दंगी लोग कॉलेज का गेट तोड़ कर घुस आएं और कोई कार्रवाई न हो, यह हैरानी की बात है। क्या इस घटना की उसी दिन रिपोर्ट कराने की कॉलेज प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी?

अगर छात्राओं ने इस घटना को रविवार को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर साझा नहीं किया होता तो शायद इसकी कहीं खबर नहीं नजर आती, न ही सोमवार को लोकसभा में यह मामला उठता। हालांकि अब दिल्ली महिला आयोग भी जागा है और कॉलेज प्रशासन व दिल्ली पुलिस को समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए नोटिस भी भेजा है। दिल्ली के कॉलेजों में सालाना उत्सव के दौरान कुछ घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन उनसे सबक लेना जरूरी नहीं समझा गया। गार्गी कॉलेज की घटना राजधानी की कानून-व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न-चिह्न इसलिए भी है कि दिल्ली में पूरा सत्ता-तंत्र मौजूद है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस और निगरानी कैमरे लगे होने का दावा किया जाता है। इसके बाद भी अपराधी अगर बेखौफ रहते हैं तो यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्हें कहां से सुरक्षा और शह मिल रही है? फिर यह समूचे समाज और देश को सोचने की जरूरत है कि गार्गी कॉलेज में लड़कियों पर हमला करने वाली भीड़ में कौन शामिल है और उसके वैसा बनने का स्रोत क्या है!

कल्पमेधा

किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है।
-वाल्तेयर

बजट और गांव की जेब

सुविज्ञा जैन

ज्यादातर किसानों के लिए कर्ज कोई सहूलियत नहीं, बल्कि बोझ बनता जा रहा है। कर्ज को सूद समेत चुकाना पड़ता है। किसी उत्पादक वर्ग का उत्थान उसे कर्ज देकर नहीं, उसके उत्पाद के लिए सही दाम और नए बाजार तैयार करके ही किया जा सकता है। लेकिन इस बजट में न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र था, न ही कृषि उत्पाद की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी का प्रबंध दिखा।

इस बार का बजट देश में भारी आर्थिक सुस्ती के बीच आया। जाहिर है, बजट की समीक्षाएं बारीकी से किए जाने की आवश्यकता है। उद्योग जगत ने शेयर बाजार के जरिए बजट के दिन ही कुछ प्रतिक्रिया जरूर दे दी थी, लेकिन कृषि क्षेत्र की तरफ से बजट पर बहुत ही कम टीका-टिप्पणी देखने को मिली है। भले ही जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता जा रहा हो, लेकिन इस हकीकत को कोई नहीं नकार सकता कि देश आज भी कृषि प्रधान है। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि कर्म पर निर्भर है। इसीलिए गांव और किसान राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं और इसीलिए बजट में किसान, खेती और गांव का जिक्र कभी भी नहीं छूटता। रस्म के तौर पर ही सही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चिंता हर बजट में होती ही है। इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र पर ध्यान कितना है, इसे कम से कम सरसरी तौर पर तो देखा ही जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र पर अलग से बात करने के पहले यह जान लेना उचित होगा कि बजट पेश होने के पहले आर्थिकी के जानकार क्या कह रहे थे। यह निर्विवाद है कि कई तिमाहियों से आर्थिक सुस्ती का माहौल बना हुआ है। चिंता बाजार ठंडा पड़ते जाने की थी। यह धारणा भी बन गई थी कि देश में उपभोक्ता कमजोर पड़ गया है, यानी बाजार में मांग नहीं है। इसीलिए बजट के पहले सुझाव आ रहे थे कि देश के अधिकतम लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने का उपक्रम होना चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञों ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा के सामान की खपत एकदम कम होने लगी है। इसी बीच, त्वरित उपभोग की वस्तुओं की खपत कम होने की खबरें सामने आईं। तभी यह कहा जाने लगा था कि किसी भी तरह से हो, गांवों तक, किसानों तक, खेतिहर मजदूरों तक पैसा पहुंचाने की तत्काल आवश्यकता है। यह आपात स्थिति गांव या किसान की बदहाली के मद्देनजर नहीं, बल्कि इस चिंता में थी कि आर्थिक सुस्ती के मारे उद्योग-व्यापार बैठते जा रहे हैं। यह एक नया ज्ञान था कि आर्थिक सुस्ती का बड़ा कारण अधिसंख्य लोगों यानी गांव, किसान और खेतिहर मजदूरों की बदहाली है। इसीलिए बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार बजट में गांव और किसान तक भरपूर पैसा पहुंचाया जाता दिखेगा।

लेकिन वैसा होता दिखा नहीं। करीब तीस लाख करोड़ के खर्च वाले बजट में दो लाख तिरासी हजार करोड़ रुपए गांव और किसान के लिए रखे गए हैं। यह रकम बजट की कुल रकम की दस फीसद से भी कम है। अब यह अलग बात है कि किसानों को कर्ज दिलाने के लिए कोई पंद्रह लाख करोड़ का एक आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है। किसानों को कर्ज दिलाने के लिए ऐसा ही एक आंकड़ा पिछले साल भी दिखाया गया था। लेकिन अभी ज्यादा पता नहीं है कि किसानों के लिए कर्ज बढ़ाने का प्रबंध किस स्थिति में है और उसके नतीजे क्या आ रहे हैं।

कुल मिलाकर विशेषज्ञ प्रश्न एक ही बना हुआ है कि गांव तक और किसान की जेब तक पैसा कैसे पहुंचे? वैसे इसका जवाब मुश्किल होना नहीं चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं कि ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए राहत का हर काम कृषि सुधार से होकर ही गुजर सकता है। यह तथ्य सभी के सामने है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कृषि अकेला ऐसा क्षेत्र है, जिसका जीडीपी में हिस्सा वक्त के साथ गिरता गया है और वह भी तब जब कृषि उत्पादन हर साल रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है। क्या इस बात पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि कृषि उत्पादन बढ़ते चले जाने के बावजूद अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कम क्यों होता जा रहा है? वैसे पहली नजर में इसका एक सीधा-सीधा कारण दिखता है कि कृषि उत्पाद के दाम उस रफ्तार से नहीं बढ़े, जिस रफ्तार से औद्योगिक उत्पादों के दाम बढ़े।

यानी कृषि सुधार का सबसे पहला काम यह था कि कैसे भी हो किसानों की जेब तक ज्यादा रकम पहुंचे, ताकि जो आमदनी उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री से नहीं हो पा रही है, उसकी भरपाई हो। इससे उनके जीवनयापन में मदद तो होती ही, साथ ही उनकी व्यय शक्ति भी बढ़ती। इससे अर्थव्यवस्था का चक्का घूमता।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि का जिक्र तो अच्छा-खासा था, लेकिन बजट में जो प्रावधान किए गए, वे सभी दूर की बात लगे। विशेषज्ञ और विश्लेषकगण गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि तात्कालिक राहत पर इस बजट में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बजट में कृषि सुधार के नाम पर बहुप्रचारित नुक्ता सोलह सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र है। इनमें सबसे बड़ा सूत्र है- कृषि कर्ज के रूप में किसानों के लिए पंद्रह लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराने का आश्वासन। इस सूत्र की समीक्षा हो तो इस बात पर जरूर ध्यान जाएगा कि ज्यादातर किसानों के लिए कर्ज कोई सहूलियत नहीं, बल्कि बोझ बनता जा रहा है। कर्ज को सूद समेत चुकाना पड़ता है। किसी उत्पादक वर्ग का उत्थान उसे कर्ज देकर नहीं, उसके उत्पाद के लिए सही दाम और नए बाजार तैयार करके ही किया जा सकता है। लेकिन इस बजट में न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र था, न ही कृषि उत्पाद की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी का प्रबंध दिखा। पर्याप्त से ज्यादा कृषि उत्पादन वाले देश में कृषि निर्यात अनुदान बढ़ाने या और कोई सीधी मदद भी सोची जा सकती थी।

कुछ विशेषज्ञों ने तात्कालिक उपाय के रूप में किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। लेकिन वह भी नहीं अपनाया गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी देने वाली मनरेगा जैसी योजना के जरिए सरकार चाहती तो गांव तक फौरन पैसे पहुंचा सकती थी। लेकिन हुआ उसका उलट है। पिछले साल के संशोधित अनुमानों के हिसाब से पिछले साल मनरेगा में इकहत्तर हजार दो करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इस साल के बजट अनुमानों में सरकार ने मनरेगा के लिए सिर्फ इकसठ हजार पांच सौ करोड़ का प्रावधान रखा। तरलता बढ़ाने की सख्त जरूरत वाले समय में ऐसे फैसलों का आगा-पीछा समझने में मुश्किलें आ रही हैं।

कृषि सुधार के लिए सोलह-सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र जल्द सड़ने-गलने वाले कृषि उत्पादों मसलन, सब्जियों, मांस-मछली जैसे उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह जल्द पहुंचाने के लिए कृषि रेल का एलान है। यह काम भी तत्काल लागू हो सकने वाला नहीं दिखाई देता, क्योंकि सरकार यह रेल योजना निजी क्षेत्र के साथ मिल कर चलाना चाहती है। निजी भागीदारी की प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता है। इसी तरह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिल कर कृषि उड़ान नाम की एक योजना बनाई जाएगी। फौरन न सही, लेकिन आगे जाकर इन योजनाओं से खाद्य उत्पादों की बर्बादी रोकने में बेशक मदद मिलेगी। अगर कृषि उड़ान योजना सिरे चढ़ी, तो कृषि निर्यात बढ़ाने में कुछ मददगार हो सकती है।

सिंचाई के मद्देनजर पानी की कमी वाले सौ जिलों पर सरकार ने ध्यान लगाने की बात कही है, हालांकि अभी इसकी कोई ठोस रूपरेखा नहीं बताई गई है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने की थी। कृषि के लिए बजट में जो दूसरे एलान किए गए हैं, उनमें पुरानी घोषणाओं का दोहराव ज्यादा है। मसलन, पिछले कुछ साल में खाद्य भंडारण के लिए गोदाम और शीतगृह बढ़ाने की बातें कई बार कही जा चुकी हैं। ऐसे पुराने लक्ष्यों की समीक्षा की दरकार है। इसी तरह, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए 2018 में नई कृषि निर्यात नीति में कई कदम उठाने का जिक्र था, लेकिन तब से आज तक इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली है, इसके आंकड़े सामने नहीं हैं।

संवाद का सन्नाटा

कमल कुमार

घर में सन्नाटा था। देखने गई थी। मिली थी उनसे। बहुत देर तक बात नहीं हो सकी। फिर उन्होंने बताया था अवसाद हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूख भी मर गई है। एक अंधेरा-सा घिर गया है जीवन में। बच्चे दोनों बाहर चले गए थे। दोनों अकेले रह गए थे। पत्नी अवसादग्रस्त थी। पति परेशान थे। यह स्थिति इस एक दंपति की नहीं है। मैंने जाना था कि आज जबकि बुजुर्ग घर में अकेले रह गए हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, यह स्थिति बहुत लोगों की है।

आश्चर्य तब हुआ था जब पता चला कि महज चौदह-पंद्रह वर्ष का एक छात्र अवसाद से पीड़ित था। उसके माता-पिता परेशान थे। मनोचिकित्सक के पास लेकर आए थे। पर क्या यह किशोर बालक अकेला था? यहां भी पता चला कि आज की किशोर और युवा पीढ़ी में भी अवसाद की स्थिति बढ़ रही है। अभी एक सर्वेक्षण के अनुसार जहां अकेले रहने वाले चालीस प्रतिशत बुजुर्ग अवसाद से पीड़ित हैं, वहीं एकल परिवारों में बारह-तेरह प्रतिशत युवा और किशोर अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं। घर में सारी सुविधाएं हैं। बुजुर्गों को उनके बच्चे पैसे भेजते हैं। फोन करते हैं। साल-दो साल में आते भी हैं। घर में युवा और किशोर बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चे जो चाहते हैं, उन्हें मिल जाता है। उनकी मांगें पूरी होती हैं। मां-बाप ने इन्हें सारे सुख दिए हैं। मोबाइल, टीवी, गाड़ी, ड्राइवर है। पर तब भी ये अवसाद से पीड़ित हैं।

मुझे याद है कि हमारी पीढ़ी में घरों में चार-छह बच्चे आम होते थे। अच्छे मध्यवर्ग के परिवारों में मां-बाप उन्हें स्कूलों, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे। सब साथ मिल कर जो बनता था, खाते थे। आपस में लड़ते-झगड़ते, पर खेलते-कूदते थे। शाम होते ही घर से बाहर खेलने के लिए जाते थे। घर में कभी कोई चीज मिलती भी नहीं थी। नाराज होते, पर सब ठीक था। बच्चे बीमार होते थे, पर कभी अवसाद ग्रस्त हुए हों, ऐसा कभी नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ?

दुनिया मेरे आगे

दरअसल, बीच का संवाद खत्म हो गया। पहले मध्यवर्ग में आस-पड़ोस में आने-जाने, लेन-देन, मिल-बैठ कर बतियाने की और घर या बाहर की बातें करना आम बात थी। बालकनी में, छत पर, शाम को बाहर औरतें आपस में बतियाती थीं। हर तरह की- घर, बच्चों, पति की बातें करती थीं। किसी के घर में कोई विशेष व्यंजन बनता तो पड़ोस में दिया जाता। फिर उस पर चर्चा होती। अब ऐसा नहीं रहा। सब अपने में सिमट गए। गांवों में चौपाल होती थी। शाम को सभी वहां इकट्ठे होते थे। बातचीत के अलावा कोई भी समस्या होती तो उसे सबके सामने रखा जाता। समाधान ढूंढ़ा जाता।

गांवों में शहरीकरण हुआ। अब शहरों में विदेशीकरण हो गया। मध्यवर्ग में परिवारों में करीब पचहत्तर प्रतिशत बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं या जा रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे वहीं रहने लगे हैं। पीछे बचते हैं, बुजुर्ग माता-पिता। उनके पास सुविधाओं, पैसों की कमी नहीं। घर में संपन्नता है, पर अकेलापन है। वही अकेलापन उन्हें भीतर से खोखला कर देता है। वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं। पहले घरों में भाई-बहन होते थे। आपस में लड़ते-झगड़ते, कम सुविधाओं में भी प्रसन्न रहते थे। मिल-बांटकर रहते थे। बड़े भाई-बहनों की किताबें और कपड़े छोटे भाई-बहन इस्तेमाल करते थे। अब बच्चों के पास सुविधाएं हैं, संपन्नता है, पर संवाद नहीं। वे अकेले हैं।

एक तरह की 'अड्डेबाजी' या 'मोहल्लेबाजी' भी जरूरी होती है। जहां आपस में मिल-बैठ कर बतियाया जा सके। किसी भी विषय पर बातचीत की जा सके। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं देखती थी कि कुछ लोग सुबह से शाम तक, कुछ दोपहर से देर शाम तक बैठे रहते हैं। ज्यादातर उनमें बुजुर्ग पीढ़ी के लोग हैं। आपस में भिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, चाय पीते हैं। लोदी गार्डन में शाम को घूमते हैं। देर शाम को निकल कर रात को घर पहुंचते हैं।

पहले यह समझ नहीं आता था। पर धीरे-धीरे जाना कि यह संवाद, यह आपस में मिलजुल कर बैठना, बतियाना, चाय-काफी पर चर्चा करना कितना जरूरी है। जीवन की जीवंतता के लिए। यह अकेलेपन से बचा कर रखता है। इस संवाद के अभाव में परिवारों में अवसाद का अंधेरा भर रहा है। जरूरी है कि जैसे भी हो, आपसी संवाद बना रहे। बुजुर्गों को और बच्चों को भी सुबह-शाम पार्क में जाना चाहिए। मिल-बैठ कर आपस में बातचीत करना उन्हें अच्छा लगेगा। मोबाइल के असर से निकलें। आश्चर्य हुआ था यह जान कर कि मॉल में जाने वाले युवाओं में से भी कुछ अकेलेपन से बचने के लिए अवसाद से बचाव के लिए वहां आते हैं। वहां बस इधर-उधर घूम कर, भीड़ का हिस्सा बन कर अच्छा अनुभव करते हैं। जो भी, जैसा भी हो, यह अवसाद की बीमारी महामारी न बने, इसके लिए छोटी-छोटी बातों में, जानकारी और समझदारी से निस्तार पाना संभव है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो अवसाद से मुक्त रख सकती हैं।

पूंजी की सत्ता

देश में आर्थिक विकास दर कितनी ही कम क्यों न हो लेकिन राजनीतिक दलों की आय पर उसका कोई असर नहीं होता है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की 31 अक्तूबर 2019 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में छह राष्ट्रीय दलों की आय में पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 166 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एडीआर ने यह जानकारी दलों की आयकर विवरणी से हासिल की है जिसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को देनी होती है। भारत में वर्तमान में सात राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, भाकपा, माकपा और तृणमूल कांग्रेस हैं। राकांपा ने अभी तक अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक नहीं किया है। छह राष्ट्रीय दलों को वित्त वर्ष 2018-2019 में 3,698 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा आय भाजपा को हुई है। भाजपा को 3,410 करोड़ रुपए मिले हैं जोकि सभी दलों की कुल आय का 65.16 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसे 918 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस को 192 करोड़, माकपा को 100 करोड़, बसपा को 69 करोड़ और भाकपा को सात करोड़ रुपए मिले हैं।

सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है? जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा, चुनाव स्वच्छ हो जाएंगे। राजनीतिक दल आयकर देते नहीं हैं। इस बारे में सूचनाधिकार के जरिए पूछा नहीं जा सकता है। आम आदमी पर कर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं मगर उनके करों को कम करना नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि मध्य वर्ग अपनी फ्रिक खुद कर लेगा। जब राजनीतिक दल कर नहीं देंगे तो सड़कें कैसे बनेंगी? बिजली कहां से आएगी? क्या इन सड़कों पर राजनीतिक दल नहीं चलते हैं? क्या बिजली का इस्तेमाल वे नहीं करते हैं? फिर ऐसा क्यों होता है कि सारी सहूलियतें नेताओं को मिलती जाएं और उन्हें पूरा करने के लिए आम आदमी कर भरता जाए? सरकार और सरकारी एजेंसी न जानना चाहती है और न बताना चाहती है कि देश के 'सेवकों' की संपत्ति में 50 से 250 फीसद तक का इजाफा पांच साल की सत्ता में कैसे हो जाता है?

राजनीतिक दलों की आय का प्रमुख जरिया 'कॉरपोरेट फंडिंग' भी होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉरपोरेट फंडिंग पर पाबंदी की मांग की थी। उनका मानना था कि शेयरधारकों के पैसों पर चलने वाली कंपनियों को दलों को पैसा देने का हक नहीं है। वे 17 अगस्त 1962 को कॉरपोरेट फंडिंग पर रोक के लिए निजी विधेयक भी राज्यसभा में लाए थे हालांकि उसे राज्यसभा में नकार दिया गया। अब सवाल उठता है कि जो सत्ता में रहते हैं उन्हें पैसा खूब क्यों मिलता है? पैसा देने वाले बदले में क्या चाहते हैं? इतने पैसे का राजनीतिक दल करते क्या हैं?

समझ से परे है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को सत्तर लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आज के समय इतनी रकम में यह चुनाव लड़ लिया जाए? महानगरों में महापौर का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी भी करोड़ों रुपए खर्च कर देता है तो फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खर्च का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा, जरूरी है कि राजनीतिक दलों को भी आयकर के दायरे में लाया जाए और उनसे आय के स्रोत और खर्चों का हिसाब मांगा जाए ताकि राजनीतिक दलों के प्रति जनता में भरोसा बना रहे।

● *गौतम एसआर, खंडवा, मध्यप्रदेश*

दूर की कौड़ी

राहुल गांधी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की बातें तो करते हैं लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव जब तक नहीं होगा, तब तक पार्टी को फिर से मजबूत करना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होगा।

● *नवीन थिरानी, नोहर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

विषमता का विकास

हाल ही में ऑक्सफैम ने असमानता रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसके अनुसार, तिरसठ भारतीय अरबपतियों की संयुक्त रूप से कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए जारी केंद्रीय बजट से भी अधिक है और देश में एक फीसद अमीरों के पास सत्तर फीसद आबादी के मुकाबले चार गुना अधिक धन है। यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जहां एक तरफ भारत सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए प्रयासरत है तो दूसरी तरफ आर्थिक असमानता का बढ़ना अपने आप में शोचनीय है। इससे यह कहा जा सकता है कि संसाधन संपन्न और संसाधनहीन के मध्य आर्थिक खाई को बढ़ावा मिला है।

आज अर्थ की अंधी दौड़ ने व्यक्ति को सुख, सुविधा, विलास और स्वार्थ से जोड़ दिया है। इस प्रक्रिया में सारी सामाजिक मान्यताओं, मानवीय मूल्यों को किनारे रख कर धन एकत्रित करने को सफलता का मूल मानक माना जाने लगा है। चंद लोगों के हाथों में समृद्धि को केंद्रित कर भारत को महाशक्ति बनाने का सपना कैसे देखा जा सकता है! हमारे देश में चंद लोगों के पास बहुत सारी पूंजी इकट्ठा होने के बजाय पूंजी का वितरण ऐसा होना चाहिए कि विशाल देश के लाखों लोगों को भी वह आसानी से उपलब्ध हो और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सके।

● *फैजान बेग, नई दिल्ली*

मुफ्त का फंदा

बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस किराया मुफ्त, वाईफाई मुफ्त... ऐसी ही तमाम चीजें मुफ्त परोसने की राजनीति लोगों को मुफ्तखोरी का अभ्यस्त ही बनाएगी। अगर यही सब चलता रहा है तो सरकार की विकास योजनाओं वास्ते धन कहां से आएगा? यह भी संभव है कि कर्मचारियों के वेतन के भी लाले पड़ने लगें। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला की शावेज सरकार का उदाहरण दुनिया के सामने है। उन्होंने भी जनता को तमाम चीजें मुफ्त दीं। पांच-छह साल हर चीज लोगों को मुफ्त मिलती रही। कोई काम न करने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता था। सरकार कच्चा तेल बेच कर अपना और देश का सारा खर्चा चलाती थी। धीरे-धीरे तेल के दाम आधे-तिहाई रह गए। सरकार ने कर्ज लिया। जनता कोई काम करना नहीं चाहती थी। शावेज अपनी नीतियों के जाल में फंस गए। वेनेजुएला कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। उसकी मुद्रा बोलीवार का भारी अवमूल्यन हो गया। एक डॉलर में 35,00,000 बोलीवार मिलने लगे। महंगाई बढ़ने की दर कल्पना से परे चली गई। हर 35 दिन में दाम दुगने हो जाते थे। एक करोड़ बोलीवार में एक किलो दूध आने लगा। लोगों के पास बोरे भर कर नोट हैं, पर पेट भरने के लिए सामान नहीं हैं। शावेज देश छोड़ कर भाग गए। हमें वेनेजुएला से सीख लेनी चाहिए।

● *पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ*

www.readwhere.com

जरा हट के

अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर समारोह में भाग लेती गायिका और संगीतकार बिली इलिश।

बोल

हमने यह आग्रह किया है कि बांग्लादेश में चल रही मौजूदा परियोजनाओं में किसी भी चीनी नागरिक की भर्ती नहीं की जाए।

-एके अब्दुल मोमिन, बांग्लादेश के विदेश मंत्री

विवाद

यूरोपीय देश संभावित परमाणु हथियार रखने को लेकर मची होड़ से पैदा संकट पर मूकदर्शक नहीं बने रह सकते।

-एमैनुएल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति

सम-सामयिक

बदली विदेश नीति : श्रीलंका को क्यों भाने लगा भारत

जनसत्ता संवाद

चीन के करीबी रहे श्रीलंका के शीर्ष नेताओं की भारत दौरे को लेकर उसकी विदेश नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीते कुछ साल तक श्रीलंका की विदेश नीति को देखा जाए तो तसवीर बिल्कुल साफ रही- हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश का झुकाव चीन की तरफ रहा। लेकिन नवंबर 2019 से बदलाव दिखने लगा।

नवंबर 2019 में श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे ने जीत हासिल की। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद गोटाबाया नवंबर में ही अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे। राष्ट्रपति के दौरे के चंद महीनों बाद अब प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भारत की पांच दिन की यात्रा पर पहुंचे। किसी देश के दो शीर्ष नेताओं का इतनी जल्दी-जल्दी दौरे पर आना कोई आम बात नहीं मानी जाती।

श्रीलंका की चीन से इतनी ज्यादा करीबी रही कि उसके मौजूदा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जब राष्ट्रपति थे, तो चीन से जुड़े ज्यादातर मामलों में उनका जवाब 'हां' ही होता था। इतना ही नहीं, मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे को भी चीन का ही करीबी माना जाता है। 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे (अब प्रधानमंत्री) के बारे में कहा जाता था कि उनका चीन को लेकर काफी नर्म रुख रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीलंका को अचानक भारत से नजदीकी बढ़ाने की कैसे सूझी?

दरअसल, महिंदा की इस नरमी ने देश को कर्ज के बोझ तले इस कदर दबाया कि उनके बाद के नेता भी इससे उभर नहीं पाए। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पर 2017 में कुल विदेशी कर्ज 55 अरब डॉलर हो गया था, जिसमें 2016 तक चीन का छह अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल था।

श्रीलंका पर चीन का कर्ज इतना बढ़ा कि उसे अपना हंबनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। साल 2017 में इस बंदरगाह को 1.12 अरब डॉलर में इस कंपनी को सौंपा गया। इसके साथ ही बंदरगाह के पास ही करीब 15 हजार एकड़ जमीन भी औद्योगिक जोन के लिए चीन को देनी पड़ी। 2015 में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर एक एअरपोर्ट, एक कोल पावर प्लांट और सड़क बनाने के लिए करीब चार अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया, 2016 में राजपक्षे के जाते-जाते यह कर्ज इतना बढ़ा कि उसे अपना यह बंदरगाह लीज पर देना पड़ा।

अब आलम यह है कि श्रीलंका चीन की कर्ज नीति में काफी बुरी तरह से फंस चुका है और अब वह इससे बाहर निकलना चाहता है। शायद इसी वजह से श्रीलंका ने अपना झुकाव भारत की तरफ करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, भारत इस घटनाक्रम में अपने लिए अच्छा अवसर देख रहा है। श्रीलंका ने चीन को जो इलाका सौंपा है वो भारत से महज 100 मील की दूरी पर है। भारत के लिए इसे सामरिक रूप से खतरा बताया जा रहा है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन उसकी सीमा के नजदीक अपनी पैठ बनाए।

श्रीलंका में नई सरकार बनने पर भारत ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने में देरी नहीं की। गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद संभालते ही अगले दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर पहुंच गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका के दौरे पर गए और वहां 50 मिलियन डॉलर की मदद देने का वादा कर आए थे।

आर्थिक पक्ष

भारत दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा भारत लंबे समय से श्रीलंका का मित्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जंग में कोलंबो का साथ दिया है। महिंदा राजपक्षे ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई 400 मिलियन डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' और आतंकवाद से लड़ने के लिए श्रीलंका को दी गई 50 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की सराहना करते हैं।

शोध

चावल के दाने से भी छोटा रडार

जनसत्ता संवाद

भारतीय वैज्ञानिकों ने अब चावल के दाने से भी छोटी चिप पर एक ऐसा रडार विकसित किया है, जो दीवार के पार रखी चीजों को भी आसानी से पकड़ लेगा।

भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल के दाने से भी छोटी चिप पर एक ऐसा रडार विकसित किया है, जिससे दीवार के आर-पार की गतिविधियों की भी जानकारी मिल सकती है। इससे शोध से पुलिसकर्मियों, दमकलकर्मियों और सुरक्षा बलों को आपात स्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने थ्रू-द-वॉल रडार (टीडब्ल्यूआर) विकसित किया है। इस रडार को विकसित करने का श्रेय भारतीय विज्ञान संस्थान के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गौरव बनर्जी और उनके शोध दल को जाता है। इस रडार को बनाने में पांच साल लगे। शोधकर्ताओं ने बताया कि सिमॉस (कॉम्पलिमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर) टेक्नोलॉजी की मदद से यह रडार बनाया गया है। इसकी खासियत है कि यह दीवार के पार रखी चीज का पता लगा सकता है। यह संबंधित वस्तु की दूरी, उसकी गति और आकार का पता लगा सकता है। यह रक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि, स्वास्थ्य और परिवहन समेत विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। डॉ बनर्जी ने इस प्रौद्योगिकी को देश की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया, 'दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देशों के पास ही आज किसी रडार के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक चिप पर स्थापित करने की क्षमता है।'

गौरव बनर्जी ने बताया कि रडार बनाने का काम 2015 में शुरू किया गया था। रडार की डिजाइनिंग को लेकर दो साल तक शोध किया गया। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री के 'इम प्रिंट प्रोग्राम' की मदद मिली। 2017 में केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में समय लगा। 2019 के जनवरी में चिप की डिजाइन को अंतिम रूप देकर इसे बनने के लिए ताइवान भेजा गया। छह माह में यह बनकर आया। फिर छह माह इसके परीक्षण में लगे। जनवरी 2020 के अंत में सिमॉस चिप रडार को फाइनल किया गया। सिमॉस टेक्नोलॉजी से बने इस रडार में एक ट्रांसमीटर, तीन रिसीवर और एक उन्नत फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर लगाया गया है। डॉ बनर्जी ने बताया, 'रडार डिजाइन के मामले में टीडब्ल्यूआर इमेजिंग हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है।' इसकी वजह यह है कि दीवारों से गुजरते हुए संकेत मंद पड़ जाते हैं। अधिक आवृत्तियों से युक्त रेडियो तरंगें इस चुनौती को हल करने में उपयोगी हो सकते हैं, जिसे डिजाइन करना एक जटिल कार्य है। इस तरह के रडार में खास तरह के चर्प संकेतों का उपयोग होता है, जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और एक आवृत्ति सिंथेसाइजर जैसे अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक छोटे चिप के रूप में बदलना एक बड़ी चुनौती थी। इसी कारण इस रडार को बनने में समय लग गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि छोटा आकार होने के कारण इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर आसानी से किया जा सकता है।

रडार किसी चीज से संकेतों के टकराकर लौटने के सिद्धांत पर काम करते हैं और इनका उपयोग करते समय संकेतों के लौटने में लगने वाले समय का आकलन किया जाता है। इस तरह के संकेतों के आधार पर वस्तु या इंसान का एक खाका तैयार किया जा सकता है और यह निर्धारित करने में भी मदद मिल सकती है कि वह वस्तु किस गति से चलायमान है। टीडब्ल्यूआर तकनीक आम रडार से एक कदम आगे की चीज है, जो रेडियो तरंगों के जरिए दीवारों को भेदने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे प्रकाश की किरणें भेद नहीं पाती हैं।

इस चिपनुमा रडार का इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। इसके अलावा परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी यह उपयोगी है। यह परिवहन के क्षेत्र में इसे ऑटोमोटिव रडार के रूप में वाहन में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही भविष्य में यह एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ऑटोमेटिक कार को भी मजबूती देगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र और पशुपालन में भी इससे लोगों को मदद मिलेगी। रडार के जरिए जानवरों के बीच होनेवाली बीमारी और पौधे के तेजी से नष्ट होने के कारण का पता लगाया जा सकता है। जानवरों में होनेवाली बीमारी का यह रडार एक साथ सैकड़ों जानवर की हृदय गति और श्वसन तंत्र का मेजरमेंट कर पता लगा सकेगा। वर्तमान में इस रडार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के साथ जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। यह अध्ययन केंद्र सरकार के इम्प्रिंट कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अनुदान पर आधारित है।

चावल के एक दाने की तुलना में टीडब्ल्यूआर रडार-ऑन-चिप का सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र

विश्व परिक्रमा

300 बांग्लादेशी विशेष विमान से ढाका लौटे

रविवार, 2 फरवरी : कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र बने चीन के वुहान शहर से शनिवार को करीब 300 बांग्लादेशी विशेष विमान से स्वदेश लौटे। उन्हें सेना एवं पुलिस की निगरानी में पृथक केंद्र में रखा गया है। इस विमान में 12 बच्चे और तीन शिशु शामिल हैं।

कोरोना वायरस से 305 लोगों की मौत

सोमवार, 3 फरवरी : घातक कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चीन के बाहर मौत का पहला मामला फिलीपीन में सामने आया है और इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 305 हो गई है। इस विषाणु से 14,562 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

ग्रेटा थुनबर्ग नोबेल के लिए नामित

मंगलवार, 4 फरवरी : स्वीडन के दो सांसदों ने अपने देश की किशोरी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। स्वीडन की लेफ्ट पार्टी ने सोमवार को कहा कि थुनबर्ग ने 'जलवायु संकट पर नेताओं का ध्यान खींचने के लिए कड़ी मेहनत की है।'

ग्रेटा थुनबर्ग

भारत में दस में से एक व्यक्ति को कैंसर

बुधवार, 5 फरवरी : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की एक रिपोर्ट में दस भारतीयों में से एक को अपने जीवनकाल में कैंसर होने और 15 में से एक की इस बीमारी से मौत होने की आशंका जताई गई है। 2018 में भारत में कैंसर के 11.6 लाख नए मामले सामने आए। डब्लूएचओ और 'इंटरनेशनल एजंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' ने रिपोर्ट जारी की है।

महाभियोग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय

गुरुवार, 6 फरवरी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुधवार को सीनेट में महाभियोग के मुकदमे में जीत तय मानी जा रही है। ट्रंप के खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोपों की कई हफ्ते तक जांच के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले निम्न सदन प्रतिनिधि सभा ने दिसंबर में पद के दुरुपयोग और कांग्रेस की कार्रवाई बाधित करने का अभियोग राष्ट्रपति पर लगाया।

अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटी

शुक्रवार, 7 फरवरी : अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 11 महीने बिताने के बाद गुरुवार को पृथ्वी पर लौट आईं। अंतरिक्ष में किसी महिला का सबसे लंबा मिशन है।

सुरक्षा मास्क की दुनिया भर में कमी

शनिवार, 8 फरवरी : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के प्रमुख ने शुक्रवार को चेताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने वाले मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की दुनिया भर में कमी हो रही है।

जानें-समझें

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

राम मंदिर निर्माण में कितने मोड़

दीपक रस्तोगी

अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए गठित 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' की पहली बैठक की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में 19 फरवरी की बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तिथि तय की जा सकती है। यह तिथि नव संवत्सर (25 मार्च), राम नवमी (दो अप्रैल), हनुमान जयंती (आठ अप्रैल) या अक्षय तृतीया (26 अप्रैल) में से कोई एक हो सकती है। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव किए जाने की योजना है। खींचतान इस दूसरे एजंडे को लेकर दिख रही है। सरकार ने ट्रस्ट के सदस्यों के 15 नाम घोषित किए हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर आंदोलन में भागीदार रहे संत समाज के एक वर्ग और विश्व हिंदू परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराजगी दिख रही है। ट्रस्ट में तीन और लोगों को लिए जाने की गुंजाइश है और इन जगहों की दावेदारी में घमासान मचा है। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर चुके हैं। नवगठित ट्रस्ट नौ सदस्यों को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे किन्हीं दो लोगों का चयन कर सकते हैं। एक सदस्य के रूप में श्रीराम मंदिर न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में शामिल किए जाने के आसार हैं।

फैसले की कितनी आजादी

केंद्र सरकार ने पांच फरवरी को ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत लोकसभा में ऐलान करते हुए कहा कि यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की तीर्थस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ट्रस्टियों में अयोध्या केस में लंबे समय से हिंदू पक्ष की पैरवी करने वाले के परासरण, अयोध्या राज परिवार के बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, होम्योपैथ डॉ. अनिल कुमार मिश्र, 1989 के राम मंदिर आंदोलन में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज समेत 15 लोग समूचे मामले से किसी न किसी रूप में सक्रिय रहे। लेकिन जिस तरह से संत समाज और पूर्ववर्ती राम जन्मभूमि न्यास या विश्व हिंदू परिषद ने दबाव बनाना शुरू किया है, उसे लेकर नवगठित ट्रस्ट के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

शंकराचार्य नाराज

दशकों पुराने मंदिर आंदोलन में शामिल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को शामिल नहीं किए जाने को लेकर आपत्ति जताई है, जिससे विवाद शुरू हो गया है। स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यहां वासुदेवानंद सरस्वती को ट्रस्ट में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूपानंद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी थी।

संतों ने उठाई मांग

वृंदावन में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वृंदावन कुंभ को लेकर वैष्णव अखाड़ा परिषद और चतुः संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद की संयुक्त बैठक में महामंडलेश्वर, महंत, साधु, संत, ब्राह्मण और भागवत विलानों ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में महंत नृत्यगोपाल दास के साथ अयोध्या के तीनों अनी अखाड़े के महंतों को भी स्थान मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर गोपीकृष्ण दास महाराज के मुताबिक, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बड़ी भूमिका अखाड़े वैष्णव संतों की रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। पीपालाराचार्य बाबा महामंडलेश्वर बलराम शरणदेवाचार्य एवं चतु संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद अध्यक्ष महंत जयराम दास ने कहा कि रामानंद संप्रदाय, निमबार्क संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय के मठाधीश महंतों को ट्रस्ट में स्थान मिलना चाहिए।

तराशे गए पत्थरों पर सवाल

राममंदिर ट्रस्ट में फिलहाल जिन सदस्यों को जगह दी गई है, उनमें विहिप का एक भी सदस्य नहीं है। सवाल उठाया जाने लगा है कि अयोध्या में विहिप की कार्यशाला में राममंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों का भविष्य क्या होगा। तराशे गए पत्थरों की उपयोगिता क्या हो सकती है। यह तय है कि राममंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों की उपयोगिता अब नवगठित ट्रस्ट को ही तय करनी है। विहिप को अब भी उम्मीद है कि राममंदिर उनके प्रस्तावित मॉडल एवं तराशे गए पत्थरों से ही बनेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नवगठित ट्रस्ट इन पत्थरों को दान में लेकर मंदिर निर्माण में उपयोग कर सकता है। राममंदिर के लिए अब तक एक लाख दस हजार घनफुट पत्थरों को तराशा जा चुका है। दूसरी ओर, सरकार और रामजन्मभूमि न्यास के बीच इस बात पर लगभग सहमति बन गई है कि तराश कर रखे गए जयपुर के लाल पत्थरों और खंभों से ही रामजन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस संबंध में रामजन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दो दौर की वार्ता हो चुकी है। इस वार्ता के आधार पर एक प्रस्ताव ट्रस्ट की पहली बैठक में रखा जाएगा।

क्या कहते हैं जानकार

फाइल फोटो

विहिप के मॉडल पर ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। किसी नए मॉडल पर मंदिर बनने का विचार होगा तब तो 25 साल से भी अधिक समय मंदिर बनाने में ही लग जाएगा। 20 साल से अयोध्या में तराशे जा रहे पत्थर मंदिर के मॉडल के हिसाब से है।

- चंपत राय, उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद

मेरे ख्याल में चार से पांच साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नवगठित ट्रस्ट की बैठक में हर बिंदु पर विचार कर फैसला लिया जाएगा।

-कामेश्वर चौपाल, सदस्य, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

व्यक्तित्व

विद्या देवी : 97 साल की उम्र में बनीं सरपंच

जनसत्ता संवाद

राजस्थान की सीकर जिले की नीमकाथाना के पुराना बांस गांव की विद्या देवी ने सरपंच का चुनाव जीत कर एक अनोखा रेकॉर्ड बनाया है। सत्तानवे साल की उम्र में सरपंच पद पर निर्वाचित हुई विद्या देवी संभवतः राजस्थान की सबसे उम्रदराज सरपंच चुनी गई हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में 87 पंचायत समितियों की 2726 ग्राम पंचायतों के 26800 वार्डों में पिछले महीने यानी जनवरी में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। ग्राम पंचायत में कुल 4,200 मतदाताओं में से 2,856 मतदाताओं ने मत डाले। ग्राम पंचायत में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। राजस्थान के सीकर जिले में संपन्न हुए पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण में नीमकाथाना के पुराना बांस ग्राम पंचायत से विद्या देवी ने सरपंच पद का चुनाव जीत लिया है। सरपंच चुने जाने पर खुशी जताते हुए विद्या देवी ने बताया कि गांव में ब्याह कर आई तब से राजनीति देख रही हूं। उनके पति 55 साल पहले निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। विद्या देवी के पति शिवराम सिंह सेना में मेजर थे। वह 1990 से पहले 25 साल तक गांव के सरपंच थे। वहीं उनके ससुर सूबेदार सेडूराम भी बीस साल तक सरपंच रहे। वह प्रदेश की पहली ऐसी महिला है जो उम्र के इस दौर में विकास का सपना लेकर चुनावी दंगल में उतरी और जीत हासिल की। सरपंच के पद पर जीत दर्ज करने वालीं विद्या देवी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी आरती मीणा को 207 वोटों के अंतर से हराया है। अपनी जीत के लिए गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने गांव के विकास के लिए कार्य करने और गांव के अंदर स्वच्छता के लिए विशेष कार्य करने की बात कही है। विद्या देवी ने कहा कि वे सबसे पहले गांव की साफ-सफाई करवाएंगी। साथ ही गांव में पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था समेत गरीबों के हित के लिए काम करेंगी। विद्या देवी के जीत के जश्न में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि विद्या देवी बहुत अच्छी सरपंच बनेंगी साथ ही वह गांव के विकास का कार्य करेंगी।

97 साल की उम्र में वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि गांव में विकास के कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. सबसे पहले गांव में सफाई और पानी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके अलावा गांव के और भी विकास कार्य किए जाएंगे। विद्या देवी ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पुरान बास इलाके से जीती हूं। लोगों ने मुझे सरपंच का चुनाव जिताकर मुझ पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्रामीणों ने मुझे जो समस्या बताई है उसका जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। विद्या देवी बताती हैं कि गांव के विकास में पति और ससुर का बड़ा योगदान रहा। विकास की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में उतरी और जीत गईं।

तीन साल में अल्पसंख्यकों को 1677 करोड़ का ऋण मिला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने तीन सालों (2016 से 2019 तक) में अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को 1677.81 करोड़ रुपए का ऋण दिया। इस दौरान सबसे अधिक 79.02 फीसद ऋण मुसलिमों को प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से यह जानकारी राज्यसभा में सांसद राकेश सिन्हा की ओर से पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

सोमवार को राज्यसभा में राकेश सिन्हा ने तारांकित प्रश्न संख्या 82 किया था। उन्होंने मंत्री से पूछा था कि साल 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में एनएमडीएफसी द्वारा अल्पसंख्यकों को कितना-कितना ऋण दिया गया है? इसके अलावा उन्होंने ऋण प्राप्त करने वाले मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के अनुपात के बारे में भी पूछा था। मंत्री की ओर से सदन के पटल पर रखे गए उत्तर के मुताबिक एनएमडीएफसी अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों यानी मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी योजनाएं मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजंसियां (एवसीए) के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है।

मंत्री की ओर से बताया गया कि साल 2016-17 में 503.32 करोड़ रुपए, 2017-18 में 570.83 करोड़ और 2018-19 में 603.66 करोड़ रुपए दिए गए। इन तीनों सालों में सबसे अधिक 79.32 फीसद ऋण मुसलिमों को दिया गया। इसके अलावा ईसाइयों को 19.39 फीसद, सिखों को 0.75 फीसद, बौद्धों को 0.49 फीसद, जैनियों को 0.44 फीसद और पारसियों को ना के बराबर ऋण दिया गया। मंत्री की ओर से सदन के पटल पर रखे गए जवाब में कहा गया कि एनएमडीएफसी की शैक्षिक ऋण योजना के तहत साल 2016-17 में 3176 विद्यार्थियों को, 2017-18 में 2625 को और 2018-19 में 2897 विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। तीनों सालों में मुसलिम विद्यार्थियों को सबसे अधिक 68.68 फीसद शैक्षिक ऋण दिया गया। इसके अलावा ईसाई विद्यार्थियों को 25.70 फीसद, सिख विद्यार्थियों को 0.49 फीसद, बौद्ध विद्यार्थियों को 0.04 फीसद, जैन विद्यार्थियों को 5.09 फीसद और पारसी धर्म के किसी भी विद्यार्थियों को ऋण नहीं दिया गया।

पदोन्नति में एससी/एसटी कोटा का मुद्दा न्यायालय में उठा

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने और ऐसी रिक्तियों को भरने का मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद इसपर सुनवाई करेगी।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रधान न्यायाधीश एसए. बोबड़े की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष कहा, 'महाराष्ट्र में गैर-आरक्षित श्रेणी में पदोन्नति हुई है लेकिन एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणी में पदोन्नति नहीं हुई है।' झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस. पटवलिया ने भी कुछ ऐसी ही दलील देते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा रही है लेकिन सरकार एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणी में ऐसा करने में अक्षम है।

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि इसपर नोटिस जारी किया जाए और उनकी बात दो सप्ताह में सुनी जाए। वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार में भी ऐसे करीब एक लाख पद रिक्त हैं। न्यायमूर्ति बोबड़े, न्यायमूर्ति बीआर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा, 'हम इसपर विचार करेंगे। इन्हें दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए।' पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकेगी और इसे कोई और पीठ सुनेगी।

आतंकवादियों से 31 जनवरी को हुई मुठभेड़ की जांच एनआइए के जिम्मे

श्रीनगर, 10 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी ने 31 जनवरी को हुई मुठभेड़ की जांच अपने हाथ में ले ली है जिसमें जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए एजंसी को निर्देश दिया कि वह उन परिस्थितियों की जांच करे जिनमें तीन आतंकवादी सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर जम्मू कश्मीर में घुस आए थे।

जम्मू कश्मीर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें उस आत्मघाती हमलावर का एक रिश्तेदार शामिल है जिसने पिछले साल पुलवामा में विस्फोट किया था। उस विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि 31 जनवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टोल प्लाजा पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादी ट्रक में सवार होकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे।

वहीं कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी संगठनों के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल में हुई मुठभेड़ के सिलसिले में हुई है जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रातभर चली कार्रवाई में सुहैल जावेद लोन, जहूर अहमद खान और सोहैब मंजूर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि लोन जम्मू का छात्र है और समीर अहमद डार से मुलाकात नहीं होने की स्थिति में वह जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों से मुलाकात की दूसरी कड़ी है।

डार पिछले साल पुलवामा में आत्मघाती हमला करने वाले का रिश्तेदार है जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। महत्त्वपूर्ण है कि 31 जनवरी को बान टोल नाका पर सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को रोके जाने पर मुठभेड़ हुई थी जिसमें तीन पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे और दक्षिण कश्मीर के रहने वाले तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। डार के अलावा जिन लोगों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था उनके नाम सरताज अहमद मंटू और आसिफ अहमद मलिक है।

नोएडा प्राधिकरण का पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

सोमवार को नोएडा टेंडर घोटाले से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी थी। इस मामले में यादव सिंह अपनी पत्नी कुसुमलता के साथ कोर्ट में पेशी पर पहुंचा था। वहां वकीलों की हड़ताल होने के चलते केस की सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद वह घर लौटने लगा, तभी नीचे खड़ी सीबीआइ टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी को बताया गया कि सीबीआइ को एक अन्य मामले में पूछताछ करनी है। इसके बाद सीबीआइ की टीम उसे लेकर चली गई।

सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, आरोप है कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच यादव सिंह नोएडा प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के तौर पर तैनात था। इस बीच उसने 29 निजी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर स्वीकृत किए। इनमें कई फर्म ऐसी थी, जोकि उसके परिवार के सदस्यों और दोस्त संजय कुमार के नाम रजिस्टर्ड थीं। आरोप है कि यादव सिंह ने फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें गलत तरीके से टेंडर जारी किए थे। इस मामले में सीबीआइ की दिल्ली ब्रांच ने हाईकोर्ट के आदेश पर 17 जनवरी 2018 को यादव सिंह, संजय कुमार समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब है कि नवंबर 2014 को सीबीआइ ने पहली बार यादव सिंह के घर छापेमारी की थी।

मतगणना : दिल्ली के मन की बात पता चलेगी आज

पेज 1 का बाकी

हो। इसके अलावा महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर का विकल्प देने का फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा भी 'आप' के नेता लगातार करते रहे हैं। जाहिर है कि इसका चुनावी फायदा भी पार्टी को मिल सकता है।

भाजपा नेताओं ने पूरा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, सीएए लाने, तीन तलाक को खत्म करने जैसे मुद्दे भाजपा के चुनाव प्रचार में छाए रहे। शाहीन बाग में हो रहे सीएए विरोधी प्रदर्शन को निशाना बनाकर भाजपा नेताओं ने खूब बयानबाजी की। पार्टी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि एग्जिट पोल के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दावा कर दिया कि 'मेरी बात लिखकर रख लीजिएगा कि दिल्ली में भाजपा ही सरकार बनाएगी'।

आम आदमी पार्टी और भाजपा नेताओं के दावों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, प्रदेश के प्रभारी पी सी चाको और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सरीखे नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उनकी मानें तो कांग्रेस को लेकर नकारात्मक कयासों का सिलसिला असली चुनाव परिणाम आने के बाद थम जाएगा। पार्टी के इस दावे में एग्जिट पोल के हिसाब से तो दम नहीं है लेकिन जानकारों का कहना है कि दिल्ली का चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है।

यदि वाकई उसका प्रदर्शन चौंकाने वाला हुआ तो आम आदमी पार्टी को नुकसान की गुंजाइश बनती है और यदि कांग्रेस का प्रदर्शन सिफर रहा तो उसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को ही मिलना है।

दिल्ली में 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के तीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बने और तीनों दिवंगत हो चुके। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित तीन बार लगातार मुख्यमंत्री बनीं और पिछले साल उनका भी निधन हो गया। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अकेले नेता हैं और यदि उनकी अगुआई में उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है और वे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा करने वाले वे दिल्ली के दूसरे नेता होंगे।

उमर की नजरबंदी को न्यायालय में दी चुनौती

पेज 1 का बाकी

दायर की। न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष सारा अब्दुल्ला पायलट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस याचिका का उल्लेख किया और इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने जन सुरक्षा कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और इस पर इसी सप्ताह सुनवाई करने का अनुरोध किया।

पीठ इस याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है। सारा अब्दुल्ला पायलट ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो पहले ही छह महीने से नजरबंद हो, उसे नजरबंद करने के लिए कोई नई सामग्री नहीं हो सकती। याचिका में नजरबंदी के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए कहा गया है कि इसमें बताई गईं वजहों के लिए पर्याप्त सामग्री और ऐसे विवरण का अभाव है जो इस तरह के आदेश के लिए जरूरी है। इसमें कहा गया है, 'यह बिरला मामला है कि वे लोग जिन्होंने सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री के रूप में देश की सेवा की और राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ खड़े रहे, उन्हें अब राज्य के लिए खतरा माना जा रहा है।'

याचिका में कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला को चार-पांच अगस्त, 2019 की रात घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। बाद में पता चला कि इस गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 लागू की गई है। इसके अनुसार, 'इसलिए यह नितांत महत्वपूर्ण और जरूरी है कि यह न्यायालय व्यक्ति के जीने और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा ही नहीं करे बल्कि संविधान के भाग के अनुरूप अनुच्छेद 21 के भाव की भी रक्षा करे क्योंकि जिसका उल्लंघन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अभिशाप है।'

याचिका में उमर को जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद करने संबंधी पांच फरवरी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उमर अब्दुल्ला को इस कानून के तहत नजरबंदी के कारणों के बारे में बताया गया है कि राज्य के पुनर्गठन की पूर्व संध्या पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों और अनुच्छेद 35-ए को खत्म करने के फैसले के खिलाफ आम जनता को भड़काने का प्रयास किया। इस आदेश में एक अन्य वजह में इस फैसले के खिलाफ जनता को उकसाने के लिए सोशल नेटवर्किंग पर उनकी टिप्पणियों को भी शामिल किया गया है।

नेशनल कांफ्रेंस सांसद के बेटे पर भी लगा पीएसए

पेज 1 का बाकी

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से हिलाल लोन को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की सुबह उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने पांच फरवरी से दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं के खिलाफ पीएसए लगाया है।

पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने के बाद हिलाल अकबर लोन को गुपकार रोड पर एक बंगले में बनाई गई अस्थायी सब जेल में ले जाया गया है। इससे पूर्व बीते सप्ताह प्रशासन ने नेशनल कांफ्रेंस के अली मोहम्मद सागर, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी, नईद अख्तर को पीएसए के तहत बंदी बनाया। मोहम्मद अकबर लोन लोकसभा में उत्तरी कश्मीर के बारामूला का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बेटे और नेशनल कांफ्रेंस के नेता हिलाल अकबर लोन को छह माह तक एहतियातन हिरासत में रखने के बाद सोमवार को प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत बंदी बना लिया।

मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पेज 1 का बाकी

जाएंगे। मतों की गिनती के लिए राजधानी में बनाए गए सात मतगणना केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चुनावी दंगल में कूदे 593 पुरुषों व 79 महिला प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर का फैसला दोपहर बाद तक हो जाने की संभावना है। मतदान खतम होने के करीब 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि अंतिम मतदान प्रतिशत 62.59 रहा जो 2015 की तुलना में पांच फीसद कम है।

मतगणना केंद्र पूर्वी दिल्ली के सीडब्ल्यूजी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, पश्चिम दिल्ली के एनएसआईटी, दक्षिणपूर्वी दिल्ली के मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी और जी बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मध्य दिल्ली में सर सी वी रमण आईटीआई, धीरपुर और उत्तरी दिल्ली के बवाना के राजीव गांधी स्टेडियम में बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मतगणना के लिए 33 पर्यवेक्षक होंगे। सुरक्षाकर्मियों ने स्ट्रांग रूमों की कड़ी निगरानी की जहां इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें रखी गई हैं।

कोरोना वायरस, मंत्री समूह रोज कर रहा है समीक्षा : हर्षवर्धन

पेज 1 का बाकी

संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य अधिकारियों के साथ दैनिक समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ताजा स्थितियों की निरंतर समीक्षा कर रहा है। राज्यों के साथ हर दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) बनाया गया है जो पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते उत्पन्न स्थिति पर निगरानी रख रहा है, इसमें विदेश मंत्री, नागर विमानन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि भारत सरकार स्थिति पर निरंतर निगरानी रख रही है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे देश में अभी तक केरल से कोरोना वायरस के तीन पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है।

छेड़छाड़ मामले में गार्गी कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर प्राथमिकी

पेज 1 का बाकी

रही है। पुलिस को कुछ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर कॉलेज में घुसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

गार्गी कॉलेज के छात्राओं का आरोप है कि छह फरवरी को सालाना समारोह में शामिल होने के लिए कॉलेज पहुंची थीं। कॉलेज परिसर में फेस्ट के लिए बाहर से कई सौ हुड़दंगी घुस आए और छात्राओं से छेड़छाड़ करने लगे। छात्राओं का आरोप है कि अधिकतर हुड़दंगी शराब के नशे में थे। इस संबंध में जब कॉलेज प्रशासन से शिकायत की तो उन्होंने ने भी छात्राओं की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। फेस्ट के अगले दिन कुछ छात्राओं ने उनके साथ हुए व्यवहार के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा तब जाकर यह मामला लोगों के सामने आया।

वहीं, कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि सुरक्षा के लिए पुलिस, बाउंसर और कमांडो की सेवाएं ली गई थीं। किसी भी छात्रा या समूह ने उनसे इस बाबत कोई शिकायत नहीं की है। उन्हें ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है। कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान ऐसे बाहरी छात्रों और युवकों ने प्रवेश किया, जिनके पास पास नहीं थे और न ही उन्हें कॉलेज में प्रवेश की अनुमति थी। कुछ पीड़ित छात्राओं का कहना है कि गलत ढंग से कॉलेज में घुसे छात्र सरेआम ड्रग्स ले रहे थे।

'लिखित आश्वासन दे सरकार'

पेज 1 का बाकी

प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन वे धरने पर तब तक बैठी रहेंगी, जब तक सरकार की ओर से उन्हें नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिए जाने का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी आश्वासन चाहिए कि राष्ट्रीय नागरकिता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) देश भर में लागू नहीं किया जाएगा।

आरक्षण मुद्दे पर संसद में हंगामा

पेज 1 का बाकी

कहना चाहता हूं कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है, वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत सदन में बयान देंगे और सदस्य अगर इससे सहमत नहीं होते हैं तब अध्यक्ष को नोटिस दे सकते हैं।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री गहलोत ने इस मुद्दे पर सदन को बताया कि सरकार इस मुद्दे पर पक्षकार नहीं है लेकिन इस बारे में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से कोई शपथ पत्र भी नहीं मांगा गया। उन्होंने कहा कि यह मामला 2012 का है जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी।

सदन में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल (एकी) और अपना दल जैसे केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के घटक दलों ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और साथ ही शीर्ष अदालत के फैसले से असहमति व्यक्त करते हुए सरकार से आरक्षण के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की।

इससे पहले, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार एससी, एसटी से यह अधिकार छीनना चाहती है। दूसरी ओर राज्यसभा में अदालत के फैसले पर पुनरीक्षण याचिका दायर करने की मांग कर रहे विपक्षी दलों ने सरकार के जवाब को नाकाफी बताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। न्यायालय के फैसले पर सरकार से स्पष्टीकरण देने की विपक्षी दलों की मांग पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने उच्च सदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में निर्णय दिया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्चस्तरीय विचार विमर्श कर रही है।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन स्थित कार्यालय में सोमवार सुबह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से ऐसी बैठकें होती हैं लेकिन शीर्ष अदालत के फैसले की पृष्ठभूमि में यह बैठक महत्वपूर्ण है। आधिकारिक तौर पर इस बैठक को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्न्ति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा, एससी/एसटी संशोधन कानून वैध

पेज 1 का बाकी

इस प्रावधान को बहाल किया गया था कि इस कानून के तहत दर्ज मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

शीर्ष अदालत ने अपने 2018 के फैसले में सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ इस कानून के कठोर प्रावधानों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा था कि इस कानून के तहत दायर शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिनमें कई व्यक्तियों की जान चली गई थी और अनेक जख्मी हो गए थे।

संसद ने न्यायालय की इस व्यवस्था को निष्प्रभावी करने के लिए नौ अगस्त, 2018 को कानून में संशोधन करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। बाद में केंद्र सरकार ने भी मार्च, 2018 के शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने एक अक्तूबर, 2009 को शीर्ष अदालत के मार्च 2018 के फैसले में दिए गए दो निर्देशों को वापस लेते हुए पहले की स्थिति बहाल कर दी थी।

आम रास्ता नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी

पेज 1 का बाकी

एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।' पीठ ने कहा, 'एक कानून है और इसे लेकर लोगों की शिकायतें हैं। मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वे विरोध करने के हकदार हैं।' साथ ही पीठ ने कहा, 'ऐसा उस क्षेत्र में होना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित हैं। आप लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते।' शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शाहीनबाग में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यह दूसरे लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकता।

पीठ ने सवाल किया, 'क्या आप सार्वजनिक सड़क पर अवरोध पैदा कर सकते हैं? आप इसे अवरुद्ध नहीं कर सकते। मान लीजिए एक सार्वजनिक पार्क है, आप वहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते।' इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि यह प्रकरण विरोध के अधिकार की सीमा के बारे में है।

पीठ ने जानना चाहा, 'क्या सरकार की ओर से कोई मौजूद है। हम इसमें नोटिस जारी करेंगे।' मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता व भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने जब शीर्ष अदालत से इस मामले में अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, 'यदि आपने 50 से ज्यादा दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।' अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ से कहा कि वह भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। पीठ ने कहा, 'आप जो उचित समझें, करें।'

साहनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग पर यातायात सुचारू बनाने का दिल्ली पुलिस को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने साहनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासन से कहा था कि वह कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थिति से निबटें। नंद किशोर गर्ग ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए अलग से याचिका दायर की थी। इस याचिका में गर्ग ने यह भी दलील दी थी कि सरकार का काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है जिन्हें इस अवरोध के कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। साहनी ने अपनी अपील में कहा था कि शाहीन बाग के प्रदर्शन ने दो अन्य शहरों में इस तरह के धरना प्रदर्शनों को हवा दी है और इसे जारी रखने की अनुमति से एक गलत परंपरा पड़ेगी।

'जोकर' का जलवा, ब्रैड पिट को आखिरकार मिला ऑस्कर

पेज 1 का बाकी

है। यहां रविवार रात आयोजित 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। दक्षिण कोरियाई फिल्म 'पैरासाइट' के निर्देशक बोंग जून-हो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई फिल्मकार भी बने। बोंग जून-हो ने दुभाषिए के माध्यम से कहा, 'जब अमेरिका में लोगों को मेरी फिल्म के बारे में नहीं पता था, क्वेंटिन (फिल्मकार) ने अपनी सूची में मेरी फिल्मों को रखा, मुझे आपसे प्यार है। टॉड फिलिप्स और सैम मेंडेस भी बेहतरीन निर्देशक हैं। अगर अकादमी मुझे इस पुरस्कार को बांटने का मौका दे तो मैं इसे पांच हिस्सों में बांटकर सबके साथ साझा करना चाहूंगा।'

फिल्म 'जोकर' में अपने बेहतरीन अभिनय से बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड (एसएजी) में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत चुके जोकीन फीनिक्स ने अकादमी पुरस्कार भी अपने नाम किया। फीनिक्स (45) का यह पहला ऑस्कर पुरस्कार है। फीनिक्स ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए नस्ली भेदभाव, जलवायु परिवर्तन और लिंग असमानता जैसे मुद्दों को छुआ। वहीं उन्होंने अपने दिवंगत भाई रीवर फीनिक्स को भी याद किया, जिनकी 1993 में 23 साल की उम्र में 'ड्रग ओवरडोज' के कारण मौत हो गई थी। रेनी जेल्वेगर को फिल्म 'जूडी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला। करीब 15 साल पहले जेल्वेगर को 'कोल्ड माउंटेन' के लिए सर्वश्रेष्ठ सह- अभिनेत्री की श्रेणी में ऑस्कर मिला था। फिल्म में उन्होंने अदाकारा व गायिका जूडी गारलैंड की भूमिका निभाई है। जेल्वेगर ने गारलैंड को याद करते हुए यह पुरस्कार उन्हें समर्पित किया। उन्होंने कहा, 'मिस गारलैंड निश्चित रूप से उन महान हस्तियों में शुमार हैं जो हमें एकजुट और परिभाषित करते हैं और यह निश्चित तौर पर आपके लिए है।' अभिनेता ब्रैड पिट ने 'वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' में शानदार अदाकारी के दम पर अभिनय की श्रेणी में अपने करियर का पहला ऑस्कर जीता और लॉरा डर्न सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री चुनी गई।

शिशु की मौत पर स्वतः संज्ञान

पेज 1 का बाकी

के आधार इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया। सदावर्ते ने इस पत्र में कहा था कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों में अवयस्कों के हिस्सा लेने को प्रतिबंधित किया जाए। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले बच्चों को उनके स्कूलों में 'पाकिस्तानी' और 'राष्ट्र विरोधी' बताए जाने के बारे में दो महिला अधिवक्ताओं के बयान पर भी दुःख व्यक्त किया। इसने कहा, 'हम नहीं चाहते कि लोग समस्याओं को और बढ़ाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करें।' पीठ ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि वकील उसके द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मुद्दे से भटक रहे हैं।

इसने कहा, 'हम सीएए या एनआरसी पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्कूलों में पाकिस्तानी जैसी गालियों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं।' पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी की भी आवाज नहीं दबा रही है। इसने कहा, 'हम किसी की आवाज नहीं दबा रहे हैं। यह शीर्ष अदालत द्वारा सही तरीके से की जा रही स्वतः संज्ञान की कार्यवाही है।' दो महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि वे पत्रकार और कार्यकर्ता जॉन दयाल व दो बच्चों की मां की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती हैं।

चार माह के शिशु की 30 जनवरी को अपने माता पिता के साथ शाहीन बाग से लौटने के बाद रात में नींद में ही मृत्यु हो गई थी। बच्चे के माता पिता सीएए विरोधी धरने में शामिल होने शाहीन बाग गए थे। भारतीय बाल कल्याण परिषद के राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित याचिकाकर्ता जेन गुणरत्न सदावर्ते ने प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को लिखे पत्र में कहा कि बच्चे के माता पिता और शाहीन बाग में सीएए विरोधी आंदोलन के आयोजनकर्ता बच्चे के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मुंबई के सातवीं कक्षा के इस छात्र ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग में शिशुओं और बच्चों सहित विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ शिशु और बच्चे उनके प्रतिकूल वातावरण से रूबरू हो रहे हैं।

www.readwhere.com

छत्तीसगढ़ : मुठभेड़ में नक्सली ढेर, सीआरपीएफ के दो कमांडो शहीद

रायपुर, 10 फरवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार सुबह मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो कमांडो शहीद हो गए और एक नक्सली मारा गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दो जवान घायल भी हुए हैं।

अधिकारी ने बताया कि पमेड थाना अंतर्गत इरापल्ली गांव के जंगलों में सुबह करीब साढ़े 10 बजे उस समय मुठभेड़ शुरू हुई, जब सुरक्षाबल नक्सल रोधी अभियान चला रहे थे। यह जगह रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा, ' सीआरपीएफ की विशिष्ट इकाई 204वीं कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) के चार जवान मुठभेड़ में घायल हो गए। इनमें से दो की मौत हो गई।' सीआरपीएफ के दो घायल कर्मियों में एक उप-कमांडेंट भी शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, 'मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और मौके से एक हथियार बरामद हुआ है।' उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को भेजा गया है और जंगल से घायल जवानों को निकालने का काम चल रहा है।

इस बीच, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष सात नक्सलियों ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इन सात नक्सलियों में से तीन ऐसे हैं जिनके सिर पर इनाम घोषित था।

महाराष्ट्र : जेल से भागे पांच कैदी

मुंबई, 10 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित कर्जत जेल से रविवार शाम पांच कैदी भाग गए। आरोपियों पर हत्या, बलात्कार और हथियार रखने जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।

पांचों की पहचान ज्ञानेश्वर तुकाराम कोल्हे, अक्षय रामदास राउत, मोहन कुंडलिक मोरे, चंद्रकांत महादेव राउत और गंगाधर जगताप के रूप में हुई है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ज्ञानेश्वर को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जबकि अक्षय, मोहन और चंद्रकांत पर हत्या का आरोप है।

गंगाधर को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने कर्जत में जिला सब-जेल की छत पर एक रोशनदान की छड़ निकाल दी और रविवार की शाम को फरार हो गए। घटना के वक्त एक गार्ड लॉकअप पर तैनात था और तीन अन्य को जेल के आसपास तैनात किया गया था।'

वरिष्ठ नागरिक को धमकाने पर पायलट निलंबित

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने 13 जनवरी को चेन्नई-बंगलुरु उड़ान में व्हीलचेयर वाले एक वरिष्ठ नागरिक को कथित तौर पर डराने और धमकाने के लिए इंडिगो के एक कैप्टन को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कमान पायलट ने यात्रियों- वरिष्ठ नागरिक और उनकी बेटी से माफीनामा लिखवाने पर जोर दिया।

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)]

परिसमापनाधीन नोएसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

भारतीय ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31(2) के अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि परिसमापनाधीन नोएसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गयी है जिसे 10 फरवरी, 2020 को माननीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष दाखिल किया गया है।

चूँकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई सक्रिय वेबसाइट नहीं है अतः हितधारकों की सूची किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में परिसमापक के ई-मेल आईडी पर निवेदन भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।

योगेश कुमार गुप्ता
परिसमापक
नोएसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड-परिसमापनाधीन
आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-P00078/2017-18/10701
स्थान : नई दिल्ली — पता : सी-17-बी, बेसमेंट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
तिथि : 10.02.2020 — ई-मेल आईडी : ykgupta64@yahoo.co.in

इंडोसोलर लिमिटेड
(इनसॉल्वेंसी समाधान प्रोसेस के तहत कंपनी)
CIN: L18101DL2005PLC134879
पंजीकृत कार्यालय : सी-12 फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्वी) दिल्ली- 110065 ईमेल : cirp@indosolar.co.in
फोन नंबर : 120-4762525

नोटिस

सेबी के विनियम 29, 33 और 47 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियमों के अनुसार, यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के निदेशकों और / या समाधान प्रोफेशनल (आरपी) की एक बैठक फरवरी 2020 के 19वें दिन, दोपहर 2.00 बजे बुधवार को इकोटेक-II, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 201306 आयोजित होने वाली है, जिसमें अंतरिम रूप से इस तिमाही और नौ महीने के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय परिणाम (ओं) पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए जो 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हुआ और तिमाही और वर्ष जो की 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। उक्त नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.indosolar.co.in पर उपलब्ध है।

इंडोसोलर लिमिटेड के लिए
(इनसॉल्वेंसी समाधान प्रोसेस के तहत कंपनी)
हस्ता / -
दिनांक : 11.02.2020 — गुलशन गाबा
स्थान : नई दिल्ली — समाधान प्रोफेशनल

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint U/w sec- 138 of N.I ACT
CNR NO:PBLD03-013511-2019
PESHI:17-02-2020

M/s A. B. Industries
V/s
M/s Ruchika Sales

Notice to 1. M/s ruchika sales agencies, B.no 32, baffeli dukan, road no 9, v.k. industrial area, jaipur through its prop./ Partner/ auth signatory s. Khaitan 2. S. Khaitan prop./ Partner/ auth signatory of m/s ruchika sales agencies,a no 32, baffeli dukan, road no 9, v.k. industrial area, jaipur. Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 17-02-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of sh. Vijay Kumar- I judicial Magistrate -Ist Class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-001496-2019
NEXT DATE: 12-03-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Pushpendera Yadav

Notice To: Pushpendra Yadav, R/o H.no 37, Madhengala Kedeem Dist. Rampur, Rampur-263153 (up)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 12-03-2020 at 10.00a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law in Your absence. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

KAILASH AUTO FINANCE LIMITED
Regd. Office : 15, Rolland Complex, 2nd Floor, 37/17, The Mall, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh
Corp Office : 6 Lyons Range, 1st Floor, Kolkata - 700001,
Email : info@kailfin.com,
Website : www.kailfin.com
CIN : L65921UP1984PLC006829

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 14, 2020 at the corporate office of the Company to inter-alia consider the following matters:-

1. To consider and take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2019 and such other matters as specified in the Agenda.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.kailfin.com and also on the website of the Stock Exchange at http://www.bseindia.com.

For & On Behalf of the Board
Sd/-
Place : Kolkata — Company Secretary
Date : 10/02/2020

COURT NOTICE

Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO:PBLD03-058953-2018
NEXT DATE: 05-03-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Mohinder Bishnoi

Publication issued To: Mohinder Bishnoi Address-Hno 1179 Purani Abadi Ward No 18 Shri Ganganagar Rajasthan
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 05-03-2020 at 10.00a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law in Your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

SCHEDULE II
FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ISOLUX CORSAN INDIA ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

1	Name of corporate debtor	ISOLUX CORSAN INDIA ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	25th June 2008
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies - NCT of Delhi and Haryana
4	Corporate identity number/ limited liability identity number of corporate debtor	U74140HR2008PTC038089
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	1st Floor, Splendor Towers Golf Course Extension Road, Sector-65 Gurgaon Haryana 122018
6	Date of closure of insolvency resolution process	08th July 2019 (CIRP Expiry Date) 14th November 2019 (CIRP Expiry Date After Extension)
7	Liquidation commencement of the corporate debtor	06th February 2020
8	Name, address, email address, telephone number and the Registration number of the Liquidator	CA. RAJEEV BANSAL Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00226/2017-18/10425 2162, SHRI NAGAR COLONY, JAGADHRI - 135003 Mob. 9315373372 Email: Liquidator.isolux.corsanindia@gmail.com
9	Last date for submission of claims	07th March 2020

Notice is hereby given that the Hon 'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh has ordered the commencement of liquidation of the Isolux Corsan India Engineering & Construction Private Limited on 06.02.2020

The stakeholders of Isolux Corsan India Engineering & Construction Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 07/03/2020, to the liquidator at the address mentioned against item 8.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All the stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Note: Applicable forms can be downloaded from the following portal: www.ibbi.org.in → Quick Links → Downloads → Forms under IBBI (Liquidation Process) Regulations 2017

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

CA. Rajeev Bansal
Liquidator of ISOLUX CORSAN INDIA ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Date: 11.02.2020
Place: Yamunanagar

परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना
एडवांस्ड नवोत्पाद सर्फेक्टैन्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)

दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री श्री सेथुरत्नम रवि, परिसमापक
परिसमापक का पंजी. कार्यालयः 505 ए, 5 वां तल, रेक्टेंगल-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, दिल्ली-110017, ई-मेलः castravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com, सम्पर्क नं. 011-40548860

ई-नीलामी की तिथि एंव समयः 26.2.2020 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.
(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः 21.02.2020

परिसमापन सम्पदा का भाग का निर्माण करने वाली एडवांस्ड नवोत्पाद सर्फेक्टैन्ट्स लिमिटेड के परिसम्पत्तियों की दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा आयोजित की जा रही है।

परिसम्पत्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि मूल्य
भिवाड़ी, अलवर में फैक्ट्री, प्लॉट नं. एफ-56, एफ-57, इंडस्ट्रियल एरिया, चोपनकी, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर एवं साजो-सामान से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।	ए	आईएनआर 5.00 करोड़	आईएनआर 25.00 लाख	आईएनआर 5.00 लाख

परिसम्पत्तियों के विवरणों, ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा तथा शपथ-पत्र, ऑन लाइन ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट https://eauctions.co.in पर उपलब्ध है।
ई-नीलामी सेवा प्रदाता की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः
दीक्षित प्रजापति-7874138237
परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्तिः
ई-मेलः casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com

हस्ता/-
सेथुरत्लम रवि, परिसमापक
तिथिः 10.2.2020 — एडवांस्ड नवोत्पाद सर्फेक्टैन्ट्स लिमिटेड
स्थानः दिल्ली — IBBI पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P00372/2017-18/10629

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गांव-122001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की निम्नलिखित प्रतिभूतियों के शेयर सर्टिफिकेट खो गए / गुम हो गए हैं तथा उक्त शेयरों के धारक / धारकों ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बैंक को आवेदन किया है। कोई व्यक्ति, जो इन शेयरों के बारे में दावा रखता हो, अपना ऐसा दावा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा0 लिमिटेड, नोबेल हाईट्स, पहला तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, नई दिल्ली-110058 के पास इस दिनांक के 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा बैंक आगे कोई सूचना दिए बिना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही करेगा।

डीओसी सं.	फोलियो सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर प्रमाणपत्र सं. से—तक	डिस्टिंक्टिव सं. से—तक	शेयरों की संख्या
3866	00173382	मोह. अख्तर खान वारसी	352484	163248201 से 163248300	100
3867	00095335	हेमराज मुंदड़ा कला एच मुंदड़ा	261772	154177001 से 154177100	100

स्थानः गुड़गाँव — महाप्रबंधक
दिनांकः 10.02.2020 — मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएनः L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाषः +91 44 4564 4000 । फैक्सः +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारीः रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बरः 7838324723

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु निजी सन्धि विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड जो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, का जविन्दर कुमार, पूनमचरण सिंह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 04.10.2018 तक बकाये रु. 2444466.7/- की वसूली के लिए 27.02.2020 को "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 1200000/- होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 120000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय कॉलोनी लाल बाग, ग्राम अहमद नगर नवादा, परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित खसरा नं. 37 में से प्लॉट सं. 67-ए, प्रथम तल साइड, छत के अधिकार रहित, क्षेत्रफल माप 810 वर्ग फीट, 75.24 वर्ग मीटर का भाग।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।

अस्वीकरणः कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक : 08.02.2020 — **(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)**

JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Regd. Office: SCOs No. 33 and 34, RIICO Shopping Complex, Bagru Ext. 1, Bagru, Jaipur-303007.
CIN: L17124RJ1997PLC013498; **E-mail:** compliance@jagjanani.com; **Phone:** 0141-4104745

(₹ in '000')

Particulars	3 Months Ended 31st December, 2019	9 Months Ended 31st December, 2019	3 Months Ended 31st December, 2018
Total Income from Operations (net)	917	1086	83
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	765	(25)	(341)
Net Profit/Loss for the period after tax (after Extraordinary items)	765	(25)	-
Equity Share Capital	156000	156000	156000
Earning per share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) (not annualised) Basic & Diluted	0.05	(0.001)	(0.02)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website. www.bseindia.com.

FOR JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Ajay Sharma
(Company Secretary)
Jaipur
10.02.2020

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की "धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी / ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चा एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धककर्ता/जमानतदार का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	हाईपोथेकेटेड सम्पत्ति का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) OD1821210221270002 मैसर्स ए के फ्रूट्स जरिए प्रोपराईटर ललित नेहरू (ऋणी), ललित नेहरू पुत्र श्री गोपी किशन नेहरू (जमानतदार/बन्धककर्ता) जमानतदार : श्रीमती आरती नेहरू पत्नी ललित नेहरू	27 जनवरी, 2020 ₹29,49,073/- रु. उनतीस लाख उनचास हजार, तहत्तर मात्र 27 जनवरी, 2020 तक	ऋणी के संपूर्ण वर्तमान और भविष्य की वर्तमान संपत्तियों का हाइपोथेकेशन जिसमें कच्चे माल के भंडार, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल प्राप्तियां, पुस्तक ऋण और परियोजना से उत्पन्न होने वाली अन्य वर्तमान संपत्ति शामिल हैं।	सम्पति के सभी अंग एवं पार्सल जिसमें निर्मित कामर्सियल दुकान का प्रथम तल/ **सम्पति बेयरिंग नं. 664, ब्लॉक सी में, नई सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली. क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट (13.90 वर्ग मीटर)** पर स्थित है। जो कि ललित नेहरू के नाम से है।

दिनांकः 10-02-2020 स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

मिंडा कोर्पोरेशन लिमिटेड SPARK MINDA

पंजीकृत कार्यालय : ए-15, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली - 110052
सीआईएन : L74899DL1985PLC020401
वेबसाइट : www.sparkminda.com, ई-मेल : investor@mindacorporation.com
फोन : +91-124-4698400, फैक्स : +91-124-4698450

सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 42 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि रु. 2/- प्रति मूल्य के 227222285 इक्विटी शेयरों पर वर्ष 2019-20 के लिए @17.50% जोकि रु. 0.35/- प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि बुधवार दिनांक 19 फरवरी, 2020 को निर्धारित की गई है।

रिकॉर्ड तिथि को जिन सदस्यों के नाम सदस्य/लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे अंतरिम लाभांश प्राप्ति के हकदार होंगे।

लाभांश का भुगतान/प्रेषित, शुक्रवार, 06 मार्च, 2020 को या उससे पहले किया जाएगा।

मंडल के आदेशानुसार
कृते मिंडा कोर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक : 11.02.2020 — अजय संचेति
स्थान : दिल्ली — कम्पनी सचिव

प्रपत्र-'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	01.05.2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एण्ड हरियाणा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45201DL2003PLC120136
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	रेक्टैंगल-1, डी-4, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भन की तिथि	12.09.2019 (आदेश 13.09.2019 को प्राप्त हुआ)
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	11.02.2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	लेनदारों की समिति द्वारा तय की गई पात्रता मानदंड, विस्तृत अभिरूचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित किया गया है, जिसे cirp.abwinfra@gmail.com पर समाधान प्रोफेशनल को लिखकर प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	भावी संकल्प आवेदक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 29 ए के अनुसार अयोग्य नहीं होना चाहिए।
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	26.02.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची जारी करने की तिथि	28.02.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04.03.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06.03.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	04.03.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	संहिता की धारा 29 (2) के अनुसार आवश्यक गोपनीयता प्राप्त करने पर भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36 ए (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया 2016) के उप-विनियमन 7(जी) के साथ पढ़ें। समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन, वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच या दस्तावेज / जानकारी साझा करने के लिए औपचारिक तौर पर अनुरोध cirp.abwinfra@gmail.com पर भेजा जा सकता है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	03.05.2020 (कृपया नोट 3 देखें)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	सभी सहायक सूचनाओं, दस्तावेजों और विभिन्न फार्म / शपथ पत्रों / प्राधिकरणों के साथ समाधान योजना, निम्नलिखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत किया जाएगा: श्री सत्य प्रकाश गुप्ता आरपी, एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 808, इरोज अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस,नई दिल्ली -110019 cirp.abwinfra@gmail.com
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	21.05.2020 (कृपया नोट 3 देखें)
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता आईबीबीआई पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-18/11234
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता 808, इरोज अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस,नई दिल्ली -110019 ईमेल: spgfinance@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	808, इरोज अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस,नई दिल्ली -110019 ईमेल: cirp.abwinfra@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	क्रमांक 21 में उल्लिखित ई-मेल पर आरपी को लिखें
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	11.02.2020

नोट : 1. प्राप्त किए गए सभी ईओआई की समीक्षा आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा की जाएगी और इसके बाद प्रक्रिया से संबंधित कार्य की जानकारी / दस्तावेज शॉर्टलिस्ट की गई पार्टियों को प्रदान किए जाएंगे। आरपी / सीओसी के पास किसी भी समय ईओआई के मानदंड को बदलने का विवेक होगा।
2. समाधान प्रोफेशनल / सीओसी बिना किसी कारण बताए और बिना किसी देयता के प्रक्रिया / आवेदन को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. कॉरपोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को बंद करने की अनुमानित तारीख 10.03.2020 (इंसॉल्वेंसी स्टार्टिंग डेट से 180 दिन) है और तत्कुल किसी भी समाधान प्लान पर विचार करने के लिए, लेनदारों की समिति के निर्णय के अधीन होगा। दिनांक 10.03.2020 से CIRP के किसी भी विस्तार की मंजूरी, माननीय न्यायपालिका प्राधिकरण के अधीन है।

हस्ता/-
सत्य प्रकाश गुप्ता
तिथि : 11.02.2020 — एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशनल
स्थान : नई दिल्ली — पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-18/11234

SCHABLONA INDIA LIMITED
CIN:L51109DL1983PLC318655
Regd.Office: 82/19,Bhakerwara Road,Mundka, New Delhi-110 041 Tel:011-2834 1085
Website:www.schablona.in,Email id:silinvestors@schablona.in
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2019
(Rs. in Lakhs)

	Particulars	Quarter ending 31.12.2019	Nine Month ending 31.12.2019	Corresponding 3 months ending in previous year 31.12.2018
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
	1) Revenue from Operations			
	- Gross Sales	39.42	124.11	72.63
	-Other operational Income	0.02	0.48	0.44
	2) Other Income	0.95	9.15	11.02
1	Total income from operations	40.39	133.74	84.09
2	Net Profit / (Loss) For the period (before tax Exceptional and/ or Extraordinary items)	(57.39)	(188.64)	(126.26)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(57.39)	(188.64)	(126.26)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(57.39)	(189.04)	(134.13)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comperhensive income (after tax)	(57.39)	(189.04)	(134.13)
6	Equity Share Capital	126.37	126.37	126.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share of Rs. 4/-each (before/ after extraordinary items)			
	1.Basic:	(1.82)	(5.98)	(4.25)
	2.Diluted:	(1.82)	(5.98)	(4.25)

Note:
The above is an extract of the detailed format of the Quarter and Nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchange, i.e. BSE Limited, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine months ended Financial Results is available on the BSE Limited website,i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company, i.e. www.schablona.in

For **SCHABLONA INDIA LIMITED**
(Satish C. Vishwakarma)
Executive Director & CFO
(DIN:06891937)
Place : Delhi
Date : 10.02.2020

केनरा बैंक Canara Bank — **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एव रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेटस इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट 'एनफोर्समेंट' नियम 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) साथ पढते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस को जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। **"उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"** ऋणी / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **केनरा बैंक सम्बंधित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा / ऋणी / गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग व कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि + ब्याज व अन्य खर्चें
1.	**शाखा : चकराता रोड** **ऋणी:** श्रीमती आशा नागर पत्नी श्री हरिकांत नागर एवं श्री हरिकांत नागर पुत्र स्व0 श्री शिव शरण नागर निवासी: 97/3-3 सड़क न0 8, लेन न0 5, राजेन्द्र नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	**सम्पत्ति नं0 1.** बंधक द्वितीय तल आवासीय यूनिट-II स्टील्ट पार्किंग सम्पत्ति लगभग क्षेत्रफल 134 वर्ग मीटर (प्राइवेट प्लॉट नं0 208 एवं 209 का भाग) खसरा नं0 20एम नगर निगम नं0 448 स्थित ग्राम- चायबाग कौलागढ़ परगना पछुवादून, देहरादून। सम्पत्ति खसरा नं0 20एम (प्राइवेट प्लॉट नं0 208 एवं 209 का भाग) स्थित मौजा चायबाग, कौलागढ़ परगना पछुवादून, जिला- देहरादून, नगर निगम नं0 97/3-3, सड़क नं0 8, लेन नं0 5, राजेन्द्र नगर, देहरादून, भू-तल का भाग कुल क्षेत्रफल 356.88 वर्ग मीटर जिसमें से 102.93 वर्ग मीटर निर्मित भाग एवं अन्य क्षेत्रफल खुला क्षेत्र। **सीमायें:-** पूर्वः श्री चौधरी की भूमि, साइड माप 80 फीट, पश्चिमः श्री सरवत इस्लाम की भूमि, साइड माप 80 फीट, उत्तरः सिरमौर राज्य की सम्पत्ति, साइड माप 48 फीट, दक्षिणः 30 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 48 फीट। **सम्पत्ति नं0 2.** आवासीय सम्पत्ति स्थित प्रथम तल खसरा नं0 20-एम (सम्पत्ति प्लॉट नं0 208 से 209 का भाग) स्थित मौजा चाय बाग, कौलागढ़, परगना पछुवादून, जिला- देहरादून, नगर निगम नं0 97/3-3, सड़क नं0 8, लेन नं0 5, राजेन्द्र नगर, देहरादून, क्षेत्रफल 63.19 वर्ग मीटर पूरा निर्मित। **सीमायें:** पूर्वः सीढ़ियां जो सड़क तक जुडती है, पश्चिमः खुला आसमान, उत्तरः खुला आसमान, दक्षिणः छत फिर खुला आसमान।	मांग नोटिस की तिथि 11.10.2019 कब्जा नोटिस की तिथि 04.02.2020	रु0 28,95,421.75/- दिनांक 19.11.2019 + देय ब्याज दिनांक 15.11.2019 से + लागत एवं व्यय-वसूली दिनांक 15.11.2019 के बाद

दिनांकः 10.02.2020 — स्थानः देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन : 0120-4152766, 4193799, वेबसाइट : www.adharshilacapital.in, ई-मेल - adharshilacapital@gmail.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित परिणामों का संक्षिप्त विवरण
(रु. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	नौ माह समाप्त 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	नौ माह समाप्त 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	3.68	2.01	19.51	15.14
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.79)	(3.18)	2.45	0.71
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(0.79)	(3.18)	2.45	0.71
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(0.58)	(2.35)	1.82	0.55
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	1.68	12.17	5.05	16.05
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	550.00	550.00	550.00	550.00
संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	30.25 (31.03.2019 को)			
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)-				
मूल	0.02	0.18	0.12	0,30
तनुकृत	0.02	0.18	0.12	0.30

नोट :
क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए समाप्त तीसरी तिमाही / नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। समाप्त तीसरी तिमाही / नौ माह हेतु परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **(www.bseindia.com)** तथा कम्पनी की वेबसाइट **(www.adharshilacapital.in)** पर उपलब्ध हैं।
ख) आईएनडी-एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ / हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 31.12.2018	9 माह समाप्त 31.12.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	(2.35)	0.55
अन्य व्यापक आय के माध्यम से आईएनडी एएस समायोजन जोड़ें : आईएनडी एएस के अनुसार निवेश पर उचित मूल्य / (हानि)	15.43	20.33
योग (क)	**13.08**	**20.88**
घटाएं : उपरोक्त समायोजन कर प्रभाव	3.26	4.28
योग (ख)	**3.26**	**4.28**
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	**9.82**	**16.60**

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता./-
हरनन्द त्यागी
निदेशक
स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 10-02-2020

www.readwhere.com

चीन में फंसे पाकिस्तानियों ने की निंदा, अब पाक बोला

नागरिकों को चीन से निकालने पर शीघ्र निर्णय लेंगे

इस्लामाबाद, 10 फरवरी (भाषा)।

चीन के कोरोना वायरस प्रभावित हुबेई प्रांत में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने का जबरदस्त दबाव झेल रहे पाकिस्तान ने कहा कि वह चीन के हालात पर करीबी नजर रख रहा है और अपने नागरिकों को वहां से निकालने पर जल्द कोई निर्णय लेगा। पाकिस्तान को उस वक्त चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ा जब उसने कहा कि वुहान से पाकिस्तानी छात्रों को वापस नहीं लाया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज के इलाज के लिए तय मानकों का देश में अभाव है। वहीं वुहान में फंसे पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से उन्हें वहां से निकालने का अनुरोध कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मामले पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक (एसएपीएम) जफर मिर्जा ने रविवार को कहा, 'उच्च स्तर पर मामले पर विचार किया जा रहा है और सभी संभावित पहलुओं पर विचार के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि हमें आपकी चिंता है।' समाचार पत्र 'डॉन' की खबर के अनुसार मिर्जा ने कहा कि सरकार चीन के हालात पर करीबी नजर रख रही है। सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर संतुलन बनाना चाहती है।

मिर्जा ने कहा, 'हमें पाकिस्तानी नागरिकों (चीन में) की स्थिति, चीनी नियमों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श समेत सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। इस मामले में सभी पक्षकार शामिल हैं और हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं।' मिर्जा ने ट्वीट करके वुहान में फंसे अपने नागरिकों से कहा, 'चीन में मेरे बेहद अजीज छात्र और आपके आदरणीय परिजन, हम उच्च स्तर पर हालात पर गहन चर्चा कर रहे हैं और घातक कोरोना वायरस के संबंध में सभी कारकों के मद्देनजर बेहतर निर्णय लेंगे।'

इस बीच चीन में पाकिस्तान की राजदूत एन हाशमी ने कहा कि वुहान में पूरी तरह से आवाजाही पर रोक है और इसलिए वे वहां फंसे पाकिस्तानी छात्रों से मुलाकात नहीं कर सके। 'जियो न्यूज' ने हाशमी के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी बेजिंग और वुहान में अपने चीनी समकक्षों के साथ संपर्क में हैं और चीन में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के किसी भी प्रश्न का तत्परता से जवाब देंगे। डॉन की खबर में कहा गया है कि मिर्जा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में पाकिस्तानी नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा।

वुहान में एक पाकिस्तानी नागरिक ने ट्वीट किया, 'प्रिय महोदय, अगर आपको हमारी चिंता है तो हमारे साथ वुहान में कम से कम एक दिन गुजारिए। कम से कम एक दिन तो आनंद लीजिए फिर हम, हमें वहां से निकालने के लिए कभी नहीं कहेंगे। मेरे सुझाव पर विचार करिएगा, शुक्रिया।' एक अन्य पाकिस्तानी छात्र ने ट्वीट किया, 'आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर आप चीजों को बदल नहीं सकते तो ट्वीट मत करिए।' पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि चीन में 28 हजार पाकिस्तानी छात्र हैं और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कारोबारी हैं।

जापानी जहाज पर 66 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

जापान के क्रूज जहाज 'डायमंड प्रिंसेज' में 66 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अभी तक इस जहाज पर संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 136 तक पहुंच गई है। उस जहाज पर फंसे भारतीय द्वारा सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा गया कि जापान के तट पर अलग-थलग रखे गए इस जहाज पर 168 भारतीय सवार हैं, जिनमें चालक दल के 160 सदस्य हैं। तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, जापान में कोरोना वायरस के चलते अपतटीय क्षेत्र में अलग-थलग खड़े किए गए क्रूज पोत में सवार लगभग तीन हजार लोगों में भारतीय भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सटीक संख्या का पता लगाया जाना बाकी है।

तोक्यो में भारतीय दूतावास का ट्वीट, क्रूज पोत में सवार लगभग तीन हजार लोगों में भारतीय भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सटीक संख्या का पता लगाया जाना बाकी

यह क्रूज पोत 3,711 लोगों को लेकर पिछले हफ्ते जापान के तट पर पहुंचा था। पिछले महीने हांगकांग में उतरा यात्री कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया। इसके बाद पोत को अलग-थलग कर दिया गया था। जब पोत जापान के तट पर पहुंचा था, तब अधिकारियों ने शुरू में तकरीबन 300 लोगों का परीक्षण किया था। जिन नए संक्रमित लोगों का पता चला है, उनमें ज्यादातर जापानी हैं लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, कनाडा, ब्रिटेन और यूक्रेन के नागरिक भी हैं।

तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, 'क्रूज पर चालक दल के सदस्यों में कई भारतीय हैं और पोत पर कुछ भारतीय यात्री भी सवार हैं। इसे जापान के अपतटीय क्षेत्र में कोरोना वायरस की वजह से अलग कर दिया गया है।' दूतावास ने पोत पर सवार भारतीयों की सटीक संख्या नहीं बताई।

जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खड़े पोत डायमंड प्रिंसेज के पास रक्षात्मक सूट पहने अधिकारी।

दूतावास ने कहा, 'इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए तोक्यो में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव (काउंसलर) से संपर्क करें।'

पोत सवार चालक दल के भारतीय सदस्य बिनय कुमार सरकार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा क पोत पर चालक दल के सदस्यों में 160 भारतीय हैं और आठ भारतीय मुसाफिर हैं। उन्होंने पोत पर से वीडियो रिकॉर्ड कर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से भारतीयों को तत्काल अलग करने की अपील की। बंगाल के रहने वाले और खानसामा का काम करने वाले सरकार ने कहा, 'उनमें से किसी की भी (कोरोना वायरस) जांच नहीं की गई है।' सरकार के साथ उनके पांच भारतीय सहकर्मी खड़े हैं जो मास्क पहने हैं।

रोकथाम
चीन के शेडोंग प्रांत के यांताई स्थित औद्योगिक पार्क को संक्रमणमुक्त रखने के लिए मशीन से छिड़काव का नजारा।

चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 908 हुई, पहुंचेगी डब्लूएचओ की टीम

बेजिंग/जिनेवा, 10 फरवरी (भाषा)।

चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो गई है जबकि इस संक्रमण के 40,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। उधर, डब्लूएचओ की अगुआई में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का दल इस महामारी पर काबू पाने में मदद के लिए चीन पहुंच रहा है।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि इससे रविवार को 97 और लोगों की जान चली गई व 3,062 नए मामले सामने आए हैं। उसने बताया कि शनिवार को जिन 97 लोगों की जान गई, उनमें से 91 हुबेई प्रांत के थे, जहां इस वायरस के कारण सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। इसके अलावा दो लोग अनहुइ में मारे गए। हीलोंगजियांग, जिआंगशी, हैनान और गान्सू में इससे एक-एक व्यक्ति की जान गई है। आयोग के अनुसार 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में इससे अब तक कुल 908 लोगों की जान जा चुकी है और कुल 40,171 मामलों की पुष्टि हुई है। इसने कहा कि रविवार को अन्य 4008 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। आयोग ने बताया कि रविवार को 296 मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गए, 6484 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और इससे 23,589 लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। कुल 3,281 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। मरीजों के संपर्क में आए 3.99 लाख लोगों की पहचान की गई है, उनमें से 29307 को रविवार को मेडिकल निगरानी से छुट्टी दे दी गयी और 1.87 लाख अब भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की अगुआई में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का दल चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश पाने में मदद पहुंचाने के लिए सोमवार रात को पहुंचने की उम्मीद है। उधर जिनेवा से जारी बयान में डब्लूएचओ ने कोरोना वायरस का संक्रमण चीन से बाहर फैलने को लेकर अन्य देशों को आगाह किया और उनसे अपील की है कि वे इस घातक विषाणु के उनके देश में पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उससे निपटने के लिए तैयार रहें।

चीन ने मोदी के पत्र की सराहना की

बेजिंग, 10 फरवरी (भाषा)।

चीन ने घातक कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के वास्ते एकजुटता प्रकट करने और मदद की पेशकश करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र की सोमवार को सराहना की और कहा कि यह भारत की बेजिंग के साथ दोस्ती को 'पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।'

जिनपिंग को लिखे पत्र में मोदी ने वायरस के प्रकोप को लेकर राष्ट्रपति और चीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'हम कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की लड़ाई में भारत के समर्थन के प्रति आभार जताते हैं और सराहना करते हैं।'

प्रवक्ता ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में मोदी की ओर से जिनपिंग को लिखे गए पत्र के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'भारत का सद्भावना का यह कदम चीन के साथ उसकी दोस्ती को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।' जिनपिंग को भेजे पत्र में मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए चीन को भारत की ओर से मदद की पेशकश की थी और साथ ही इस वायरस से लोगों की मौत पर शोक जताया था। प्रधानमंत्री ने हुबेई प्रांत से करीब 650 भारतीयों को निकालने में मदद के लिए जिनपिंग के प्रति आभार भी जताया था।

कई देशों ने चीन से अपने-अपने नागरिकों को निकाला है। भारत ने भी चीन से लोगों के आने और जाने पर एहतियाती तौर पर रोक लगा दी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शुआंग ने कहा, 'हम इस महामारी से निपटने और क्षेत्र तथा दुनियाभर के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।'

आयरलैंड चुनाव में भारतवंशी प्रधानमंत्री वराडकर को झटका

लंदन, 10 फरवरी (भाषा)।

आयरलैंड में हुए आम चुनाव में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर की उदारवादी-रूढ़िवादी 'फाइन गेल पार्टी' को झटका लगा है जबकि राष्ट्रवादी पार्टी सिन फिन को अभूतपूर्व बढ़त मिली है।

आयरलैंड में हुए आम चुनाव में मतगणना के रविवार को आए रुझानों मुताबिक वराडकर की पार्टी तीसरे स्थान पर खिसकती नजर आ रही है जबकि 'सिन फिन' सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। दूसरे स्थान पर रूढ़िवादी 'फियेना फेल' है।चुनाव रुझानों को देश के लिए अप्रत्याशित बताया जा रहा है और सरकार बनाने में समय लग सकता है क्योंकि वराडकर ने 'सिन फिन' से गठबंधन की संभावना से इनकार किया है।

एमिनेम का दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन

लॉस एंजिलिस, 10 फरवरी (भाषा)।

ऑस्कर पुरस्कार समारोह में मौजूद दर्शक उस समय झूम उठे जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रैपर्स में शुमार एमिनेम ने अचानक मंच पर आकर प्रस्तुति दी। यह ऑस्कर के मंच पर उनकी पहली प्रस्तुति थी। उन्हें 2003 में ही यहां प्रस्तुति देनी थी, लेकिन अकादमी चाहती थी कि वह अपने गीत के सेंसर किए गए संस्करण को सुनाए, जिसके बाद उन्होंने पुरस्कार समारोह में हिस्सा ना लेने का निर्णय लिया था।

अपनी शानदार प्रस्तुति से एमिनेम ने सभी का दिल जीत लिया और दर्शक दीर्घा में बैठे ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, गैल गैडोट, ग्रैमी पुरस्कार विजेता बिली ईलिश और एंथोनी रामोस सहित कई सितारों ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया। आमतौर पर ऑस्कर समारोह में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब किसी प्रस्तुति के बाद खड़े होकर किसी का अभिवादन किया जाए। मार्शल मैथर्स उर्फ एमिनेम ने अपना लोकप्रिय गीत 'लूज योरसेल्फ' सुनाया जिसके लिए उन्हें 2003 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर मिला था। उस समय संगीतकार लुइस रेस्तो ने उनका ऑस्कर लिया था। इस बार पुरस्कार समारोह के बाद उन्होंने ट्वीट किया, 'अकादमी को धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूं कि यहां तक आने में 18 साल लग गए।'

ऑस्कर से वंचित रहीं महिला निर्देशकों के नाम वाली पोशाक पहन कर पहुंचीं नैटली पोर्टमैन

लॉस एंजिलिस, 10 फरवरी (भाषा)।

ऑस्कर पुरस्कार समारोह में रेड कारपेट पर 'डियोर' की काले रंग की कैप ड्रेस पहन कर उतरी हॉलीवुड अदाकरा नैटली पोर्टमैन ने सभी का ध्यान यहां अपनी ओर आकर्षित किया। इस पोशाक पर उन महिला निर्देशकों के नाम लिखे थे, जिन्हें बेहतरीन काम के बाजवूद ऑस्कर नहीं मिल सका। 'पेज सिक्स' के अनुसार फिल्म 'लिटिल वुमैन' की निर्देशक ग्रेटा जरविक, 'द फेयरवेल्स' की लुलु वांग और 'क्वीन एंड स्लिम' की मेलिना मैटसुकास समेत आठ महिला निर्देशकों के नाम पोर्टमैन के गाउन पर लिखे थे।

उन्होंने डोल्बी थिएटर के बाहर पत्रकारों से कहा, 'मैं उन महिलाओं को अपने तरीके से पहचान दिलाना चाहती थी जिनके बेहतरीन काम को इस साल पहचान नहीं मिल सकी।' उनकी ड्रेस पर लोरेने स्काफारिया (हस्लर्स), मेटी डियोप (एटलांटिक्स), मेरियेने हेलर (अ ब्युटीफुल डे इन द नेबरहुड), जोआना होग (द सोवेनियर), अल्मा हारेल (हनी ब्वाय) और सेलिने स्कियामा (पोट्रेट आफ अ लेडी आन फायर) के भी नाम थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन पाने वाली सिथिया एरिवो और कामेडियन लेसली जोंस समेत कई प्रमुख कलाकारों ने 'मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अकादमी' पर नामांकन में अश्वेतों और महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। पोर्टमैन ने दो साल पहले भी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार देने से पहले तंज कसते हुए कहा था, 'और यह हैं सभी पुरुष दावेदारों के नाम।'

महाराष्ट्र में 40 फीसद झुलसी महिला व्याख्याता की मौत

नागपुर, 10 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पीछा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा पिछले सप्ताह आग के हवाले की गई एक महिला व्याख्याता की सोमवार की सुबह नागपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई।

वर्धा में विकेश नगराले (27) ने हिंगणघाट निवासी अंकिता पिसुड्डे (25) को तीन फरवरी को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया था जिसके कारण वह 40 फीसद तक झुलस गई थी। घटना के वक्त वह कॉलेज जा रही थी। नागपुर के 'ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' में इलाज चल रहा था। हिंगणघाट के पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार ने कहा, 'चिकित्सकों ने आज सुबह छह बजकर 55 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया।' कुछ स्थानीय लोगों ने हिंगणघाट में एक सड़क को रोकने के लिए वहां पत्थर फेंके। उस वक्त एक एम्बुलेंस अंकिता का शव लेकर उनके पैतृक गांव दरोडा जा रही थी और वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर थी। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने युवती की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होगी। उनकी सरकार दिशा अधिनियम का अध्ययन करेगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की कोशिश करेगी। दिशा अधिनियम आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में लागू किया है। दिशा अधिनियम के तहत यौन अपराध से जुड़ा मामला दर्ज होने के सात कामकाजी दिन के भीतर जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख के 14 कामकाजी दिन में सुनवाई पूरी होने का प्रावधान है। मृतका के पिता ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी को जल्दी न्याय मिले और निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले की तरह इसमें देरी नहीं हो।

गरीब हो रहा है देश, अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर : चिदंबरम

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

कांग्रेस के नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है और इसकी देखभाल का जिम्मा अनाड़ी डाक्टरों के हाथ में है।

राज्यसभा में 2020-21 के आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए चिदंबरम ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और घटते उपभोग की वजह से आज देश गरीब हो रहा है। अर्थव्यवस्था के समक्ष मांग की कमी है और निवेश इसकी राह देख रहा है। अर्थव्यवस्था गिरती मांग और बढ़ती बेरोजगारी का सामना कर रही है। चिदंबरम ने कहा कि चार साल तक भाजपा सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था आइसीयू में पहुंच चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मरीज को आइसीयू से बाहर रखा गया है, अनाड़ी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे है और आसपास खड़े लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे लगा रहे हैं। यह खतरनाक है। केंद्र सरकार ने जिस भी अनुभवी सक्षम डॉक्टर की पहचान की है, सभी देश छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नाम शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया, 'आपका डॉक्टर या चिकित्सक कौन है, मैं जानना चाहता हूं। सरकार कांग्रेस को तो अछूत समझती है। दूसरे विपक्षी दलों के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं है। ऐसे में वह किसी से सलाह नहीं करती है।'

भाजपा नेता की बुर्के पर प्रतिबंध की मांग

लखनऊ, 10 फरवरी (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रघुराज सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

भाजपा ने देर शाम जारी बयान में कहा कि संगठन की नीतियों के विरुद्ध क्रियाकलापों व अमर्यादित बयानबाजी के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर पार्टी ने रघुराज सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी करते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। स्वतंत्र देव सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी बहन या बेटी या महिला चाहे व हिंदू हो या मुसलिम या किसी भी पंथ मजहब जाति या समुदाय से जुड़ी हो, उनकी मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी टिप्पणी न स्वीकार है और न बर्दाश्त की जा सकती है। महिलाओं और बेटियों का सम्मान पार्टी की रीति-नीति है और उसका पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व है।

किसका है बरेली में लटका 270 किलोग्राम का झुमका

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

बरेली को उसका मशहूर झुमका मिल गया। इस झुमके के पीछे बहुत कुछ है। मुंबई के एक डिजाइनर की कल्पना है। पीतल का काम करने वाले मुरादाबादी कारीगर हैं। बरेली विकास प्राधिकरण का खाली खजाना है। बरेली इंटरनेशल यूनिवर्सिटी की दरियादिली है। उद्घाटन को लेकर विवाद है। भविष्य में इसकी देखरेख की जिम्मेदारी का भी सवाल है क्योंकि झुमका तो लटक गया, इसकी देखरेख कौन करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने किसी से कोई करार नहीं किया है। प्राधिकरण ने इसका सपना तो देखा मगर न बनाया न देखरेख की जिम्मेदारी उठा रही है, तो फिर किसका है यह झुमका।

यह झुमका बरेली इंटरनेशल यूनिवर्सिटी का है। उसी ने पैसा लगाया। वही इसकी देखभाल भी करेगी। प्राधिकरण ने इसके लिए यूनिवर्सिटी से कोई करार तक नहीं किया है। झुमका प्राधिकरण के सहयोग से नहीं बल्कि चंदे से चमका है। झुमका लगाने का सपना तो बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने देखा लेकिन पूरा करने के लिए सरकारी खजाने की कंगाली सामने आ गई और धनराशि का इंतजाम नहीं हो पाया। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करीब 20 से 30 लाख रुपए की अनुमानित कीमत का झुमका बरेली-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लटका दिया गया। हालांकि लागत 40 लाख रुपए खर्च होने की भी चर्चा है। जमीन के लिए बीडीए ने दो विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया था लेकिन पूरा खर्च बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक, अगले कई साल तक झुमके का रखरखाव यूनिवर्सिटी प्रशासन ही करेगा।

वहीं, इसके उद्घाटन को लेकर भी काफी विवाद गहरा गया। केंद्रीय श्रम मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार इसके उद्घाटन में पहुंचे लेकिन मेयर डॉ उमेश गौतम कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उमेश गौतम भाजपा से बरेली के मेयर हैं। बीडीए बोर्ड में सदस्य राजेश अग्रवाल बताते हैं कि पर्यटन विभाग के विशेष सचिव और पर्यटन विकास निगम के महानिदेशक रह चुके शशांक विक्रम 2015 में बीडीए उपाध्यक्ष बनकर आए तो यह प्रस्ताव उन्होंने बनाया था। उस समय बरेली विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि की हुई बैठक में बरेली आयुक्त ने सबसे पहले झुमका लगाने का प्रस्ताव पास किया और करीब 10 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। 2018 में शशांक विक्रम के जाने के बाद बीडीए की माली हालत खराब होती गई और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद बरेली नगर निगम ने अपनी ओर से झुमका लगाने का काम आगे बढ़ाया। तब बरेली के ही डेलापीर और शहर के बिल्कुल बीच चौकी चौराहे पर झुमका लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन वहां भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। 2019 में बीडीए उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने इस योजना को फिर से आगे बढ़ाया बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ इसे पूरा किया।

बरेली के झुमका तिराहे पर लगाया गया विशालकाय झुमका।

- 2015 में लाए गए झुमका लगाने के प्रस्ताव को अवस्थापना निधि की बैठक में पास किया गया था
- 10 लाख रुपए का इंतजाम झुमके के लिए किया गया था, लेकिन झुमका लगवाया बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने

उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल बताती हैं कि विश्वविद्यालय के साथ कोई करार नहीं किया गया है। पैसे की कमी तो है लेकिन बीडीए चाहता तो अपने पैसे से भी यह लगवा सकता था लेकिन काम जन सहयोग से हुआ है तो अच्छी बात है। मित्तल बताती हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से जमीन का अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया है। झुमके की कीमत अभी सही जानकारी नहीं है, लेकिन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दो क्विंटल 70 किलोग्राम पीतल से बने झुमके के मुरादाबाद से बनवाया गया है। 28 डिजाइन में मुंबई के डिजाइनर रजनीश अग्रवाल की डिजाइन को चुना गया है जिनको बीडीए सम्मानित करेगा। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ केशव कुमार अग्रवाल का कहना है कि झुमका लगाने के लिए सहयोग की बात आई तो मैंने हां कर दी। उनका कहना है कि बीडीए की ओर से कोई करार तो नहीं हुआ है लेकिन एक पत्र है उसे ही सहमति या करार पत्र कह सकते हैं। वह कहते हैं कि वहां बिजली, पानी और तमाम रखरखाव का काम हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से ही कर लिया जाएगा, लेकिन यह कब तक है इसका कोई समय निश्चित नहीं है।

www.readwhere.com

यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री जनवरी में 6.2 फीसद गिरी

ग्रेटर नोएडा,10 फरवरी (भाषा)।

यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में जनवरी में 6.2 फीसद की गिरावट देखी गयी है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसकी प्रमुख वजह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में नरमी रहना व वाहन मांग का कमजोर रहना है।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में घरेलू बाजार में कुल 2,62,714 यात्री वाहनों की बिक्री हुई जबकि जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 2,80,091 था। इस अवधि में कारों की बिक्री 8.1 फीसद घटकर 1,64,793 वाहन रही जबकि पिछले साल जनवरी में 1,79,324 कारें बिकी थीं। विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की बिक्री जनवरी में 13.83 फीसद घटकर 17,39,975 वाहन रही जबकि पिछले साल जनवरी में कुल 20,19,253 वाहन बिके थे।

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा– जीडीपी वृद्धि दर के नीचे रहने और वाहन रखने की बढ़ती लागत के चलते वाहनों की बिक्री पर दबाव बना हुआ है। देश में एक अप्रैल से भारत स्टेज–6 उत्सर्जन मानक लागू होने को देखते हुए वाहन विनिर्माताओं ने बीएस–4 से बीएस–6 में बदलाव किया है। इस वजह से वाहनों की कीमत बढ़ी है। वहीं लागत में वृद्धि के चलते कई कंपनियों ने जनवरी में वाहन की कीमत बढ़ायी हैं। वढेरा ने कहा– बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की हाल की घोषणाओं से हमें उम्मीद है कि यह वाहनों की बिक्री को बढ़ाएगी और वृद्धि को समर्थन करेगी। सियाम के मुताबिक समीक्षावधि में दोपहिया वाहन की बिक्री 16.06 फीसद घटकर 13,41,005 इकाई रही। जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 15,97,528 इकाई था।

समीक्षावधि में मोटरसाइकिल की बिक्री 15.17 फीसद गिरकर 8,71,886 वाहन और स्कूटर की बिक्री 16.21 फीसद घटकर 4,16,594 वाहन रही। जनवरी 2019 में यह आंकड़ा क्रमसे 10,27,766 और 4,97,169 वाहन था। सियाम के अनुसार जनवरी 2020 में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 14.04 फीसद टूटकर 75,289 वाहन रही जो जनवरी 2019 में 87,591 वाहन थी। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि तिपहिया वाहन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के वाहनों की थोक बिक्री गिरी है। उन्होंने कहा– हमें उम्मीद है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें अभी चल रहे ऑटो एक्सपो में मिल रही है, यह ग्राहकों की धारणा मजबूत करने में मदद करेगा। अब तक 70 से ज्यादा नई गाड़ियां यहां पेश की जा चुकी हैं।

कोरोना वायरस से वाहन उद्योग भयभीत : कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से चीन से वाहन कलपूर्जों की आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर भारतीय वाहन उद्योग भयभीत है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति कुछ दिन बाद ही सामने आ सकेगी जब चीन में कारखाने दोबारा से शुरू होंगे। सियाम ने सोमवार को यह जानकारी दी। सियाम ने कहा कि वह अपनी सदस्य कंपनियों से आंकड़े और जानकारियां जुटा रही है और इसका विश्लेषण करने में कुछ दिन लगेंगे। इसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि कोरोना वायरस की वजह से कलपूर्जों की आपूर्ति में क्या कोई व्यवधान पैदा हुआ है? अगर हुआ है तो उसका क्या प्रभाव है? सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने यहां संवाददाताओं से कहा– अभी इस मुद्दे पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसे लेकर भय की स्थिति है और हर किसी को आज का इंतजार है क्योंकि चीनी नववर्ष की छुट्टियों के बाद वहां आज से बाजार खुलने की संभावना है।

मेनन से कोरोना वायरस की वजह से चीन से वाहन कलपूर्जों की आपूर्ति प्रभावित होने को लेकर प्रश्न किया गया था। उनसे पूछा गया कि यदि चीन से कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित होती है तो देश में एक अप्रैल से लागू होने जा रही बीएस–4 से बीएस–6 के बदलाव पर क्या असर पड़ेगा? मेनन ने कहा, ''हमें जल्द ही इसके प्रभाव की सटीक स्थिति और संभावित निहितार्थों के बारे में पता होगा। लेकिन एक बात साफ है कि इसे लेकर भय का माहौल है। यह समस्या कितनी बड़ी होगी इस बारे में स्पष्ट जानकारी अगले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगी।

वाहन व धातु कंपनियों के शेयरों में गिरावट, सूचकांक 162 अंक लुढ़का

मुंबई, 10 फरवरी (भाषा)।

कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने और आर्थिक नुकसान की आशंका से घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को दूसरे दिन गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों वाला संसेक्स 162.23 अंक यानी 0.39 फीसद गिरकर 40,979.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में करीब 373 अंक का उतार–चढ़ाव देखा गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 66.85 अंक यानी 0.55 फीसद लुढ़क कर 12,031.50 अंक पर बंद हुआ। वाहन और धातु कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट से मुख्यत : शेयर बाजार में सुस्ती आई।

सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) में सबसे ज्यादा सात फीसद की गिरावट आई। इसके अलावा , टाटा स्टील (5.80 फीसद) , ओएनजीसी (2.84 फीसद) , सन फार्मा (2.39 फीसद) और हीरो मोटोकॉर्प (2.34 फीसद) के शेयर भी नीचे रहे। दूसरी ओर , बजाज फाइनेंस , कोटक बैंक , टीसीएस , एशियन पेंट्स , एचडीएफसी , हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी आई। वाहन कंपनियों के संगठन सियाम के वाहन बिक्री के आंकड़े जारी करने के बाद वाहन कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री जनवरी महीने में 6.2 फीसद गिर गई। उद्योग संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भारतीय वाहन क्षेत्र भयभीत है क्योंकि इससे चीन से वाहन कलपुर्जों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। चीन में कारखाने खुलने के बाद अगले कुछ दिन बाद में तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक , कोरोना वायरस से 900 से ज्यादा लोगों की अब तक जान गई है और 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।

घाटे वाली तीन इकाइयों को बंद नहीं करेगी सेल : चेयरमैन

कोलकाता,10 फरवरी (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) अपने तीन घाटे वाले विशिष्ट इस्पात संयंत्रों को बंद नहीं करेगी। सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि कंपनी को अगर इन इस्पात संयंत्रों के लिए खरीदार नहीं मिलता है, तो वह इन्हें बंद नहीं करेगी। इससे पहले केंद्र ने पश्चिम बंगाल के अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी) तमिलनाडु के सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी) और कर्नाटक के विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआइएसपी) की बिक्री की मंजूरी दी थी। इन तीनों संयंत्रों का कुल घाटा पिछले वित्त वर्ष में 370 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

पिछले साल जुलाई में निवेश व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सेल की तीनों इकाइयों की 100 फीसद हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। हालांकि, रुचि पत्र जमा कराने की तारीख तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। सेल के चेयरमैन चौधरी ने कहा– विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। हम इन तीन विशिष्ट इस्पात इकाइयों को बंद नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया था कि उचित खरीदार नहीं मिलने पर क्या कंपनी इन तीनों इकाइयों को बंद करेगी।

सेल के अधिकारियों ने कहा कि तीनों इकाइयां मांग के अनुरूप काम कर रही हैं। हालांकि, ये इकाइयां अपनी महत्तम क्षमता से कम पर काम कर रही हैं। इन तीनों इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या 1,972 है। कंपनी ने कहा कि इन इकाइयों के लिए मिली बोलियों का परामर्शक कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स आकलन कर रही है।

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana

In the court of sh. Vijay Kumar - I Judicial Magistrate 1st Class Ludhiana

Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in

CNR NO:PBLD03-001487-2019

NEXT DATE: 12-03-2020

Kotak Mahindra Bank

V/s

Mohd. Kazim

Notice To: Mohd. Kazim, R/o Vill. Bakainiya Mafi Pakbara Moradabad, Moradabad -244102 (up)

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **12-03-2020** at 10.00a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law in Your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana **JMIC LUDHIANA**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएनः L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई–600031. दूरभाषः +91 44 4564 4000 । **फैक्सः** +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारीः रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बरः 7838324723

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु निजी सन्धि विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड जो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, का धर्मेन्दर पाल, परमेश्वरी देवी, श्यामलाल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 23 अक्टूबर, 2018 तक बकाये रु. 1442343.4/– की वसूली के लिए 27.02.2020 को ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 500000/– होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 50000/– होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

दुकान नं. डी–01/014/1बी भूतल छत के अधिकार रहित, दिलशाद प्लाजा, डीएलएफ दिलशाद एक्स.–2 ग्राम–ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, प्रॉपर शहर–गाजियाबाद, प्रॉपर राज्य–उत्तर प्रदेश, जिपकोड–201005

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirst-bank.com देखें।

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

ह./–
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांकः 08.02.2020 **(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)**

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
हेवन इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	हेवन इंजीनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	01.10.2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, भारत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U70109DL2012PTC243041
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	128, पॉकेट–14, सेक्टर–20, रोहिणी, दिल्ली–110041
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	6 फरवरी, 2020 (आदेश 7.2.2020 को प्राप्त की गई) द्वारा आदेश (IB)–2173 (ND) 2019 जो माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ द्वारा जारी की गई
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	5 अगस्त, 2020 (जो आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात 7.2.2020 से 180 दिन है)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के रूप में कार्यरत है	शशि भूषण प्रसाद पंजी सं. IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-19/12114
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का पता एवं ईमेलः	पताः जी–4/9, 1ला तल, निकट कृष्णा मंदिर, मालवीय नगर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110017 ईमेल आईडीः shashibpd@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः स्ट्रेश क्रेडिट रिज़ॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड सुट नं. 116, प्रथम तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 ईमेल आईडीः shashi@stresscredit.com; admin@stresscredit.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	21 फरवरी, 2020 जो आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात (7.2.2020) से 14वां दिन है।
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेब लिंकः https://www.stresscredit.com/ /downloads-2/ (ख) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली (कोर्ट नं. IV) ने 16 फरवरी, 2020 (आदेश 17.2.2020 को प्राप्त की गई) को हेवन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा हेवन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 21 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

संबंधित प्रपत्र वेबसाईट https://www.stresscredit.com/ /downloads-2 से डाउनलोड की जा सकती है।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 11 फरवरी, 2020 **हस्ता./–**
स्थानः नई दिल्ली **शशि भूषण प्रसाद**
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल
पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-19/12114

मिंडा फाइनेंस लिमिटेड
CIN: L67120DL1985PLC021349
REGD. OFFICE: B-64/1, WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA, DELHI-110052
PH: 011-49373131 E-mail: lalitk@mindagroup.com Website: www.mindafinance.com

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व नौ माही के लिए स्टैंडलोन व समग्र अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. स.	विवरण	स्टैंडलोन			समग्र		
		समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ महीने	समाप्त तिमाही
		31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 केक्षित	31.12.2018 (अनंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8.63	50.90	8.59	44.49	164.23	37.95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/अतिरिक्त साधारण मदों से पहले)	(15.95)	(23.09)	1.83	(13.61)	(25.79)	2.06
3.	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अतिरिक्त साधारण मदों के बाद)	(15.95)	(23.09)	1.83	(13.61)	(25.79)	2.06
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या अतिरिक्त साधारण मदों के बाद)	(16.04)	(23.25)	1.43	(112.61)	(283.90)	19.01
5.	अवधि के लिये (अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल, के लिये कुल व्यापक आय	(16.04)	(23.25)	1.43	(112.61)	(283.90)	19.01
6.	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के लेखा तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
8.	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/– प्रत्येक का (जारी व बंद प्रचालनों के लिए)						
	(ए) बेसिक (रु. में)	(0.80)	(1.16)	(0.08)	(5.63)	(14.19)	0.95
	(बी) डायल्यूटिड (रु. में)	(0.80)	(1.16)	(0.08)	(5.63)	(14.19)	0.95

नोट :

(1) उक्त भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व नौ माही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.mindafinance.com) भी उपलब्ध है।

(2) 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के लिए वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 10 फरवरी 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया है और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा भी की गई है।

3) यह कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय क्रिया कलापों में संलग्न है तथा भारतीय लेखा मानक–108 ''प्रचालन की खंड'' के अनुसार कोई अलग से विवरण देने योग्य कोई खंड नहीं हैं।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
मिंडा फाइनेंस लिमिटेड के लिए
(प्रमोद कुमार गर्ग)
स्थान : दिल्ली **पूर्णकालिक निदेशक**
दिनांक : 10.2.2020 **डीआइएनः 00008042**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! the name you can BANK upon!
शाखा कार्यालयः एनआईटी–5, फरीदाबाद (नीलम सिनेमा हॉल के पीछे), टेली.: 0129–2415880, **ईमेलः bo0167@pnb.co.in**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के ऑर्ड 3) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक(कों)/गारन्टर (रों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक, एनआईटी–शाखा फरीदाबाद के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
1. श्री अनुप कुमार सिंह, पुत्र श्री शत्रुघ्न सिंह 2. श्रीमती विभा सिंह, पत्नी श्री अनुप कुमार सिंह (सह–ऋणधारक) गारन्टरः श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री अमर सिंह पताः एच.नं. 3–50, दूसरा तल, लाजपत नगर, नई दिल्ली, साथ हीः बिल्ला नं. 41, मनशा ग्रीन कॉम्प्लैक्स, मथुरा रोड (दिल्ली पब्लिक स्कूल के निकट) ग्राम औरंगाबाद, जिला पलवल, हरियाणा–121004 (सभी के लिये कॉमन पता)	सम्पत्ति के स्वामीः श्री अनुप कुमार सिंह, पुत्र श्री शत्रुघ्न सिंह बिल्ला नं. 41, माप 706 वर्ग यार्ड्स, मनशा ग्रीन कॉम्प्लैक्स, मथुरा रोड (दिल्ली पब्लिक स्कूल के निकट) ग्राम–औरंगाबाद जिला पलवल, हरियाणा–121004 के ईएम का सभी भाग तथा हिस्सा। टाइटल पंजी. सं. 2531 तिथि 5.10.2010 जो उप–रजिस्ट्रार, होटल, पलवल के पास पंजीकृत है। तथा उस पर विद्यमान तथा भविष्य के सभी संरचनाओं तथा ईरैक्शन्स के साथ	रु. 2613552.87 (रुपये छब्बीस लाख तेरह हजार पाँच सौ बावन एवं पैसे सतासी मात्र) 30.6.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि।	14.11.2019 **कब्जा की तिथि** 7.2.2020

तिथिः 11.2.2020, **स्थानः** फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

मेवात जिंक लिमिटेड
CIN: L27204DL1991PLC046120
पंजीकृत कार्यालयः 1/24, **बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली**–110002
फोन नं.: 011–23234316, **ई–मेलः mewatzinc@gmail.com, वेबसाईटः www.mewatzinc.com**
31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(ईपीएस को छोड़कर राशि रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माही		समाप्त वर्ष
		31.12.2019 (अनंकेक्षित)	30.9.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	11.50	47.09	30.97	91.99	161.15	201.20
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.41	2.54	0.71	3.21	2.68	5.10
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.41	2.54	0.71	3.21	2.68	5.10
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.31	1.88	0.53	2.48	2.01	3.76
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	0.31	1.88	0.53	2.48	2.01	3.76
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरिक्षतों के अतिरिक्त आरक्षित)						45.74
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)						
	मूलः	0.01	0.05	0.01	0.06	0.05	0.09
	तरलः	0.01	0.05	0.01	0.06	0.05	0.09

टिप्पणीः

1. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा नौ माही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट https://www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.mewatzinc.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।
3. कम्पनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
4. जहाँ भी जरुरी हुआ, पूर्व तिमाही/नौमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किये गये हैं।

मेवात जिंक लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
जे.पी. गुप्ता
तिथिः 10 फरवरी, 2020 **प्रबंध निदेशक**
स्थानः नई दिल्ली **DIN: 00253529**

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
साउथ इण्ड सर्किल, सं. 3, 6ठां मेन रोड, 4था ब्लॉक, जयानगर, बेंगलुरू–560011, दूरभाष नं. : 22959622

मॉग सूचना

प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु 2002 के अधिनियम 54 की धारा 13(2) के तहत सूचना

कर्जदाता को : श्रीमती जी.के. शोभा, पत्नी के.एन. उदयकुमार, नं. 439, IV मेन, शास्त्रीनगर, बेंगलुरू–560028, सह–आवेदक : श्री के.एन. उदयकुमार, पुत्र के.एस. नागराज राव, प्रबन्धक, सीएडीडीएस, भारत इलेक्ट्रॉनिक लि., महाराजपुर, गाजियाबाद–201010, वर्तमान पता : सं. 53बी, डीडीए फ्लैट्स, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली–110095

महोदय/ मैडम,

कृपया ध्यान दें कि आपने बैंक से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं ली हैंः

क्र.सं.	सुविधा/ऋण	सीमाएँ	दौरान वर्ष	03.02.2020 तक बकाया
1	HLSR2	रु. 10,45,000	2009–2020	रु. 6,38,397/–

अप्रयोज्य के विरुद्ध दृष्टिबन्धक तथा/अथवा नीचे वर्णित सम्पत्तियों के गिरवी के विरुद्ध : डोड्डातोगुरु गाँव, बेगूर होबली, बेंगलुरू, बेंगलुरू दक्षिण तालुक (अब बेंगलुरू ईस्ट तालुक) में स्थित एसवाई सं. 156/2 तथा 101 में निर्मित 'लिटिना महावीर' के ब्लॉक 'पी' में लेवल दो (प्रथम तल) में समस्त आवासीय फ्लैट सं. पी211 तथा कॉमन एरिया, पैसेज, लॉबी, स्टेयरकेस एवं एक कवर्ड कार पार्किंग स्थान सहित कॉमन उपयोग के अन्य क्षेत्र और उपर्युक्त सन्दर्भित भूमि में अविभाजित हिस्सा, अधिकार, स्वामित्व, हित तथा मालिकाना हक के 589 वर्गफीट सुपर बिल्ट एरिया का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : सर्वे सं. 101 का शेष भाग, पश्चिम : सर्वे सं. 102 में सम्पत्ति, उत्तर : सड़क तथा सर्वे सं. 156 का शेष भाग, दक्षिण : फ्लैट सं. 212.

जैसा कि आपने मूल ऋण/सुविधा और/या किश्तों/ब्याज या दोनों के पुनर्भुगतान में चूक कर दी है, और/या RBI के मानदंडों से अधिक अवधि के लिए खाता अव्यवस्थित रहा है, आपके खाते में 03.01.2020 को गैर निष्पादन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और आप सभी 03.02.2020 तक अनुबन्ध के अनुसार ब्याज के साथ रु. 6,38,397/– (रुपये छः लाख अड़तीस हजार तीन सौ सत्तानबे मात्र) का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग समझौते के अनुसार उत्तरदायी हैं।

आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अद्यतित ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसकी विकलता पर, बैंक को ऊपर दिए गए दृष्टिबंधक/बंधक संपत्तियों के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप के बिना, राशि वसूलने के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, जैसे कि वित्तीय संपत्तियों का सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम के प्रवर्त्तन अधिनियम (54 ऑफ 2002) के तहत प्रदान किया गया; यानी

1. सुरक्षित संपत्ति को साकार करने के लिए लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का अधिकार लेना;
2. उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अधिग्रहण, जिसमें लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है और सुरक्षित संपत्ति का एहसास;
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया प्रतिभूत संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति (जो प्रबंधक के रूप में जाना जाता है) को नियुक्त करें;
4. उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिखित में नोटिस द्वारा किसी भी समय आवश्यकता होती है और जिसके द्वारा कोई भी उधारकर्ता के कारण कोई भी धन होता है, सुरक्षित लेनदार या भुगतान करने के लिए, जितना पैसा पर्याप्त होता है सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए।

कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आप बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों में से किसी एक को बिक्री, पट्टा या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेंगे। उपरोक्त कार्रवाई को करने के लिए किए गए शुल्क, बिक्री आय से किए जाएंगे और यदि बिक्री की आय बैंक की पूरी राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, शेष राशि के लिए SARFAESI अधिनियम 54 ऑफ 2002 में प्रदान की गई उचित कानूनी कार्रवाई या आवश्यक समझा जाने वाला कोई भी अन्य अधिनियम आपके खिलाफ लिया जाएगा, जो आप सभी को संयुक्त रूप से और अलग अलग लागत और इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाएगा।

यह नोट किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के तहत, बैंक द्वारा की गई सभी लागतों, शुल्कों और व्यय, किसी भी समय, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले, सार्वजनिक नीलामी के लिए या उद्धरण आमंत्रित करने या सार्वजनिक या निजी संधि से निविदा के लिए निविदा के माध्यम से बैंक की देय राशि का भुगतान करके सुरक्षित संपत्तियों का पट्टा, असाइनमेंट या बिक्री से छुटकारा का अधिकार आपके लिए उपलब्ध है।

यह नोटिस किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है।

तिथिः 10.02.2020 **ह./– अधिकृत प्राधिकारी**
स्थानः दिल्ली **आन्ध्रा बैंक**

DFM FOODS LTD.
Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110 007
Tel.: 011-23826445, Fax: 011-23822409, Email: dfm@dfmfoods.com, Website: www.dfmfoods.com
CIN: L15311DL1993PLC052624

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019 (₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31st Dec., 2019 Unaudited	Nine Months Ended 31st Dec., 2019 Unaudited	Quarter Ended 31st Dec., 2018 Unaudited
1.	Total income from operations	13460	39818	13484
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	414	2862	1531
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	414	2862	1379
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	325	2565	1073
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	153	2389	1073
6.	Paid-up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹2/- each	1002	1002	1002
7.	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet Date		11923	
8.	Earnings Per Equity Share of face value of ₹2/- each (for continuing and discontinued operations)			
	Basic	0.64	5.12	2.14
	Diluted	0.64	5.10	2.13

Notes:

1. The above Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 10th February, 2020. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid financial results.
2. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3. On 9th September, 2019, the promoters of the Company entered into Share Purchase Agreement ("SPA") with AI Global Investments (Cyprus) PCC Limited ("the Purchaser") to sell its shareholding subject to completion of the open offer made under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations, 2011) and conditions precedent to SPA. Pursuant to said SPA, the shareholding has been transferred and now the Purchaser holds 73.94% of the equity shareholding of the Company. Effective 14th January, 2020, the Board of Directors has been re-constituted.
4. In respect of certain support functions like Finance, Human Resources and IT, The Company has been sharing senior resources with the erstwhile Group Company. With the movement of these resources to the erstwhile Group Company, The Company has decided to build its own team and also to create certain new functions. A sum of ₹120 lakhs was incurred during this quarter towards the recruitment expenses of certain senior management personnel. This expense is included under "Other expenses".
5. The Company has provided for retiral and other benefits to certain employees during this quarter. A provision of ₹179 lakhs has been made in this regard and is included under Employee Benefit expenses.
6. As part of the Company's support to Government's efforts towards Plastic Waste Management, the Company incurred additional cost of ₹143 lakhs this quarter. This expense is included under "Other expenses".
7. As reported in the previous quarter, the Company elected to exercise the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (amendment) Ordinance, 2019 and recognised the tax provision for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 basis the rates prescribed in that section. The full impact of this change has been recognised in the Statement of Profit and Loss during the quarter ended 30th September, 2019. Tax expense for the quarter ended 30th September, 2019 and nine months ended 31st December, 2019 is based on an effective revised tax rate which include one-time net credit of ₹388 lakhs on account of re-measurement of deferred tax liability/MAT asset related to previous year.
8. The Company incurred actuarial loss of ₹227 lakhs being its share of the diminution in the value of investments held by Group PF Trust to which Company has been contributing. Since 1st November, 2019, the company has enrolled itself under RPFC (Regional Provident Fund Commissioner) and would no longer be making contributions to the Group PF Trust.
9. During the current quarter, the Company has commissioned additional line having a capacity of 5000 MT per annum in Greater Noida. With this expansion, the total capacity of the Company stands at 48400 MT per annum.
10. Based on the guiding principles given in Ind AS 108 on "Operating segments" the Company's business activity falls within a single operating segment, namely Snack Foods. (Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable).
11. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 are available on the BSE website at www.bseindia.com, NSE website at www.nseindia.com and on the Company's website at http://dfmfoods.com/download/financials/dec.2019.pdf

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Place: Delhi **LAGAN SHASTRI**
Dated: 10th February, 2020 **MANAGING DIRECTOR & CEO**

मूल मुसलिम आबादी की पहचान के लिए असम में सर्वेक्षण की योजना

योजना के तहत यह सर्वेक्षण चार समुदाय के लोगों की पहचान करने के लिए है

गुवाहाटी, 10 फरवरी (भाषा)।

असम राज्य में मूल मुसलिम आबादी की पहचान करने और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों से अलग करने की कवायद के तहत एक सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है हालांकि राष्ट्रीय नागरिक पंजी की सटीकता को लेकर संदेहों का निवारण अभी नहीं हो सका है।

योजना के तहत यह सर्वेक्षण चार समुदाय के लोगों की पहचान करने के लिए है। ये चार सुमदाय हैं गोरिया, मोरिया, देसी और जोलाह। इन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है। असम के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रंजीत दत्ता ने चार समुदायों के विभिन्न संगठनों तथा अन्य पक्षकारों की मंगलवार को एक बैठक बुलाई है। जिसमें इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के अध्यक्ष मूमिनुल ओवाल ने कहा, 'असम में कुल 1.3 करोड़ मुसलिम आबादी है जिनमें से करीब 90 लाख बांग्लादेशी मूल के हैं। शेष 40 लाख विभिन्न जनजातियों से हैं और उनकी पहचान करना जरूरी है।' उन्होंने कहा कि बिना सही पहचान के मूल मुसलिम आबादी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं रहा है।

> असम में कुल 1.3 करोड़ मुसलिम आबादी है जिनमें से करीब 90 लाख बांग्लादेशी मूल के हैं। शेष 40 लाख विभिन्न जनजातियों से हैं और उनकी पहचान करना जरूरी है...एक बार मूल जनजाति की आधिकारिक पहचान हो जाए, तो इन लोगों के विकास के लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैंने इन जनजातियों के प्रतिनिधियों के तौर पर 2015 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। हम राज्य सरकार से भारत के महा पंजीयक (आरजीआइ)की अनुमति लेने का अनुरोध करेंगे। आरजीआइ की अनुमति के बगैर निष्कर्ष कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।
> –मूमिनुल ओवाल, अध्यक्ष, असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड

उन्होंने कहा,राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में बांग्लादेशी मूल के लाखों लोग शामिल हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन असम से सभी मूल जनजातियां समाप्त हो जाएंगी।' ओवाल ने कहा, 'एक बार मूल जनजाति की आधिकारिक पहचान हो जाए, तो इन लोगों के विकास के लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैंने इन जनजातियों के प्रतिनिधियों के तौर पर 2015 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी।' उन्होंने कहा कि मूल समूहों ने सिंह से इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। यह सर्वेक्षण किस प्रकार से होगा इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हम राज्य सरकार से भारत के महा पंजीयक (आरजीआइ)की अनुमति लेने का अनुरोध करेंगे। आरजीआइ की अनुमति के बगैर निष्कर्ष कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।'

महाराष्ट्र : चोर होने के संदेह में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

आठ गांववालों पर हत्या और दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज

ठाणे, 10 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में गुस्साई भीड़ ने चोर होने के संदेह में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि खातिवाली गांव में हुई इस घटना में उसका एक साथी घायल हो गया। पुलिस निरीक्षक राजू वंजारी ने बताया कि घटना रविवार तड़के तीन बजे हुई, जब दोनों कुछ घरों में कथित तौर पर चोरी कर भागने की फिराक में थे। दोनों ही गुजरात के पंचमहल के रहने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने दोनों को देख शोर मचा दिया, जिसके बाद गांववाले घरों से निकल आए और उनके पीछे भागने लगे। उन्होंने बताया कि एक दीवार लांघ कर भागने की कोशिश में वे गिर गए और गांववालों ने उन्हें ईंट-पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों को पकड़ कर भी उनकी काफी पिटाई की गई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक दिनेश मावी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वंजारी ने बताया कि मावी का साथी घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि आठ गांववालों के खिलाफ हत्या और दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वंजारी ने बताया कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है।

गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर जीवित किया जाना चाहिए : भैया जी जोशी

पणजी, 10 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने कहा कि देश में शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता किए बिना संस्कृत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

जोशी ने दोना पावला में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र को शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक प्रयोग करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'संस्कृत प्रत्येक स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को इसके बारे में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। हमारा मानना है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और यदि आपको भारत को समझना है तो संस्कृत के बिना आप यह नहीं कर सकते। इसीलिए कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता किए बिना संस्कृत को उसका स्थान दिलाया जाना चाहिए।' गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर बल देते हुए जोशी ने कहा, 'हम आज के समय में आश्रम जैसी व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते लेकिन जब हम गुरुकुल व्यवस्था की बात करते हैं तब शिक्षा संस्थान की प्राथमिकता होती है।' उन्होंने

संस्कृत को लेकर द्रमुक सदस्य की टिप्पणी पर लोस में हंगामा

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

द्रमुक सदस्य दयानिधि मारन की संस्कृत भाषा को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी पर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हो गया। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सदस्य से इस 'अशोभनीय टिप्पणी' के लिए माफी मांगने और इसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर पीठासीन रमा देवी ने उक्त शब्द को कार्यवाही से हटा दिया।

दरअसल, वर्ष 2020-2021 के केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान द्रमुक के दयानिधि मारण ने कहा, 'सरकार संस्कृत जैसी एक....भाषा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जबकि तमिल जैसी शास्त्रीय भाषा पर आपने क्या किया।' द्रमुक सदस्य की इस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'आप बजट की आलोचना कर सकते हैं, वित्त मंत्री और सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं लेकिन संस्कृत के बारे में ऐसे शब्द ठीक नहीं।' उन्होंने कहा कि आप तमिल भाषा की जितनी प्रशंसा करना चाहे करें। हमारी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। संस्कृत के बारे में सदस्य ने जो कहा, वह अशोभनीय और निंदनीय है।

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

CIN : L74899DL1989PLC035140

Regd. Office : Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

TEL. : 23759300, FAX : (011) 23315424 / 23350765 E-mail : dsil@dcmsr.com, Website : www.dcmsr.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(Rs. /Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended			Nine months ended		Year ended	Quarter ended			Nine months ended		Year ended
		31.12.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.12.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)
1.	Total income from operations	54775	39665	40620	134674	129788	170719	54797	39690	40641	134741	129851	170804
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	395	4148	740	7070	7112	9039	422	4245	764	7223	7245	9209
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	395	4148	740	7070	7112	9039	422	4245	764	7223	7245	9209
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2516	2673	1603	6856	6398	7357	2537	2764	1623	6991	6498	7486
5.	Total Comprehensive Income {Comprising net profit / (loss) & Other Comprehensive Income/(Loss) after tax}	2496	2653	1575	6796	6315	7277	2586	2503	1846	6782	6337	7272
6.	Equity Share Capital	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
7.	Other Equity	-	-	-	-	-	45491	-	-	-	-	-	48087
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Basic/Diluted (Rs.) (Not annualised)	14.46	15.37	9.21	39.41	36.77	42.29	14.58	15.89	9.33	40.18	37.35	43.03

Notes:

1. The Board of Directors has declared an interim dividend of Rs 5.00 per equity share of Rs. 10/- (50 %) amounting to Rs. 1049 Lakhs including Dividend Distribution Tax for the year 2019-20.
2. In accordance with the accounting policy consistently followed by the Company, off-season expenditure aggregating Rs. 2593 Lakhs (corresponding previous nine months Rs. 2331 lakhs) has been deferred for inclusion in the cost of sugar to be produced in the remainder of the year.
3. Effective 1st April, 2019 the Company has adopted Ind AS 116 "Leases" using the cumulative effect method. Accordingly, the comparative information is not restated in the unaudited / audited results for the quarter / nine months ended 31st December, 2018 and year ended 31st March 2019. The adoption of the standard did not have any material impact on the financial results of the Company.
4. Proceedings in a Petition challenging the Preferential Issue of equity warrants by the Company, filed by a shareholder before the Hon'ble Company Law Board (now National Company Law Tribunal), are continuing since November 2007.
5. Section 115 BAA of the Income Tax Act, 1961, introduced by Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 gives a one-time irreversible option to domestic companies for payment of corporate tax at reduced rates. As per CBDT Circular, in case this option is exercised, the Company shall not be able to utilise the outstanding MAT credit. The Company is likely to exercise the option at a later date. Consequently the Company has remeasured the deferred tax assets / liabilities likely to be reversed at the time the Company would opt for new tax regime which has resulted in write back of deferred tax liability amounting to Rs. 2177 lakhs, out of which Rs. 2054 lakhs pertain to earlier years and Rs. 123 lakhs pertain to half year ended 30 th September, 2019.
6. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter / nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchange Under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results is available on the Bombay Stock exchange website : www.bseindia.com and Company's website www.dcmsr.com.
7. The above results have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors in its meeting held on 10th February, 2020. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the aforesaid results.

For and on behalf of the Board
Sd/-
ALOK B. SHRIRAM
Sr. Managing Director & CEO
DIN 00203808

PLACE : NEW DELHI
DATE : 10.02.2020

DCM SHRIRAM

शुद्धिपत्र

जनसत्ता, दिल्ली में 8 फरवरी, 2020 को प्रकाशित "मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्रा.लि." के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना के विज्ञापन में नीचे विवरण वाली तालिका में 1ले लाइन में कम्पनी का नाम भूल से अनजाने में "मै. बिमला मारू फैशन्स प्रा. लि." मुद्रित हो गया है। कृपया उसे "**मै. जेडीएस एप्पैरल्स प्रा. लि.**" पढ़ें।

हस्ता./-
सतीश कुमार माथुर
जेडीएस एप्पैरल्स प्रा. लि. के परिसमापक
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00132/2017-18/10348
मो. नं. 8175859618

राजपक्षे ने 'नमामि गंगे' परियोजना की तारीफ की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने समकक्ष महिंदा राजपक्षे से सोमवार को कहा कि गंगा नदी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति और आर्थिक जीवनरेखा के केंद्र में है। राजपक्षे द्वारा वाराणसी की अपनी यात्रा के बारे में किए गए पोस्ट के जवाब में मोदी ने यह ट्वीट किया ।राजपक्षे ने ट्वीट किया, 'वाराणसी से रवाना होने से पहले मुझे पवित्र गंगा नदी जाने का सम्मान प्राप्त हुआ।' उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे प्रयास की प्रशंसा करता हूं, केवल इसलिए नहीं कि इसका आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह करीब 40 फीसद भारतीय आबादी को समेटे हुए भी है।' जवाब में मोदी ने कहा, 'गंगा हमारी सभ्यता के केंद्र में है। यह हमारी सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवनरेखा है।' उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि आपने वाराणसी में समय बिताया और गंगा भी गए। अनुभव बड़ा शानदार रहा होगा।' नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा को स्वच्छ बनाने और उसके प्रवाह में सुधार लाने के लिए 2014 में शुरू किया गया था।

सदन में पोस्टर लाने का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए : बिरला

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सदस्यों द्वारा पोस्टर, बैनर लाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इस विषय पर तय हो जाना चाहिए कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तब क्या पोस्टर दिखाया जाए? बिरला ने कहा, 'सदन में सभी तय करें कि क्या पोस्टर लाना जरूरी है।' दरअसल, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय जब आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे तब पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसदों ने 'बंगाल में लोकतंत्र बचाओ' के पोस्टर दिखाना शुरू कर दिया।

इस पर राय ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, 'आपकी मौजूदगी में ऐसी बातों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' इसके बारे में बिरला ने कहा कि इस बारे में चर्चा हो जाए कि क्या सदन में पोस्टर लाना जरूरी है, क्या पोस्टर लाने की अनुमति हो और अगर इसकी अनुमति नहीं है तब जो सदस्य ऐसा करता है, उस पर कार्रवाई हो।

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **03.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
जेड ओ एसएआरबी नई दिल्ली	प्रबंध निदेशक मैसर्स अमित ट्रेडर्स प्रा. लि. (कर्जदार) पंजीकृत कार्यालय : RZ-1/2 जैन चौक, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045, वर्तमान पता बी-38, कार्यालय केबिन नं. 02, द्वितीय तल, जैन चौक, मंगल पुरी, पालम नई दिल्ली-110045 श्री नरेश चंद जैन (गारंटर) ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058 2. श्री अमित जैन (गारंटर) ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058 और: - एल-37, बाजुध्यान मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 3. श्री अविनाश जैन (गारंटर) ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि सम्पत्ति क्षेत्रफल 13052.03 वर्ग मी. लगभग, यह सम्पत्ति मैसर्स अमित ट्रेडर्स प्रा. लि. के नाम पर है। सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड सम्पत्ति प्रथम धारी पासु प्रभार भूमि सम्पत्ति किला नं. 98/3/4 मिन, 13/2/2 मिन, 4/1/1,7/2,7/1/2,14 मिन, गांव अकबरपुर बरोता और खसरा नं. 15/14/2 मिन, गांव वजीरपुर, सबोली, जिला सोनीपत, हरियाणा और अतिरिक्त फैक्ट्री शेड का निर्माण चौहद्दी के साथ किया गया	03.07.2017 रु. 36,25,16,644.55 (रु. छत्तीस करोड पच्चीस लाख सोलह हजार छः सौ चौवालीस और पैसे पचपन मात्र) और दिनांक 01-07-2017 से भविष्य का ब्याज + प्रभार (इसमें कंसोर्टियम के तहत अन्य उधारदाताओं (एसबीआई) का बकाया शामिल नहीं है)	₹ 9,25,00,000/- ₹ 92,50,000/- ₹ 1,00,000/-	03-03-2020 को अपरा. 01.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक	601800301000395 VIJB0006018	श्री पी. गंगटे मो. 9711908984

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 02.03.2020, **नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 21.02.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वयं निरीक्षण करे और स्वयं को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरु होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 02.03.2020) को अपरा. 04.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी / आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम / फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 02.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्व प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रयोरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि. बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री निशित डा. 7982880393, हेल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हेल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुन: प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं / एटेन्डेन्ट चार्जेज / पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण / आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार / गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और आनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 10-02-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

अनुसूची-I
प्ररूप ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

बोना वीटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	बोना वीटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	17.06.2015
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या	U72900DL2015PTC281687
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** बी-36, पूसा रोड, नई दिल्ली -110005 **प्रधान कार्यालय:** 19 वी मंजिल- टॉवर ए, बी, सी, बिल्डिंग नंबर 5, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज III गुरुग्राम, हरियाणा -122002
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारम्भ होने की तिथि	07.02.2020
7	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**अभिषेक आनंद** ई-103, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-1, नई दिल्ली -110048 **ईमेल :** irpepoch@gmail.com **मोबाईल :** 9899000168 **पंजीकरण सं.** IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	**09.03.2020**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **बोना वीटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट** लिमिटेड ने **07 फरवरी 2020** को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

बोना वीटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **09 मार्च 2020** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता / -
दिनांक : 11.02.2020 — परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर -**अभिषेक आनंद**
स्थान : नई दिल्ली — **पंजीकरण सं.** - IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077

www.readwhere.com

पाक की ओर से भारी गोलाबारी, लोगों को मोर्टार से दूर रहने की सलाह

जम्मू, 10 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान की ओर से पिछले दो दिन की भारी गोलाबारी के बाद जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने सोमवार को पुंछ जिले के लोगों को सलाह दी कि गोलाबारी के दौरान वे बिना जरूरत बाहर निकलने से बचें और आसपास गिरे मोर्टार गोलों से दूर रहें।

अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से हो रही भारी मोर्टार गोलाबारी में एक सैनिक शहीद हो गया। रविवार शाम आठ बजे के बाद पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सीमा पार से हुई गोलाबारी के कारण मेंधार सेक्टर के जंगलों में आग लग गई। उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देगवार सेक्टर में शनिवार को पाकिस्तानी गोलाबारी में नायक राजीव सिंह शेखावत (36) की मौत हो गई जबकि तीन अन्य सैनिक घायल हो गए। वहीं रविवार को मेंधार और बालाकोट सेक्टरों में कई मकान और मवेशियों के खटालों को नुकसान पहुंचा है।

सेना के एक अधिकारी ने बताया, 'पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शाम करीब आठ बजे बंद हुई है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है।' उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले दो दिन में तीन सेक्टरों में अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने के लिए तोपों और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले मोर्टार बमों का प्रयोग किया है। भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर कई लोग हताहत हुए हैं।

● पाकिस्तानी सेना ने दो दिन में अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने के लिए तोपों और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले मोर्टार बमों का प्रयोग किया है। भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर कई लोग हताहत हुए हैं।

उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा की निगरानी कर रही सैन्य टुकड़ियां चौकन्नी हैं और करीब से नजर रख रही हैं क्योंकि पाकिस्तान गोलाबारी की आड़ में आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'जिला प्रशासन ने लोगों को गोलाबारी के दौरान सावधान रहने और बिना जरुरत के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।' उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से कहा गया है कि वे आसपास के क्षेत्रों में गिरे मोर्टार गोलों/खोखों से दूर रहें, उन्हें न छूएं। अधिकारी ने बताया कि गोलाबारी के दौरान करीब एक दर्जन मोर्टार नहीं फटे हैं। विशेषज्ञ उन्हें निष्क्रिय करने में जुटे हैं।

विदेशी राजनयिकों का नया दल इस हफ्ते जाएगा कश्मीर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 फरवरी।

विदेशी राजनयिकों का एक नया जत्था अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए इस हफ्ते कश्मीर का दौरा करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

भारत में अमेरिका के राजदूत समेत राजनयिकों के पहले जत्थे ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी राजनयिकों का नया जत्था इस सप्ताह के अंत में जम्मू कश्मीर आएगा। अधिकारी के अनुसार इस जत्थे में यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के राजनयिक होंगे।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

विजया बैंक | देना बैंक

शाखा : गांधी नगर , मुरादाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि,
वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।
प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे वल्लखित है) के सम्बन्ध में सम्बन्धित उधारकर्ताओं/जमानतदारों से माग की गयी थी कि वे माग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बन्धित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतद्द्वारा विशेषतः उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी लेन-देन हेतु **बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक)** का देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। **उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित सपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।**

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1.	**1.श्री सुरेश सिंह पुत्र मूखन सिंह (ऋणकर्ता),** निवासी खसरा न. 163, गाँव ढाका जिला और तहसील मुरादाबाद **इसके अलावा निवासी-** कृषि विभाग के पास, आदर्शनगर कुंदनपुर लाईन पार मुरादाबाद -244001, **इसके अलावा निवासी-** गौरी शंकर मंदिर के पास, विकास नगर, लाईन पार, मुरादाबाद -244001 **2. श्रीमती बबीता सिंह पत्नी सुरेश सिंह (गारंटर)** निवासी खसरा नं 163, ग्राम ढाका, जिला और तहसील मुरादाबाद, **इसके अलावा निवासी-**कृषि विभाग के पास आदर्शनगर, कुंदनपुर, लाइनपार, मुरादाबाद- 244001, **इसके अलावा निवासी-** गौरी शंकर मंदिर के पास, विकास नगर, लाइन पार, मुरादाबाद- 244001	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित खसरा न. 163 मिन ग्राम ढाका तहसील जिला मुरादाबाद 244001, **श्री सुरेश सिंह पुत्र स्वर्गीय मूखन सिंह के नाम। क्षेत्रफल 70.00 वर्गमीटर। सीमायें:- उत्तर:** लाला का प्लाट, **दक्षिण:** अन्य व्यक्ति का प्लॉट, **पूर्व:** रास्ता 12 फीट चौड़ा, **पश्चिम:** कृषि विभाग की संपत्ति	02.12.2019 कब्जे की तिथि 07.02.2020	रू. 1619871.14 (रुपये सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ इकहत्तर और चौदह पैसे केवल) + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक- 10.02.2020 स्थान-मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी

बजट में मंदी, बेरोजगारी से निपटने के उपाय नहीं : विपक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,10 फरवरी।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने 2020-21 के लिए पेश आम बजट को वास्तविकता के धरातल से दूर करार देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसमें मंदी एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं की गई है।

निचले सदन में हो रही, वर्ष 2020-21 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि यह बजट निराशाजनक है और इसमें मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए आबंटन में कटौती की गई है। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और पंजाब की भी अनदेखी की गई है। कौर ने कहा कि मनरेगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि ढाई घंटे से अधिक समय तक पढ़ा गया बजट वास्तविकता से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ सपने दिखा रही है, लेकिन यह नहीं बता पा रही है कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। इस बजट में मंदी और बेरोजगारी से निपटने की कोई रूपरेखा पेश नहीं की गई है। सुप्रिया ने कहा कि केंद्र सरकार को पीएमसी बैंक के मामले से खाताधारकों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की मदद करनी चाहिए। बसपा के गिरीश चंद्र ने बजट को किसान, युवा और दलित विरोधी करार दिया और दावा किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवंटन में कटौती की गई है। नेशनल कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, लेकिन इससे लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं।

रतुल पुरी की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर अप्रैल में सुनवाई

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

बैंक धोखाधड़ी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे व्यापारी रतुल पुरी को मिली जमानत को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर की गई अर्जी पर अप्रैल में सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने इस मामले को 27 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

जब यह अर्जी सुनवाई के लिए सामने आई तब ईडी के एक कनिष्ठ वकील ने यह कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल भोजनावकाश के बाद दलीलें देने के लिए उपलब्ध होंगे। इस पर पुरी के वकीलों राजीव नायर और विजय अग्रवाल ने कहा कि वे भोजनावकाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। उसके बाद अदालत ने इस मामले को अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली अदालत के 13 दिसंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत पुरी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। पुरी को उससे पहले अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा मामले में जमानत मिली थी। पुरी, उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता (कमलनाथ की बहन) एवं अन्य के खिलाफ 354 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेटस एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 10, फरवरी, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम और खाता सं0	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे चिपकाने की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	सैक्टर -2 शास्त्री नगर	श्री वलवंत पुत्र वीरी सिंह, श्रीमती नीतू चौधरी पत्नी श्री वलवंत, श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री वीरी सिंह खाता संख्या - 400900NC00008464	1. श्री वलवंत पुत्र वीरी सिंह (ऋणकर्ता) 88, संत नगर श्रद्धापुरी के पास, कंकरखेड़ा, मेरठ, यूपी - 250002 2. श्रीमती नीतू चौधरी पत्नी श्री वलवंत (सह-ऋणकर्ता) 88, संत नगर श्रद्धापुरी के पास, कंकरखेड़ा, मेरठ, यूपी - 250002 3. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री वीरी सिंह (सह ऋणकर्ता) ग्राम - करहला बागडी, पोस्ट - गोंडा रोड अलीगढ़ 4. श्रीमती रेखा चौधरी पुत्री श्री वीरी सिंह (गारंटर) 386 ओम नगर कंकरखेड़ा, मेरठ	प्राईमरी/कॉलटरल: - आवासीय संपत्ति श्री वलवंत सिंह और श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री वीरी सिंह श्रीमती नीतू चौधरी पत्नी श्री वलवंत सिंह के नाम, स्थित मकान प्लॉट नंबर -18, एमपीएल नंबर 386, खसरा नंबर 144/1 व 1/145 का भाग संत नगर, गाँव - दंतल, मेरठ, क्षेत्रफल 112.87 वर्गमीटर, बिक्री विलेख 27.02.2013 के अनुसार। सीमायें:-पूर्व: 27' से लगी हुई 22 चौड़ा रास्ता, पश्चिम: 27' से लगा हुई अनिल तोमर का मकान, उत्तर: 45' से लगा हुई अन्य का प्लाट, दक्षिण: 45' से लगा हुई रवींद्र कुमार का प्लॉट	07.12.2019 रु. 28,45,891.00/- (रुपये अठाईस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ इक्यानवे केवल) दिनांक 01.10.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	10.02.2020	गरिमा वर्मा

दिनांक:- 10.02.2020 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

Relationships beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया,
आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, ''स्टारहाउस'', एच-2, कनाट सर्कस, मिडिल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हाल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित काप्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

1 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **उधारकर्ता : श्री नन्द किशोर गौतम तथा गारंटर : श्री पुनीत कुमार गुप्ता** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 12.93 लाख + यूसीआई + अन्य** प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक** 13.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 29.93 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 2.99 लाख** होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) 8938/148 पर स्थित संपत्ति, प्रथम तल का पूर्वी भाग, एमसीडी नंबर 8938, वार्ड नंबर 14 बी, सिद्धि पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 जो कि श्री नंद किशोर गौतम के नाम पर है। क्षेत्रफल - 61 वर्ग गज

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंकऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 11.02.2020 **सुश्री आरती अनुजा, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **फोन - 011-25718546**

2 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **मैसर्स सोलर एक्सिम प्रा. लि., निदेशक व गारंटर : श्री नीरज गुप्ता, श्रीमति नूपुर गुप्ता तथा अन्य गारंटर : श्रीमति शशि गुप्ता** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 134.26 लाख + यूसीआई + अन्य** प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक** 13.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 67.81 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 6.78 लाख** होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति नं 85, प्लॉट नं. 8540, 8600 और 8601 पर, प्रथम तल और टेरिस तल (भाग), मॉडल बस्ती, नई दिल्ली-110005 जो कि श्रीमती शशि गुप्ता पत्नी श्री निर्मल कुमार गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल - 85.91 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंकऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 11.02.2020 **श्री एकता नायक, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **फोन - 011-25468326**

3 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **उधारकर्ता : श्री हरिंदर सिंह, सह-उधारकर्ता : श्री पवन नागर** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 46.98 लाख + यूसीआई + अन्य** प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक** 13.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 107.80 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 10.78 लाख** होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 105, ब्लॉक-ए, सैक्टर पी-4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.-201310 जो कि श्री हरिंदर सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल - 200 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंकऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 11.02.2020 **श्री प्रदीप कुमार, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **फोन - 011-22583135**

4 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **मैसर्स गौरव मार्केटिंग, प्रोपराइटर : श्री गौरब तनेजा तथा गारंटर : श्रीमति कृष्णा तनेजा, श्रीमति सुदर्शन तनेजा** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 83.05 लाख + यूसीआई + अन्य** प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक** 13.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 26.40 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 2.64 लाख** होगी।

संपत्ति का विवरण :- (आवासीय) संपत्ति सं. - डब्लूजैड-1621, प्रथम तल, रानी बाग, शकूर बस्ती, नई दिल्ली-110034 जो कि श्रीमती कृष्णा तनेजा के स्वामित्व में है। क्षेत्रफलः 52.25 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंकऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 11.02.2020 **श्री राजेश कोहली, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **फोन - 011-28534414**

5 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **मैसर्स केयरवे एग्रो प्रोक्योरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक व गारंटर : श्री गगन गोयल, अन्य गारंटर : मैसर्स केयरवे सप्लाइ चौन कंसल्टेंट्स प्रा. लि., मैसर्स सेंचुरी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., श्री देवेंद्र गोयल, श्रीमति निर्मला गोयल, श्रीमति पूजा गोयल** से बैंक ऑफ इंडिया की **रुपये 901.87 लाख + यूसीआई + अन्य** प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक** 13.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रुपए 86.00 लाख** होगा और अग्रिम धनराशि **रुपए 8.60 लाख** होगी

संपत्ति का विवरण :- (व्यावसायिक) संपत्ति स्थित खसरा नं. 142/626, एक्स्टेंडेड लाल डोरा आबादी, गाँव कंझावाला, दिल्ली-110081 जो कि श्री देवेंद्र गोयल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 836 वर्ग मीटर

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंकऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांक : 11.02.2020 **श्री प्रमोद कुमार दीक्षित, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **फोन : 011-28833127**

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया'' **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) **ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि- 12.03.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) **संपत्ति का निरीक्षण करने की तिथि और समय- 06.03.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए।**
4) **नीलामी की तिथि और समय- 13.03.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक असीमित 10 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।**
5) नीलामी **आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य** जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
7) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। अधिकृत कार्यालय / सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी / बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और / या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
9) उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य जो कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों को ईएमडी के साथ जो कि बोली राशि का 10% है, उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ **12.03.2020** को या उससे पहले उक्त पोर्टल पर शाम **5** बजे तक जमा करना होगा।
10) उच्चतम / सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के **5** दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने / ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
11) उच्चतम / सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि बोली राशि का 10% है, को मिलाकर बोली / खरीद राशि का का **25%** बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12) बोली / खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के **15** वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
14) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
15) **यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।**

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT BUILDING DIVISION NO. -1. RANCHI

VERY SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited for the Transportation Charges of House Hold Good and Diesel Generator Set from House No. AB- 13, Mathura Road, New Delhi to Circuit House, Circular Road Ranchi including charges for Loding, Unloding, Packing, Unpacking, Crane Charges and Insurance of Goods, GST (SGST & CGST) & 1% Labour Cess all complete job (Quotationers may visit AB-13, Mathura Road, New Delhi at own cost to insure the Quantity of House Hold Goods and DG Set) by Executive Engineer, Building Construction Department, Building Division No.1, Ranchi from the Authorised Transporter /Movers and Packers/Registered contractor in the Office of the undersigned on 18-02-2020 up to 3.00 pm and will be opened on 18-02-2020 at 3.30 pm at office of the Executive Engineer, Building Division No. 1, Ranchi by Executive Engineer, Building Division No. 1, Ranchi or his authorized representative in the presence of Quotationers or their authorized representative. Who so ever desire may remain present at the time of opening.

The quotation should be accompanied with initial security deposit which will be 2% of the quoted amount (Refundable) in shape of Bank Guarantee, Schedule Bank FD minimum 3 years or N.S.C. (8" issue) duly pledged in favour of Executive Engineer, Building Division No. 1, Ranchi.

In the case of Gazetted holiday the quotation will be received/opened on the next working day.

Executive Engineer
Building Construction Department
Building Division No.-1, Ranchi

PR 225111 (Building) 19-20 (D)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank

शाखा-अशराम 93-95-97-99,
भोगल रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

कब्जा सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत देना बैंक, अब बैंक ऑफ बड़ौदा, अशराम शाखा, नई दिल्ली-110014 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.11.2019 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती मनीशा सुभाष पत्नी श्री सुभाष कोचुपुथी यवीतिल एवं श्री सुभाष कोचुपुथी यवीतिल पुत्र श्री सहदेवन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18,67,085/- (रुपये अठारह लाख सड़सठ हजार पचासी मात्र) + ब्याज एवं अन्य चार्जेज के साथ 22.11.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 21.11.2019 को रु. 18,67,085/- (रुपये अठारह लाख सड़सठ हजार पचासी मात्र) तथा 22.11.2019 से चार्जेज सहित आगे के ब्याज, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, के लिये देना बैंक, अब बैंक ऑफ बड़ौदा, अशराम शाखा, नई दिल्ली-110014 के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम मेहरौली, तहसील हौज-खास, नई दिल्ली-110030 की आबादी में स्थित वार्ड नं. 7 (पुराना नं. 1020(7), खसरा नं. 1151/3 मिन में सम्पत्ति/प्लॉट नं. 1020-सी पर निर्मित बिना छत के अधिकार के प्रथम तल, एरिया माप 90 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग। बिक्री प्रलेख का विचरण पंजीकरण सं. 635, बुक नं. 1, वॉल नं. 1305 में पेज 167 से 174, तिथि 05.02.2016 को।
पूर्वः बाबर बिल्डिंग, **पश्चिमः** रोड, **उत्तरः** दरगाह वाल, **दक्षिणः** मोहन लाल का मकान

तिथिः 06.02.2020, **स्थानः नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

ग्रोवी इण्डिया लिमिटेड

सीआईएनः L74130DL1985PLC021532
पंजीकृत कार्यालयः 122, **प्रथम तल, विनोबापुरी, लाजपत नगर II, नई दिल्ली**-110024,
ई-मेलः grovyindia@gmail.com, वेबसाइटः www.grovyindia.com, दूरभाष नं.: 011-46740000
31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का सारांश

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौमाही	31.12.2018 को समाप्त संगत तिमाही	31.03.2019 को समाप्त गत वर्ष
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	649.59	1205.41	449.49	863.87
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कुल लाभ/(हानि)	30.18	17.01	33.72	9.60
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	30.18	17.01	33.72	9.60
4.	अवधि हेतु कर पश्चात (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	30.18	17.01	33.72	7.04
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित लाभ/(हानि)]	30.18	17.01	33.72	9.07
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	251.44	251.44	140.00	140.00
7.	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षियों को छोड़कर)	-	-	-	206.72
8.	आय प्रति शेयर (प्रत्येक रु. 10/- प्रत्येक के)	1.20	0.68	2.41	0.53

नोट :
1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज विस्तृत तिमाही वित्तीय परिणामों का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com कम्पनी की वेबसाइट www.grovyindia.com पर इन्वेस्टर्स डेस्क के तहत उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित परिणाम तथा सेग्मेंट परिणामों की समीक्षा और संस्तुति 10.02.2020 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 10.02.2020 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित की गयी।

कृते ग्रोवी इण्डिया लिमिटेड
ह./-
निशित जालान
पूर्ण कालिक निदेशक एवं सीईओ
02064230

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 10.02.2020

www.readwhere.com

आइपीएस अधिकारी बच्चों से मिलने के लिए धरने पर बैठे

बंगलुरु, 10 फरवरी (भाषा)।

बंगलुरु में तलाकशुदा एक आइपीएस दंपति का विवाद तब खुलकर सामने आया गया जब एक एसपी अपने बच्चों से मिलने की जिद को लेकर पूर्व पत्नी के निवास पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पूर्व पत्नी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस बुला ली।

कलबुर्गी अंदरूनी सुरक्षा संभाग में पुलिस अधीक्षक अरुण रंगराजन शनिवार की देर शाम सादे कपड़े में वसंत नगर में अपनी तलाकशुदा पत्नी के घर पहुंच गए और उन पर बच्चों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाते हुए वहां धरने पर बैठ गए। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के इस धरने से विवाद खड़ा हो गया। आम लोग और मीडियाकर्मी वहां पहुंच गए। रंगराजन की पूर्व पत्नी और उप महाकमांडेंट (होमगार्ड) इलक्किया करूणागरन ने यह शिकायत करते हुए पुलिस बुला ली कि वह उनसे झगड़ा कर रहे हैं।

पुलिस दुविधा में फंस गई कि कैसे इस मामले को निपटाया जाए क्योंकि रंगराजन एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। पुलिस ने उनसे वहां से चले जाने का अनुरोध किया। इस पर रंगराजन ने सवाल किया, 'क्या मैं यहां हंगामा कर रहा हूं? मैं बस यहां बैठा हूं।' मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए रंगराजन ने कहा, 'आप यहां कुछ समय से हैं। क्या आपने मुझे उनसे झगड़ते देखा है? लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पुलिस बुला ली कि मैं उनसे झगड़ रहा हूं।' उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि वह किस नियम के तहत उनसे वहां से चले जाने को कह रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कोई हंगामा किया नहीं है।

उन्होंने कहा, 'हमारा प्रेम विवाह हुआ था। हम नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में तैनात थे जहां हमारी शादी हुई, लेकिन सालभर में मतभेद सामने आने लगे। बाद में उनके कहने पर हमने कर्नाटक कैडर का चुनाव किया। लेकिन यहां आने के बाद हमारा तलाक हो गया।' पुलिस के अनुसार बाद में रंगराजन को अपने दो बच्चों से मिलने दिया गया जिसके बाद वह वहां से चले गए।

फडणवीस को अदालत में उपस्थित होने से चौथी बार मिली राहत

नागपुर, 10 फरवरी (भाषा)।

नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अदालत में उपस्थित होने से सोमवार को छूट दे दी। चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर चल रहे मुकदमों का विवरण न देने के लिए फडणवीस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीएस इंग्ले ने कहा कि फडणवीस को चौथी और अंतिम बार छूट दी गई है। अदालत वकील सतीश ऊके की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। ऊके ने फडणवीस के खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमे का विवरण न देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।

बस पलटने से दो छात्रों की मौत, 21 लोग घायल

पन्ना, (मप्र), 10 फरवरी (भाषा)।

जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर रामखिरिया गांव के पास सोमवार की सुबह एक तेज रफ्तार बस के पलटने से दो छात्रों की मौत हो गई और 21 अन्य लोग घायल हो गए।

बृजपुर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि सुबह साढ़े दस बजे बस पन्नाखेड़ा गांव से पन्ना जा रही थी तभी यह रामखिरिया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार दो छात्रों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए छात्रों की पहचान राम भरोसे और लक्ष्मण यादव के रूप में हुई है। दोनों गजना धर्मपुर गांव के निवासी हैं और 11वीं कक्षा के छात्र हैं। दोनों छात्र बृजपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे।

SOMANY ZAMEEN SE JUDEY

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2019 (Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE Quarter Ended		Nine Months Ended	Year Ended	CONSOLIDATED Quarter ended		Nine Months Ended	Year Ended
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations								
a) Gross sales	43,159	42,395	1,23,311	1,68,513	43,464	42,459	1,24,651	1,70,833
b) Other operating income	236	160	966	1,042	157	85	751	672
Total income from operations	43,395	42,555	1,24,277	1,69,555	43,621	42,544	1,25,402	1,71,505
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,166	1,482	3,880	7,926	1,666	1,697	4,651	9,234
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,166	2,014	1,262	7,185	1,666	1,746	2,033	8,010
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	870	1,359	2,224	4,630	1,252	1,015	2,850	5,320
Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	870	1,328	2,156	4,610	1,252	984	2,781	5,306
Equity Share Capital	848	848	848	848	848	848	848	848
Other Equity				58,361				60,456
Earning per share								
Basic and Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item) -in Rs. (not annualised)	2.05	3.21	5.25	10.92	2.46	2.16	5.74	10.92

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's website (http://www.somanyceramics.com) and the Stock Exchange websites of BSE (http://bseindia.com) and NSE (http://nseindia.com).
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Date : February 10, 2020
Place : New Delhi

For Somany Ceramics Limited
Shreekant Somany
Chairman & Managing Director
DIN 00021423

Somany Ceramics Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West bengal - 700001 Website: www.somanyceramics.com | CIN: L40200WB1968PLC224116

इलाहाबाद बैंक विश्वास की परंपरा (A Govt. of India Undertaking) ALLAHABAD BANK A tradition of trust
प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001
अंचल कार्यालयः दिल्ली एनसीआर, शाखाः नोएडा, सेक्टर 44

बिक्री सूचना का शुद्धिपत्र

कृपया 30.01.2020 को इस समाचार पत्र में श्री अर्पित दत्त शर्मा, पुत्र श्री ओम दत्त शर्मा (शाखाः नोएडा 44) की खाता के लिये प्रकाशित हमारी ई-नीलामी बिक्री सूचना देखें। उक्त सूचना में ई-नीलामी की तिथि गलती से 21.02.2020 वर्णित हो गई है जिसे 21.2.2020 की जगह 24.2.2020 पढ़ें।
उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त सूचना में वर्णित ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे।

तिथिः 10.2.2020, स्थानः नोएडा-44 — प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 265/2019
बैंक ऑफ महाराष्ट्र — आवेदक
बनाम
कमल किशोर शर्मा एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,
डी-3, मै. आम्रपाली लीजर वैल्ली प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक/प्राधिकृत प्रतिनिधि पंजी. कार्यालयः 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
साथ हीः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 20.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 6 जनवरी, 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारी : रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु निजी सन्धि विक्रय सूचना।
एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड जो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, का दिनेश कुमार, वीना दिनेश, हरीचन्द (कर्जदार-सह-कर्जदा(रों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 08.05.2019 तक बकाये रु. 4968596.57/- की वसूली के लिए 27.02.2020 को ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य रु. 3000000/- होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 300000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम बाबरपुर, गली नं. 1, ईस्ट बाबरपुर, प्रेम गली, इलाका-शाहदरा, दिल्ली पर स्थित खसरा नं. 221 में से सम्पत्ति सं. ई-99 का सम्पूर्ण भाग।
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।
अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)
दिनांक : 08.02.2020

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
साधना स्टील एंड मेटल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U27106DL1988PTC031733) जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-41, मोहन को-ऑप इंड. इस्टेट दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली, डीएल 000000 आईएन में है, के मामले में
.... आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''पश्चिम बंगाल राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार 04.02.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय ए-41, मोहन को-ऑप इंड. इस्टेट दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली, डीएल 000000 आईएन
कृत्ते मै. साधना स्टील एंड मेटल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सुभब्रत सेन (निदेशक)
DIN: 03116197
तिथिः 8.2.2020
स्थानः नई दिल्ली
निवासीः सीएल-183, निकट सीके-सीएल पार्क साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-II, कोलकाता 700091 डब्ल्यूबी आईएन

महान फूड्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
टेली.: 011-43107200, फैक्सः 011-43107250, ईमेलः csmfl@mahaanfoods.com
वेबसाईटः www.mahaanfoods.com, (CIN: L15419DL1987PLC350285)

31.12.2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के स्टैंडएलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	30.09.2019 अनंकेक्षित	31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 30.3.2019 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	266.48	14.18	58.13	376.90	83.27	135.02
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	86.34	8.84	31.85	118.18	31.97	42.48
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	86.34	8.84	318.10	118.18	318.22	328.73
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	72.03	3.99	311.37	96.75	308.86	319.46
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	72.03	3.99	311.37	96.75	308.86	319.46
इक्विटी शेयर पूंजी	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वित्त वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	-	-	1342.42
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) 1. मूल :	2.05	0.11	8.90	2.76	8.82	9.13
2. तरल :	2.05	0.11	8.90	2.76	8.82	9.13

टिप्पणी:
● उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 फरवरी 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गये।
● उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल समाप्त तिमाही तथा नौमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर उपलब्ध है।

महान फूड्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
संजीव गोयल
प्रबंध निदेशक
DIN: 00221099
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 10.02.2020

ब्रिज एंड रूफ कॉ. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कंकरिया सेंटर'', (चौथा एवं पांचवा तल), 2/1, रूसेल स्ट्रीट, कोल-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचनाः e(NIT) No: MAT(P)/ERE/61010/SS Tube/2025 DTD.: 11.02.2020

ब्रिज एंड रूफ कॉ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा हमारी एचएमइएल, डीएफसी यूनिट प्रौजैक्ट साईट, फुललोखड़ी, बंठिडा, पंजाब के लिए ट्रेस्ड पाईप से कंडेन्सैट रिकवरी मेनिफोल्ड तथा स्टीम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेनिफोल्ड आऊटलेट से ट्रेस्ड पाईप तक प्री-इंस्यूलेटिड एसएस ट्यूबिंग की आपूर्ति के साथ सभी सामग्री अर्थात् निविदा के अनुसार प्री इंस्यूलेटिड ट्यूब, ट्यूब कनेक्टर्स (सीएस पाईप के साथ ट्यूब को लगाने के लिए अडेप्टर के साथ), ट्यूब फीटिंग्स, क्लेम्प्स, स्पोट्स आदि; के साथ ट्यूब बेन्डिंग, कटिंग, एंड प्रीपेरेशन, कनेक्शन करना, इंस्टालेशन, स्पोर्टिंग की निगरानी के साथ धूल संदूषण आदि से पर्याप्त रोकथाम के साथ बेन्डिंग/क्रीम्पिंग टूल्स, सीलिंग किट्स, कुशल श्रमिक आदि से संबंधित सभी कार्य के लिए दो-भाग प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां आमन्त्रित की जाती है।
इच्छुक बोलीदाता को http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर लॉगइन के माध्यम से सरकारी ई-प्रापण प्रणाली; के साथ नामांकन तथा पंजीकरण करना होगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.02.2020 को 16:00 बजे तक है।
शुद्धिपत्र/परिशोधन, यदि कोई होगा, केवल कंपनी की वेबसाईटः www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर डाला जाएगा।

FORM A
Public Announcement
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF A&V FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED,
Relevant Particulars

1	Name of corporate debtor	A&V FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	15/03/2016
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana (ROC-DELHI)
4	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No.of corporate debtor	U18109DL2016PTC292621
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office as per MCA: 2751/22, Basement & 2nd Floor, Beadonpura, Main Ajmal Khan Road, Karol Bagh New Delhi- 110005
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03.02.2020 (Date of Order by NCLT), IRP received intimation on 07.02.2020
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	01.08.2020 (180 days from the order dated 03.02.2020)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	ASHOK KUMAR IBBI/IPA-001/IP-P00847/2017-2018/11430
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Garg Ashok & Company, A-263/1, First Floor, Derawal Nagar, Delhi-110009 gargashokca@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Garg Ashok & Company, A-263/1, First Floor, Derawal Nagar, Delhi-110009 cirpavfh@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	21.02.2020
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NIL
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14.	a) Relevant Forms and b) Details of authorized representatives are available at:	https://ibbi.gov.in/home/downloads NA

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the A&V FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED on 03.02.2020.
The creditors of A&V FASHION HOUSE PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21.02.2020 (i.e, date falling fourteen days from the date of receipt of order by the interim resolution professional) to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class (specify class) in Form CA.(Not Applicable)
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

ASHOK KUMAR
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-001/IP-P00847/2017-2018/11430
Place: DELHI
Date: 08.02.2020

शुद्धिपत्र
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 15वां तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (भारत)
फोन नं.: 011.66155129 फैक्स नं. 0120.4588513
ई-मेलः info@raclgeartech.com, वेबसाइटः www.raclgeartech.com
सीआईएनः L34300DL1983PLC016136
कृपया दिनांक 08.02.2020 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन ''31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के स्टैन्डअलोन तथा समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार'' का सन्दर्भ लें।
कृपया ध्यान दें कि विज्ञापन के अंत में स्थान गजरौला के बजाय ''नोएडा'' पढ़ा जाये।
विज्ञापन के शेष विषय पूर्ववत रहेंगे।
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
हस्ता/-
गुरसरण सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 00057602
स्थान : नोएडा
दिनांक : 10 फरवरी, 2019

निविदा सूचना
केन्द्रीय विद्यालय न.-3 दिल्ली कैन्ट नारायणा, ने इच्छुक एवं अनुभवी कंपनियां जिनके पास जी. एस. टी. न. ,लाइसेंस इत्यादि हो और हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, टैन्ट, कैटरिंग, बागवानी के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखते हों। वो विद्यालय कार्यालय से 10 दिनों के अंतर्गत प्रातः 10 बजे से 01 बजे तक 500 रूपये का भुगतान करके निविदा प्राप्त कर सकते है।
प्राचार्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एनएससीबीआइ एयरपोर्ट द्वारा ''एनएससीबीआई एयरपोर्ट कोलकाता में तीन वर्षों की अवधि के लिए क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं डेस्क के प्रबंधन'' के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत रु 6,56,74,404/- (छह करोड़ छप्पन लाख चौहत्तर हजार चार सौ चार रुपए) है। निविदा दस्तावेज 11.02.2020 से डाउनलोड किये जा सकते हैं। पात्रता मापदंड और अन्य निविदा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए भाविप्रा वेबसाइट www.airportsindia.org.in या www.aai.aero एवं ई-टेंडर पोर्टल पता https://etender.aai.aero/irj/portal देखें। आगे स्पष्टीकरण/परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल भाविप्रा वेबसाइट/पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
एयरपोर्ट निदेशक

OMANSH ENTERPRISES LIMITED
CIN: L21011DL1974PLC241646
Regd. Office: Shop No. Qd-37, Dda Market, Pitampura New Delhi North West DL 110034
E-mail: omanshwork@gmail.com
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 14, 2020 to consider and approve inter-alia, the Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2019.
This information will be available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).
By Order of the Board of Directors
For OMANSH ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
Satvinder Singh
Additional Director
DIN- 08057553
Place: New Delhi
Date: 08.02.2020

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
शुद्धिपत्र
यह अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना के सन्दर्भ में है। क्लाइन्ट का नाम अम्बे ऑटो, राकेश कुमार सरना, अनुराधा बब्बर, भारत भूषण बब्बर (कर्जदार एवं सह-कर्जदार)। इण्डियन एक्सप्रेस एवं जनसत्ता : दिल्ली संस्करण समाचार पत्र में 08 फरवरी, 2020 को प्रकाशित हुआ।
समस्त पाठकों को यह सूचित करने के लिए है कि आरक्षित मूल्य में कुछ त्रुटि हो गयी है। शुद्ध आरक्षित मूल्य रु. 4,50,00,000/- होगा।
सूचना की अन्य सामग्रियाँ यथावत रहेंगी।
ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक : 10.02.2020

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 264/2019 के मामले में
बैंक ऑफ महाराष्ट्र — आवेदक
बनाम
श्रीमती विम्मी गुप्ता एवं अन्य — प्रतिवादीगण
सेवा में,
डी-3, मै. आम्रपाली लीजर वैली प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक/प्राधिकृत प्रतिनिधि पंजी. कार्यालयः 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
साथ हीः कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 20.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 6 जनवरी, 2020 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से,
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

रेड ब्रिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
फॉर्म-ए शुद्धिपत्र
यह शुद्धिपत्र समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 9 फरवरी 2020 को प्रकाशित विज्ञापन फार्म ए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के संबंध में है। कवल किशोर खुराना अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स का हस्ताक्षर के नीचे वर्णित पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00547/2017-2018/11673 की बजाय IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00239/2019-2020/12746 पढ़ा जाये।
कवल किशोर खुराना
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स
दिनांकः 10.02.2020,
स्थानः नई दिल्ली

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
कॉनकॉर CONCOR
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
Regd. Office : C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076
CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com,
Tel. Nos. : 41673093-96/41222500/600/700, Fax : 41673188, Website : http://www.concorindia.com
अंतरिम लाभांश के लिए रिकार्ड तिथि की सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉनकॉर के निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी उपरोक्त कथित बैठक में बोर्ड द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश 15% (रु. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर पर रु 0.75 प्रति शेयर) के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु रिकार्ड तिथि 20 फरवरी, 2020 (बृहस्पतिवार) निर्धारित की है। इसके बाद, अंतरिम लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा:
(i) जिन सदस्यों के नाम 20 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व कम्पनी और इसके रजिस्ट्रार के साथ दर्ज भौतिक प्रारूप में सभी वैध शेयर हस्तांतरण के प्रभाव को मान्यता देने के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे; या
(ii) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में उन 'मानद सदस्यों' को जिनके नाम 20 फरवरी, 2020 को व्यावसायिक समय समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश के भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यगण जिनके पास डिमेट प्रारूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक प्रारूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यगण हमारे शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार: मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा) लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे, नजदीक दादा हरसुखदास मंदिर, नई दिल्ली-110062 के पास विधिवत भरा गया ईसीएस अधिदेश पत्र जमा कर दें। सदस्य द्वारा एक बार ईसीएस विवरण प्रस्तुत करने के बाद यह उनके द्वारा पहले दिए गए सभी पुराने बैंक अधिदेशों/विवरणों का स्थान ले लेगा। ईसीएस अधिदेश पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.concorindia.com पर उपलब्ध है।
कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
हस्ता./-
(हरीश चन्द्रा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07.02.2020

Orosil kuhjohl SINCERE
ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड
(पंजी. कार्यालयः 629, हेमकुंत चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019)
ईमेलः info@orosil.com, वेबसाइटः www.orosil.com, CIN: L74110DL1994PLC059341
31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (आंकड़े-रु लाखों में)

क्र. स.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 को समाप्त पूर्व वर्ष के अनुरूप समाप्त 3 महीने (अनंकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	31.21	155.19	39.27
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक तथा/व असाधारण मदों से पूर्व)	(6.25)	(22.46)	(6.93)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(6.25)	(22.46)	(6.93)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(6.25)	(22.46)	(6.93)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	(6.25)	(22.46)	(6.93)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	413.16	413.16	413.16
7	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य प्रति रू. 1/-) बेसिक व डायल्यूटिड (रू में)	(0.02)	(0.05)	(0.02)

नोट्सः
(i) 10 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश किए गए तथा निदेशक मंडल बैठक द्वारा स्वीकृत किए गए। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वर्तमान तिमाही के परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
(ii) सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए वित्तीय परिणाम विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com) में तथा कंपनी की वेबसाइट (www.orosil.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(बी. के नरूला)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00003629
स्थानः नोएडा
तिथिः 10 फरवरी, 2020

भारत एकांश लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः म.नं. 116, एफ/एफ, ग्राम कोटला, मयूर विहार फेज-I, निकट हुकुम सिंह डेयरी, दिल्ली-110091
ई-मेलः bharat.ekansh.ltd@gmail.com, वेबसाइटः www.bharatekanshlimited.com
दूरभाषः 9355777335-36; सीआईएनः L74899DL1985PLCO20973
31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (राशि रू. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही (31.12.2019)	समाप्त नौमाही (31.12.2019)	समाप्त संगत तिमाही (31.12.2018) गत वर्ष में
1.	प्रचालनों से कुल आय	-	1,300,000.00	50,000.00
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कुल लाभ/(हानि)	(553,680.40)	(263,616.40)	(41,730.00)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(553,680.40)	(263,616.40)	(41,730.00)
4.	अवधि हेतु कर पश्चात (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(553,680.40)	(263,616.40)	(41,730.00)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित लाभ/(हानि)) (नोट सं. 2 का सन्दर्भ लें)	(553,680.40)	(263,616.40)	(41,730.00)
6.	इक्विटी शेयर पूँजी (प्रत्येक रु. 10/- के अंकित मूल्य)	8,269,210.00	8,269,210.00	8,269,210.00
7.	आरक्षियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षियों को छोड़कर)	1,931,482.67	1,931,482.67	2,520,172.07
8.	आय प्रति शेयर (प्रत्येक रु. 10 के अंकित मूल्य) (वार्षिकीकृत नहीं) बेसिक (रु.)	(0.670)	(0.319)	(0.050)
	डाइल्यूटेड (रु.)	(0.670)	(0.319)	(0.050)

नोटः
1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 31* दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कृते भारत एकांश लिमिटेड
ह./-
मुकेश कुमार शर्मा
(सीएफओ)
स्थानः दिल्ली
दिल्लीः 10.02.2020

www.readwhere.com

भारतीय टीम की निगाहें पदक पर

मनीला (फिलिपीन), 10 फरवरी (भाषा)।

एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप
भारतीय टीम अभियान की शुरुआत कजाखस्तान के खिलाफ करेगी। प्रणीत और उसके साथियों पर होगा सारा दारोमदार

कोरोना वायरस के डर के बावजूद भारत की मजबूत पुरुष टीम मंगलवार से शुरू हो रही एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए यहां पहुंच गई। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कजाखस्तान के खिलाफ करेगी। टीम की निगाहें पदक जीतने पर टिकी होंगी जिससे ओलंपिक वर्ष में खिलाड़ियों को अहम रैंकिंग अंक मिलेंगे। उधर भारतीय महिला टीम ने कोरोना वायरस के फैलने के डर के कारण प्रतियोगिता के लिए नहीं जाने का फैसला किया है। चीन के वुहान के 44 साल के एक पर्यटक की एक फरवरी को फिलिपीन में मौत हो गई थी। देश में अब तक इस विषाणु के तीन मामले सामने आ चुके हैं।

भारतीय पुरुष टीम में दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, 2019 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत, एचएस प्रणय, शुभंकर शर्मा और लक्ष्य सेन को शामिल किया गया है। भारतीय पुरुष टीम ने 2016 में इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। टीम को शुरुआत में ग्रुप ए में दो बार के गत चैंपियन इंडोनेशिया और मेजबान फिलिपींस के साथ रखा गया था लेकिन मेजबान देश के यात्रा प्रतिबंध के कारण चीन और हांगकांग के नहीं खेलने के कारण सोमवार को टीम मैनेजरों की बैठक में दोबारा ड्रा हुआ। भारत को अब मलेशिया और कजाखस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। सभी चार ग्रुपों से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत मंगलवार को कजाखस्तान के खिलाफ करेगा और फिर गुरुवार को मलेशिया से भिड़ेगा। एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है और यह थामस एवं उबेर कप के एशिया क्वालीफायर भी हैं। भारतीय टीम के कजाखस्तान के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज करने की उम्मीद है लेकिन मलेशिया के खिलाफ मुकाबला रोमांचक होगा। मलेशिया की युवा टीम में दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी ली जी जिया, 2014 युवा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता चीम जून वेई और विश्व जूनियर चैंपियनशिप के तीन बार के रजत पदक विजेता लियोंग जुन हाओ शामिल हैं। युगल में मलेशिया के पास ओंग यू सिन और तियो ई यी की दुनिया की 17वें नंबर की जोड़ी है जिन्होंने पिछले महीने थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता। गोह जी फेई और नूर इजुद्दीन मोहम्मद रुमसानी भी टीम में शामिल हैं। यह जोड़ी 2018 एशिया टीम चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा रही है।

जीत के बाद भद्दा था बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बर्ताव : प्रियम गर्ग

पोटचेफ्स्ट्रूम, 10 फरवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग ने कहा कि पहला अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बर्ताव भद्दा था। भारत को रविवार को फाइनल में हराने के बाद कुछ बांग्लादेशी क्रिकेटर जश्न मनाते समय सीमा लांघ गए। उनके कप्तान अकबर अली ने इस 'अप्रिय घटना' के लिए माफी मांगी।

भारतीय कप्तान गर्ग ने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। गर्ग के हवाले से क्रिकइन्फो ने कहा, हम सहज थे। यह खेल का हिस्सा है। कभी आप जीतते हैं तो कभी हारते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भद्दी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ठीक है, चलता है। मैच के दौरान भी बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी आक्रामक थे जबकि उनके तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों के साथ छींटाकशी की। विजयी रन लेने के बाद भी उनका रवैया ऐसा ही था। अली ने हालांकि कहा, जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ। फाइनल में जज्बात उमड़ आते हैं और कई बार खिलाड़ियों का उन पर काबू नहीं रहता। उन्होंने कहा, युवाओं को इससे बचना चाहिए। हमें विरोधी का सम्मान करना चाहिए, खेल का सम्मान करना चाहिए। क्रिकेट भद्रजनों का खेल है। मैं अपनी टीम की ओर से माफी मांगता हूं। भारत ने पिछले साल एशिया कप फाइनल और त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। अली ने कहा, भारत बांग्लादेश प्रतिद्वंद्विता ऐसी ही है। हम एशिया कप फाइनल में उनसे हारे थे तो मुझे लगता है कि कहीं बदले की बात खिलाड़ियों के जेहन में थी। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पारी और 44 रन से हराया

रावलपिंडी, 10 फरवरी (एएफपी)।

नसीम शाह मैच में हैट्रिक समेत चार विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच चुने गए।

पाकिस्तान ने पहले टैस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को बांग्लादेश को पारी और 44 रन से हराकर दो टैस्ट की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त कायम की। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में छह विकेट पर 126 रन से की लेकिन सपाट पिच होने के बाद भी उसकी पूरी टीम 168 रन पर आउट हो गई। इस जीत से पाकिस्तान ने विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के लिए 60 अंक हासिल किए जिससे उसके 140 अंक हो गए। नौ टीमों की इस चैंपियनशिप में भारत 360 अंक के साथ शीर्ष पर है।

बांग्लादेश ने इससे पहले पहली पारी में 233 रन बनाए थे जिसके जवाब में पाकिस्तान ने बाबर आजम (143) और शान मसूद (100) की शतकीय पारी से 445 रन बनाकर बड़ी बढ़त हासिल की थी। दूसरी पारी में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने नसीम शाह मैच में 26 रन देकर चार विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। नसीम हालांकि पसली में दर्द के कारण सोमवार को मैदान में नहीं उतरे लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बाकी चारों विकेट 90 मिनट के अंदर चटका दिए। बांग्लादेश के लिए पिछले 11 टैस्ट में यह 10वीं हार है जबकि उन्होंने एक मैच ड्रा खेला।

बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने दिन की शुरुआत तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर चौके साथ की लेकिन इस ओवर में वह 41 रन के स्कोर पर पगबाधा हो गए। लिटन दास (29) और नीचले क्रम के बल्लेबाज रूबेल हुसैन ने पाकिस्तान को 11.5 ओवर तक सफलता से महरुम रखा लेकिन मोहम्मद अब्बास ने रूबेल को पगबाधा कर के उनकी पांच रन की पारी का अंत किया। यासिर शाह ने इसके बाद दास और अबु जाएद का विकेट लेकर मैच खत्म किया। इस जीत से पाकिस्तान ने विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के लिए 60 अंक हासिल किए जिससे उसके 140 अंक हो गए। नौ टीमों की इस चैंपियनशिप में भारत 360 अंक के साथ शीर्ष पर है जिसके बाद दूसरे पायदान पर आस्ट्रेलिया (246) और इंग्लैंड (146) है।

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ ड्रा टैस्ट में रहाणे का शतक

लिंकन, 10 फरवरी (भाषा)।

भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला की तैयारी पुख्ता करते हुए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ ड्रा रहे चार दिवसीय मैच में भारत ए के लिए नाबाद 101 रन बनाए। न्यूजीलैंड ए ने नौ विकेट पर 386 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत ए ने पांच विकेट पर 467 रन बना लिए थे जब चौथे दिन मैच ड्रा पर छूटा। इस दूसरे अनधिकृत टैस्ट के साथ ही भारत ए के दौरे का भी अंत हो गया। रहाणे 148 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले मैच में दोहरा शतक जमाने वाले शुभमान गिल ने तीसरे दिन दूसरा शतक पूरा किया था। उन्होंने 136 रन की पारी खेली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टैस्ट 21 फरवरी से शुरू होगा। विजय शंकर ने 66 रन का योगदान दिया। तीसरे नंबर पर उतरने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक जमाया था लेकिन वह चौथे दिन सिर्फ एक रन जोड़ सके। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 98 रन देकर दो विकेट लिए।

वार्नर तीसरी बार एलेन बार्डर पदक के लिए चुने गए

मेलबर्न, 10 फरवरी (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को क्रिकेट आस्ट्रेलिया पुरस्कारों में सोमवार को तीसरी बार एलेन बार्डर पदक से सम्मानित किया गया जबकि एलिस पैरी को दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार दिया गया।

वार्नर ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए महज एक मत से पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ा। पिछले साल के विजेता तेज गेंदबाज पैट कमिंस तीसरे स्थान पर रहे। केपटाउन टैस्ट (2018) में गेंद से छेड़छाड़ के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने वाले वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की। उन्होंने 2016 और 2017 में भी इस पुरस्कार को हासिल किया है। उन्हें टैस्ट, एकदिवसीय और टी-20 में मिलाकर 194 मत मिले जो स्मिथ से एक और कमिंस से नौ मत अधिक थे। महिलाओं में पैरी ने बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता तो वहीं टीम की उनकी साथी खिलाड़ी एलिसा हीली को साल की सर्वश्रेष्ठ टी-20 और एकदिवसीय महिला खिलाड़ी चुना गया। पुरुषों में वार्नर को साल का सर्वश्रेष्ठ टी-20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चुना गया। आरोन फिंच को सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय जबकि मार्नस लाबुशेन को साल का सर्वश्रेष्ठ टैस्ट खिलाड़ी चुना गया।

Indiabulls REAL ESTATE

Indiabulls Real Estate Limited
Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended December 31, 2019

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.19 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.19 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.18 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	1,31,770.46	3,28,894.40	1,28,759.94
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,641.52	59,087.09	28,627.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,641.52	52,336.36	28,627.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,920.45	23,048.19	20,245.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	17,429.73	(22,896.84)	7,516.92
6	Equity Share Capital	9,093.28	9,093.28	9,013.61
7	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters and nine months are not annualised)			
	- Basic (Amount in ₹)	1.08	5.09	4.49
	- Diluted (Amount in ₹)	1.08	5.09	4.47
	Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the quarters and nine months are not annualised)			
	- Basic (Amount in ₹)	1.08	5.09	4.49
	- Diluted (Amount in ₹)	1.08	5.09	4.47

Notes : 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 10 February 2020.

2. **Key Standalone Financial Information:** (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31.12.19 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.19 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.18 (Unaudited)
Total Income	21,368.67	34,847.13	5,493.63
(Loss) / Profit before Tax	(3,004.50)	(16,205.49)	(3,633.16)
Net (Loss) / Profit after Tax	(3,030.13)	(18,686.74)	(3,677.71)

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://indiabullsrealestate.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi 110 001.
(CIN: L45101DL2006PLC148314)
Place : Gurugram
Date : 10 February 2020

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Vishal Gaurishankar Damani
Joint Managing Director

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तियां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नंबर / बैंक का नाम / वित्तीय संस्था	मूल कर्जदार / सह-कर्जदार / जमानतदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार / आकार / प्रकृति	कुल बकाया राशि भारतीय रुपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपए में	सुरक्षित मूल्य (रू.) भारतीय रुपए में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
1	डीएलएचएल16000857 / एल एंड टी फाईनेंसियल सर्विसेज	संदीप कुमार भास्कर / नीना भास्कर	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो -58-बी-ट्रस्ट	भूमि एन.ए. निर्मित / फ्लैट - 1327 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	91,38,456.96 07/02/2020 तक	8,00,000/-	80,00,000/-	20/02/2020	13/03/2020 12:00:00	भौतिक

प्रतिभूत सम्पत्ति पता : टी 21/7 बी, प्रथम एवम द्वितीय मंजिल, डीएलएफ कुतुब इनक्लेव, फेज-3, ग्राम-नाथुपुर, गुड़गांव, हरियाणा, भारत पिनकोड : 122002

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

1	नीलामी तिथि	यहां ऊपर वर्णित अनुसार	5	ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले
2	बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान	द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लेण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाने हैं	नई दिल्ली
3	नीलामी हेतु वेबसाइट	www.arcil.co.in	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया जाना है	नाम प्रत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्ट कालम में दर्शाया गया है
4	सम्पर्क व्यक्ति तथा फोन नंबर	कमल मिश्रा : 9819820760, विक्रम तंवर : 8880122299	8	निरीक्षण का समय	पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक

बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार, नीलामी में ऑनलाइन प्रतिभागिता की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन बिडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन तथा बिड/निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी बिड्स अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के तहत सूचना भी मानी जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 11-02-2020

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन : U65999MH2002PLC134884,
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन : +91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लेण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060,
फोन : 011-46370444 www.arcil.co.in

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
United Bank of India
The Bank that begins with 'U'

नई दिल्ली क्षेत्र, पी-9/90 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने और गारंटरों और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का (रचनात्मक) और वास्तविक कब्जा क्र.सं. 1, 2, 3) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर प्रतिभूत लेनदार की रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नांकित दिनांकों को बेचा जाएगा। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा (EMD) राशि नीचे दी गई है।

ई-नीलामी की तिथि: 27.02.2020
ई-नीलामी का समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे से अर्पा. 3.30 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि : ई-नीलामी दिनांक 27.02.2020 हेतु 26.02.2020 (अर्पा. 5.00 बजे तक)

सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 24.02.2020 को अपर्राह्न 02.00 से 04.00 बजे तक के बीच में किया जा सकता है।

बैंक को ज्ञात संपत्ति/यों पर समेकन का विवरण : ज्ञात नहीं

क्र. सं.	शाखा का नाम, कर्जदार/गारंटर्स का नाम एवं पता	स्थान और सम्पत्ति का विवरण	13 (2) के अनुसार बकाया राशि, जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	खाते का विवरण सम्पर्क विवरण
1	मैसर्स मुस्कान इंटरनेशनल श्री देविंदर सिंह सोढ़ी (प्रोपराइटर), ए-2/4, फेज-I, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110064	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 15, तृतीय तल, किंग्स अपार्टमेंट, पंचवटी काम्पलैक्स जोकि मौजा मंडलगन्टी आर. एस. दाग नं. 132, जे. एल. नं. 06 वीआईपी रोड तेघारिया, अर्जुनपुर-गोपालपुर नं. 11 ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के तहत, ए डी एस आर ओ बिधन नगर (साल्ट लेक सिटी), पी. एस. बगुआती, कोलकाता-700059	रु. 77,70,769/- दिनांक 30.11.2016 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 27.00 लाख / ₹ 2.70 लाख / ₹ 0.50 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
2	मैसर्स महादेव स्टेशनर्स एंड ट्रेडर्स प्रोप. श्री अजय सिन्हा RZ-121/213 (पुराना-121) गली नं. 8, I ब्लॉक, वैस्ट सागरपुर, दिल्ली-110046 उधारकर्ता: श्री अजय सिन्हा RZ-429/3 स्ट्रीट नं. 11 कैलाश पुरी एक्स. पालम, दिल्ली-110046 गारंटर: श्रीमती तनु सिन्हा RZ-429/3, स्ट्रीट नंबर 11 कैलाश पुरी एक्स. पालम, दिल्ली -110046	साम्यिक बंधक भूतल आरजेड - 221/213 (पुराना नं. 121), खसरा नं. 213, गांव - नासीरपुर जिसे अब वैस्ट सागरपुर कहते हैं, नई दिल्ली-110046 में स्थित	रु. 26,05,604.24 साथ में ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 20.30 लाख / ₹ 2.03 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
3	बबलू कुमार पांडे और रंजू पांडे (कर्जदार) पताः एमआईजी फ्लैट नं. एफएफ-03 प्रथम तल, (रियर साइड) प्लॉट नं. एम-120 सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी	साम्यिक बंधक एमआईजी फ्लैट नं. एफएफ-03 प्रथम तल, (पीछे की तरफ) प्लॉट नं. एम-120, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 में स्थित	रु. 20,07,932.00 दिनांक 01.06.2018 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 22.61 लाख / ₹ 2.26 लाख / ₹ 0.25 लाख	श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in

नियम एवं शर्तें :
*सरकारी नियमानुसार जीएसटी लागू.
1. ई-नीलामी ऊपर दिये समय पर स्वतः चालू हो जायेगी।
2. सम्पत्ति, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की देखरख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **M/s MSTC site (e-Bक्रय)** के माध्यम से वेबसाईट: **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।
3. ई-नीलामी दस्तावेज, जिनमें बिड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** में उपलब्ध है, से डॉउनलोड कर सकते हैं या इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता **M/s MSTC**, मो. 18001035342 (Toll Free) और 07941072411/12/13 & IBAPI हेल्पलाईन नं 18001025026(toll free) और फोन नं. 011-41106131 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है। उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड और प्रशिक्षण केवल उन बोलीदाताओं को **M/s MSTC**, द्वारा प्रदान किया जाएगा जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने बैंक के साथ अपेक्षित ईएमडी जमा किया है। ईमेल आईडी के द्वारा उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
5. धरोहर राशि (ईएमडी) और केवाईसी दस्तावेजों के प्रमाण के साथ बोली फॉर्म (पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पहचान का प्रमाण) अर्थात वोटर-आई-कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति) और पते के प्रमाण की प्रति युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है, ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लिखित अंतिम तिथि पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त बिड फार्म तथा ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक के पास कोई भी कारण बताए बगैर किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिड फार्म, बिक्री के नियम व शर्तें बैंक के पोर्टल (www.unitedbankofindia.com) से प्राप्त की जा सकती है।
6. ईएमडी रहित बिड फार्म तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
7. ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ईएमडी जमा करने वाले बोलीदाता यदि किसी भी कारण से नीलामी की तारीख में भाग लेने में विफल रहे, तो जमा की गई ईएमडी स्वचालित रूप से जब्त कर ली जाएगी।
8. किसी कारण से बिक्री के पहले या बाद में बिक्री को रद्द करने की स्थिति में बोली लगाने वाले के पास बैंक के खिलाफ ब्याज सहित किसी भी प्रकृति का कोई दावा नहीं होगा। किसी भी कारण या संपत्ति के कब्जे के संबंध में बिक्री/प्रमाण पत्र/बिक्री प्रमाण पत्र की पुष्टि में देरी की स्थिति में या बोली लगाने वाले के न्यायालय के आदेशों के कारण बैंक के समक्ष ब्याज सहित किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा। यह दोहराया गया है और स्पष्ट किया गया है कि सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि किसी भी ब्याज को वहन नहीं करेगी और इस तरह किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
9. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य का उद्धरण करना होगा। सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता को बेची जाएगी, उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्यकाल दिवस के बाद नहीं तक जमा करनी होगी और उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को खरीद मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन अथवा नोटिस दिये बिना ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी, जिसकी लिखित रूप में अनुमति दी गई है।
10. सफल बोलीदाता को शेष बोली राशि ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/पी ओ द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में जमा करना होगा।
11. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में जमा राशि और धरोहर राशि और/या प्रारम्भिक जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी। उक्त बोलीदाता/सफल क्रेता का उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
12. असफल बोलीदाताओं का ईएमडी उसी दिन वापस कर दिया जाएगा, अर्थात बिक्री के समापन के बाद हर दशा में अधिकतम 7 दिनों के भीतर। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
13. बिक्री मूल्य की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र (बोली प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जायेगा।
14. संपत्ति "जहां है और जो भी है" के रूप में बेची जाएगी और इच्छुक बोलीदाताओं को किसी भी दावे / अदालत के मामले /मुकदमेबाजी, बैंक के प्रभार के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर आरोपों के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। बिक्री के लिए लगाई गई संपत्ति, किसी भी संपत्ति पर या किसी अन्य मामले आदि पर लगाए गए आरोपों के बारे में कोई भी दावा, बोली प्रस्तुत करने के बाद, विचार नहीं किया जाएगा। संभावित बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अवलोकन करने के लिए नवीनतम प्रोत्साहन प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व / नगरपालिका रिकॉर्डों का सत्यापन करें और संपत्ति पर यदि कोई हो, तो टाइटल और अभिलेखों पर स्वयं को संतुष्ट करें। लेनदारों/बैंक को ज्ञात नहीं जैसे कि कर बकाया, संपत्ति कर बकाया या अन्य वैधानिक बकाया यदि कोई हो, तो बोली लगाने से पहले संबंधित विभागों से इच्छुक बोलीदाताओं से पूछताछ की जाएगी।
15. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर या सभी ऑफर्स स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
16. क्रेता स्टाप शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और बिक्री प्रमाण पत्र के जारी होने के समय यदि कोई स्रोत पर आयकर हो, तो वर्तमान और भविष्य दोनों पर देय होने वाले शुल्कों को या बाद में सम्पत्तियों से संबंधित शुल्क को वहन करना होगा।
17. बेची गई सम्पत्ति/आस्तियों के संबंध में सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं अथवा किसी व्यक्ति को देय सभी प्रभार/कर/हस्तांतरण हेतु देय दरें, सम्पत्ति कर, अन्य कोई देय एकमात्र रूप से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
18. यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार/गारंटर के लिए सरफासी एक्ट 2002 के नियम 8(6) और 6(2) के अधीन सांविधिक **15/30 दिन** की बिक्री सूचना भी है।
19. बोलीदाता की ओर से किसी चूक/विफलता हेतु न तो यूबीआई और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से आवश्यकता के अनुसार बिजली आपूर्ति बैक-अप जैसी आवश्यक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है।
20. बोलीदाताओं को दी गई उपयोगकर्ता आईडी से की गई सभी बोलियों को केवल उसके द्वारा ही माना जाएगा।
21. बोली लगाने वाले बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ना और समझना होगा और वे इसके द्वारा बाध्य होंगे।
22. बिक्री सरफासी अधिनियम, नियम 2002 में समय-समय पर संशोधित शर्तों और उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अधीन है और किसी भी कोर्ट / न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होने पर मामलों/मुकदमों के विचाराधीन है।

दिनांक : 11.02.2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com

अंतिम मैच में प्रतिष्ठा बचाने उतरेगी भारतीय टीम

माउंट मोनगानुई, 10 फरवरी (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अपनी प्रतिष्ठा बचाने उतरेगी।

करिश्माई कप्तान केन विलियमसन के चोट के कारण बाहर होने के बावजूद मेजबान ने टी–20 शृंखला में मिली शर्मनाक हार को भुलाकर पहले दो वनडे जीतकर शृंखला अपने नाम कर ली। विलियमसन अगर फिटनेस टेस्ट में खरे उतरते हैं तो आखिरी मैच में खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच अंतर शीर्षक्रम का प्रदर्शन रहा है। रोहित शर्मा और शिखर धवन के चोट के कारण बाहर हैं जबकि विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। फार्म में चल रहे केएल राहुल बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतर रहे हैं। शीर्षक्रम भारत की ताकत रहा है जो इस शृंखला में नाकाम रहा।

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव और मयंक अग्रवाल ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन भारत को चिर परिचित शुरुआत नहीं दिला सके। रोहित की कमी भारत को बुरी तरह खली। रोहित ने पिछले 12 महीने में वनडे क्रिकेट में 57.30 की औसत से रन बनाए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में रन बनाने का पूरा दारोमदार कोहली पर आ गया जिन्होंने दो मैचों में 66 रन बनाए।

भारत ने टी–20 शृंखला 5–0 से जीती थी लेकिन वनडे में हालात एकदम उलट गए। पिछली बार 2019 में भारतीय टीम ने यहां वनडे शृंखला 4–1 से जीती लेकिन टी–20 शृंखला 2–1 से हार गई थी। पिछली बार भारतीय टीम यहां 2014 में वनडे शृंखला 4–1 से हारी थी। श्रेयस अय्यर ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया लेकिन रोस टेलर दोनों मैचों में भारतीय टीम पर हावी रहे। अय्यर 'फिनिशर' की भूमिका नहीं निभा सके जो टेलर ने बखूबी किया।

राहुल, साव, अय्यर, केदार जाधव और युजवेंद्र चहल ने सोमवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। कोहली सबसे पहले अभ्यास के लिए उतरे जिन्होंने तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों का सामना किया। मनीष पांडे उनके बाद आए जबकि ऋषभ पंत ने लंबे अभ्यास सत्र में भाग लिया। पंत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल होने के बाद से सीमित ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को छोड़कर सभी तेज गेंदबाजों ने अभ्यास किया।

न्यूजीलैंड ने लेग स्पिनर ईश सोढी और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनेर को टीम में शामिल किया है। सोढी ने कोहली को हैमिल्टन में गुगली पर आउट किया।

भारत : विराट कोहली, पृथ्वी साव, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), मनीष पांडे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी।

न्यूजीलैंड : टाम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), मार्टिन गुप्टिल, रास टेलर, कालिन डी ग्रैंडहोमे, जिमी नीशम, स्काट कुगलेइजन, टाम ब्लंडेल, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, काइल जैमीसन, मार्क चैपमैन।

भारतीय बैडमिंटन संघ ने किया घरेलू ढांचे में बदलाव

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

घोषणा दो करोड़ रुपए की इनामी राशि के टूर्नामेंट होंगे आयोजित

भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआइ) ने सोमवार को आमूलचूल बदलाव करते हुए कई स्तर का घरेलू टूर्नामेंट ढांचा लागू करने की घोषणा की जिसमें कुल लगभग दो करोड़ रुपए की इनामी राशि होगी। रविवार को कार्यकारी परिषद की बैठक में घरेलू टूर्नामेंट के ढांचे को पुनगर्ठित करने का फैसला किया गया।

राष्ट्रीय महासंघ ने बयान में कहा, भारतीय बैडमिंटन संघ ने घरेलू टूर्नामेंट ढांचे में आमूलचूल बदलाव का फैसला किया है जिससे कि प्रदर्शन आधारित रवैया अपनाया जा सके और देश भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की खोज की जा सके जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निखारा जा सके। बयान के अनुसार, सीनियर स्तर पर कई स्तर का टूर्नामेंट ढांचा तैयार किया जाएगा जिसमें लगभग दो करोड़ रुपए की इनामी राशि होगी जिससे कि पूल आफ एक्लीसेंस तैयार करने में मदद मिल सके। नए ढांचे के अंतर्गत तीन स्तर के टूर्नामेंट होंगे–लेवल एक, लेवल दो और लेवल तीन। शीर्ष स्तर लेवल एक की इनामी राशि 25 लाख रुपए होगी।

बीएआइ के अध्यक्ष हिमांत बिश्व सरमा ने कहा, बीएआइ का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के शीर्ष स्तर का दबाव झेलने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को सामने लाना ही नहीं है बल्कि अच्छी इनामी राशि वाला व्यावहारिक घरेलू ढांचा भी तैयार करना है जिससे कि खिलाड़ियों का फायदा हो। यह टूर्नामेंट बीएआइ प्रीमियर सुपर सीरीज टूर्नामेंट होगा जिसमें सीमित प्रवेश होगा और फिर मुख्य ड्रा खेला जाएगा। लीग कम नाकआउट प्रारूप में बीडब्लूएफ रैंकिंग में 100 से कम रैंकिंग वाले शीर्ष आठ एकल खिलाड़ी और शीर्ष चार जोड़ियां सीधे प्रवेश की पात्र होंगी। इसके अलावा बीएआइ रैंकिंग में अनुसार शीर्ष 24 एक खिलाड़ियों और 12 टीमों को भी सीधे प्रवेश मिलेगा। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त इनामी राशि होगी क्योंकि विजेता के लिए इनामी राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले पूरी प्रतियोगिता की इनामी राशि एक करोड़ रुपए थी। लेवल टू में चार बीएआइ सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट होंगे जिसमें प्रतियोगिताओं की इनामी राशि 15 लाख रुपए होगी। बीएआइ रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 48 एकल खिलाड़ी और 24 युगल जोड़ियों को इसके मुख्य ड्रा में सीधे प्रवेश मिलेगा। लेवल तीन में प्रत्येक वर्ष छह बीएआइ सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट होंगे जिसमें प्रत्येक की इनामी राशि 10 लाख रुपए होगी।

Kajaria

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019

(₹ in crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 December 2018 (Unaudited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	741.30	2155.97	758.56
	b) Other income	5.13	17.23	4.53
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	83.84	245.43	99.55
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	83.84	245.43	99.55
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	61.54	205.74	64.80
5.	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax),Other comprehensive income (after tax) and after minority interest]	61.16	204.59	63.94
6.	Equity share capital (Face value of Re 1/- per share)	15.90	15.90	15.90
7.	Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.	1559.00 (as on 31 Mar 19)	1559.00 (as on 31 Mar 19)	1335.12 (as on 31 Mar 18)
8.	Earnings per equity share (EPS): (face value : ₹ 1 per share) (EPS for the quarter and nine months ended periods is not annualised)			
	a) Basic:	3.87	12.94	4.08
	b) Diluted:	3.87	12.94	4.07

Notes:

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10 February 2020 and have undergone 'Limited Review' by the statutory auditors of the Company.
2. The Board of Directors have declared interim dividend of ₹ 3/- per equity share of face value of ₹1/- each for the financial year 2019-20.
3. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind-AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), specified under section 133 of the Companies Act, 2013.
4. The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019, using modified retrospecitve method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.
5. **Additional information on standalone financial results is as follows:**

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31 December 2019 (Unaudited)	Nine months ended 31 December 2019 (Unaudited)	Quarter ended 31 December 2018 (Unaudited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	677.64	1968.74	700.20
	b) Other income	12.38	36.08	8.85
2	Net Profit before tax	89.12	264.52	98.65
3	Net Profit after tax	66.05	223.43	65.58
4	Total comprehensive income for the period	65.67	222.28	64.72

6. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter/nine months ended 31 December 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com.

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi
Date: 10 February 2020

Ashok Kajaria
Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED

Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon -122001 (Haryana)
Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road
New Delhi-110044 Ph: 91-11-26946409, Fax: 91-11-26949544, 91-11-26946407
CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com

मोर्गन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुने गए

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

एकदिवसीय विश्व कप में इंग्लैंड को चैंपियन बनाने वाले कप्तान इयोन मोर्गन को ईएसपीएनक्रिकइंफो पुरस्कारों में सोमवार को साल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया। उधर आस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग और एलीसे पैरे को महिलाओं में क्रम से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी और गेंदबाजी पुरस्कारों के लिए चुना गया।

विश्व कप में श्रीलंका और आस्ट्रेलिया से मैच गंवाने के बाद इंग्लैंड को खिताब जीतने के लिए चार मैचों में चार जीत की जरूरत थी। मोर्गन के नेतृत्व में टीम यह कारनामा करने में सफल रही जहां फाइनल में टीम ने सुपर ओवर के टाई होने के बाद न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। एकदिवसीय मैच की सर्वश्रेष्ठ पारी के लिए इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को चुना गया जिन्होंने विश्व कप के फाइनल में नाबाद 84 रन बनाने के बाद सुपर ओवर में भी सात रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ टैस्ट पारी की पुरस्कार में स्टोक्स हालांकि चूक गए। उन्होंने एशेज टैस्ट के दौरान हेडिंग्ले में नाबाद शतकीय पारी खेल कर इंग्लैंड को एक विकेट से जीत दिलाई थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में कुसल परेरा की 153 रन नाबाद पारी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया।

साक्षात्कार भारतीय टीम को नया सितारा देने वाले कोच ज्वाला सिंह ने कहा

खेल पर रहेगा यशस्वी का ध्यान

नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)।

जायसवाल ने विश्व कप में कुल 400 रन बनाए और तीन विकेट भी लिए।

भारतीय टीम भले ही अंडर–19 विश्व कप के फाइनल में हार गई हो लेकिन 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' रहे यशस्वी जायसवाल इससे रातों रात सितारा बन गए हालांकि अब चुनौती 'स्टारडम' से किनारा कर– के क्रिकेट पर ध्यान करने की होगी।

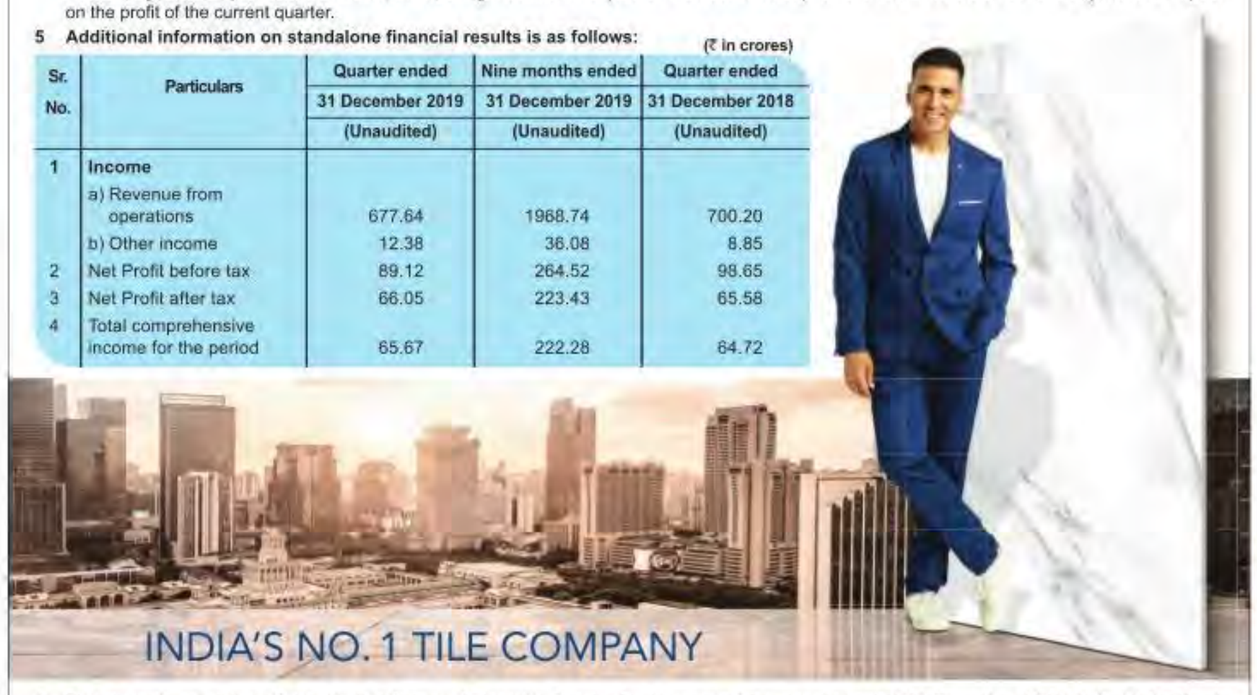

'गोलगप्पा ब्वाय' के रूप में मशहूर हुए यशस्वी की उत्तर प्रदेश के भदोही से निकलकर भारतीय अंडर–19 टीम में जगह बनाने और विश्व कप में असाधारण प्रदर्शन की कहानी किसी परीकथा से कम नहीं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंडर–19 विश्व कप में फाइनल में 88 रन समेत कुल 400 रन बनाए और तीन विकेट भी लिए। यशस्वी अपने प्रदर्शन से लगातार मीडिया में सुर्खियों में हैं लेकिन उनके सरपरस्त और कोच ज्वाला सिंह का कहना है कि इस सफलता से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला और उसका फोकस क्रिकेट पर ही रहेगा। उन्होंने भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत में क्रिकेटरों को रातोंरात स्टार बनाकर दूसरा तेंदुलकर, दूसरा कोहली बताने लगते हैं। लेकिन अगर वैसा बनना है तो लगातार बीस साल तक अच्छा खेलना होगा। अभी यशस्वी ने शुरुआत ही की है। उन्होंने कहा, उन्हें पता है कि जो भी कुछ है, प्रदर्शन की वजह से है। सफलता मिलने के बाद बहुत सारी पेशकश आती हैं लेकिन आपको मायाजाल से खुद को बचाना है। मैं उनका सिर्फ कोच नहीं हूं बल्कि परिवार की तरह हूं। मैं उसके पैर हमेशा जमीन पर रखता हूं। गोरखपुर से कभी क्रिकेटर बनने मुंबई आए सिंह ने कहा, उसे अभी काफी क्रिकेट खेलनी है। मैं उससे कहूंगा कि पिछले टूर्नामेंट को भूल जाए और आगे की सुध ले। उन्होंने कहा, हमारी अकादमी में चमिंडा वास, रंगाना हेराथ, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी आते रहे हैं। मैं हमेशा यशस्वी को उनसे मिलवाता था और कहता था कि फोकस कैसे बेहतर करें, उस पर बात करें। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा बल्लेबाज बने यशस्वी अंडर–19 क्रिकेट में एक टूर्नामेंट में शिखर धवन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। धवन ने 2004 अंडर–19 विश्व कप में 505 रन बनाए थे। विश्व कप के बीच ही यशस्वी के गोलगप्पे बेचकर गुजारा करने की कहानियां सामने आई थी हालांकि उनके कोच ने कहा कि उसके संघर्ष की बात पुरानी है और अब उनकी पहचान उनके खेल से होनी चाहिए। उन्होंने कहा, उनका संघर्ष सात साल पहले की बात है। पिछले सात साल से काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग उनके प्रदर्शन के बारे में बात करे, संघर्ष के बारे में नहीं।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु समर्पित

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिए समीक्षित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (समीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2019 (समीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (समीक्षित)	समाप्त नौ माह 31.12.2019 (समीक्षित)	समाप्त नौ माह 31.12.2018 (समीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरिक्षित)
परिचालनों से कुल आय	207701	222257	233713	653749	708258	938695
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	-34737	-72193	3129	-113429	-82914	-85877
कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	-34737	-72193	3129	-113429	-82914	-85877
कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	-25549	-46873	2234	-75450	-48491	-54348
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	-25549	-46873	2234	-75450	-48491	-54348
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	70105	60206	56491	70105	56491	56491
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार	420668	420668	477073	420668	477073	420668
अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/– प्रत्येक) (जारी एवं समाप्त परिचालनों के लिए)						
1. मूल :	-3.96	-7.79	0.40	-12.47	-8.58	-9.62
2. तनुकृतः	-3.96	-7.79	0.40	-12.47	-8.58	-9.62

टिप्पणी: उपरोक्त, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्कताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही/इस तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/इस तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.nseindia.com, www.bseindia.com** और बैंक की वेबसाइट **www.psbindia.com** पर उपलब्ध है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.02.2020

गोविन्द एन डोंग्रे	फरीद अहमद	एस. हरिशंकर	चरन सिंह
कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	गैर–कार्यकारी अध्यक्ष

अपने इंटरनेट बैंकिंग विवरण जैसे यूज़र आईडी/पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड नम्बर/सीवीवी/ओटीपी फोन या इमेल द्वारा किसी को न दें। टोल फ्री नं. 1800 419 8300

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.–21047/03–05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 86, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए–8, सेक्टर 7, नोएडा– 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com